लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया।

Price: One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 27, गुरुवार, 1 सितम्बर, 1966/10 भाद्र, 1888 (शक)

No. 27, Thursday, September 1, 1966 / Bhadra 10, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या	S. Q. Nos.	
विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
778. हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के कृषकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Farmers of Himachal Pradesh and Punjab	1-4
779. भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग का कर्मचारी संघ	Indian Audit and Accounts Department Employees' Union	4-9
780. बिजली तथा सिंचाई कार्यों के लिये नदियों का उपयोग	Exploitation of Rivers for Power and Irrigation Purposes	9-14
781. लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिये छापे	Raids to unearth Unaccounted Money	14-19
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	Short Notice Question No.	
21. डुमरिया घाट में गंडक नदी का पुल	Gandak Bridge at Dumaria Ghat	19-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या	Starred Question Nos.	
782. उत्पादन लागत में वृद्धि	Rising Cost of Production	21
783. अनुसूचित बैंक	Scheduled Banks	22
784. पंजाब के पुनर्गठन के बाद सिंचाई और विद्युत व्यवस्था	Irrigation Power System after Reorganisation of Punjab	22
785. विट्ठल भाई पटेल भवन	Vithalbhai Patel House	22-23
786. परयोजना प्रतिवेदनों पर शीघ्र निर्णय	Prompt Disposal of Project Reports	
787. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	23-24
788. आवास योजनाओं का एकीकरण	Integration of Housing Schemes	24

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० विषय	S. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
789. आदत डालने वाली औषधियां	Habit forming Drugs	24-24
790. व्यास परियोजना	Beas Project	25
791. सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Central take over of Irrigation Projects	25
792. रूसी सहायता	Soviet Aid	25-26
793. कलकत्ता में बिजली की दरें	Electricity Supply Rates in Calcutta	26
794. मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s. Bird and Company	26-27
795. नकली औषधों की बिक्री	Sale of Spurious Drugs	27
796. आय की तुलना में बचत के बारे में जांच करने के लिये अध्ययन दल	Study Team to enquire into Savings in relation to Income	27-28
797. खाद्य पदार्थों में मिलावट	Food Adulteration	28
798. विदेशों में स्थित राजनयिक तथा व्यापारिक दूतावासों में मितव्ययता	Economy in Diplomatic and Trade Missions Abroad	28-29
799. मैसर्स मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	M/s Morarji Gokul Das Spinning and Weaving Mills Ltd.	29
800. ओखला में पानी का दूषित हो जाना	Water Contamination at Okhla	29
801. श्रम अधिकारियों के वेतन-क्रम	Pay Scales of Labour Officers	29.30
802. आसाम में चाय बागान आदिम जातीय विद्यार्थी	Tea Garden Tribal Students in Assam	30
803. मेडिकल कालिजों में आरक्षित स्थान	Reserved Seats in Medical Colleges	30-31
804. नई दिल्ली में पंचकुइयां रोड पर अनधिकृत मोटर वर्कशापें	Unauthorised motor workshops on Panchkuin Road, New Delhi	31
805. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, पाण्डिचेरी	Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry	31-32
806. दिल्ली के निकट 'ग्रीनफील्ड' की कालोनी	Greenfields' Colony near Delhi	32
807. आकालग्रस्त राज्यों को औषधियों की सप्लाई	Supply of Medicines in Famine Affected States	32-33
अतारांकित प्रश्न संख्या	**Unstarred Questions Nos.**	
3920. दिल्ली में सरकारी बस्तियां	Government Colonies in Delhi	33-34

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3921.	गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम	Slum improvement programme	34
3922.	रैड क्रासकैम्प में एक लड़की की मृत्यु	Death of girl in Red Cross Camp	34
3923.	हाथरस नगर में मिलावट करने के मामले	Adulteration Cases in Hathras	34-35
3924.	उपभोक्ता वस्तुओं का चीन से बरास्ता नेपाल चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of goods from China through Nepal	35
3925.	कालीकट में आय कर अधिकारियों के लिए क्वाटर	Quarters for Income Tax officers in Calicut	35
3926.	सर्कस के कलाकारों को बीमा संबन्धी सुविधायें	Insurance Facilities to Circus Artistes	35
3927.	कालीकट मेडिकल कालेज	Calicut Medical College	36
3928.	आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का विकास	Development of Roads in Hill Areas of Assam	36
3929.	मानवीय खाद्य के रूप चूहे	Rats as Human Food	36-37
3930.	नेत्रहीनों के लिए "ब्रैल" साहित्य	Braille Literature for Blind	37
3931.	भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Survey of underground Water	37
3932.	पत्रकारों के लिए क्वाटर	Accomodation for Journalists	38
3933.	दिल्ली में हिन्दुस्तान रेजिडेंशियल इस्टेट तथा ग्रीन इस्टेट कालोनीज	Hidustan and Green Residential Estate Colonies in Delhi	38
3934.	पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड	Palai Central Bank Ltd.	38-39
3935.	ओरिएन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	Oriental Fire and General Insurance Co. Ltd.	39
3936.	पंजाब में सुधारशुल्क की वसूली	Levy of Betterment Charges in Punjab	39-40
3937.	इर्विन अस्पताल में बेहोश रोगी	Unconscious patients in Irwin Hospital	40
3939.	अपर बारी दोआब नहर के मोघे	Upper Bari Doab Canal Outlets	40-41
3940.	नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली विकास अधिकरण के बीच सहयोग	Liaison between D.M.C. and D.D.A.	41
3941.	बस्तर का आदिवासी क्षेत्र	Adivasi Areas of Bastar	41-42
3942.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए परीक्षा-पूर्व भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र	Pre-Examination I.A.S. Training Centre for S.C. and S.T.	42

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3943.	दिल्ली में सिनेमा	Cinemas in Delhi	42
3944.	लखनऊ में रिजर्व बैङ्क के कर्मचारी	Reserve Bank Employees in Lucknow	43
3945.	होजीनाकल परियोजना	Hogena-Kal Project	43-44
3946.	अपर कृष्णा परियोजना	Upper Krishna Project	44
3947.	सैलमपुर (उत्तर प्रदेश) में गांजे का पकड़ा जाना	Seizure of Ganja in Salempur (U.P.)	44
3948.	कलकत्ता में घड़ियों तथा पाकिस्तानी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of watches and Pak. currency in Calcutta	44-45
3949.	सूडान को ऋण	Credit to Sudan	45
3950.	लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिये छापे मारना	Raids to Unearth Unaccounted Money	45-46
3951.	नई दिल्ली में मैसर्स लुफथान्सा एयर-लाइन्स द्वारा दिया गया किराया	Rent Paid by M/s. Lufthansa Airlines in New Delhi	46-47
3952.	सेना के कर्मचारियों का बीमा	Insurance of Army Personnel	47
3953.	राज्यों में सहायता-कार्यों के लिए सहायता	Assistance for Relief Works in States	47-48
3954.	विदेशों से ऋण	Loans from Abroad	48
3955.	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी मामले	Slum Clearance Cases in Delhi	48
3956.	गांधी सागर बिजलीघर	Gandhi Sagar Power House	49
3957.	दिल्ली में पीने के पानी के बूथ	Drinking Water Booths in Delhi	49-50
3958.	बम्बई में चांदी का बरामद होना	Silver Seized in Bombay	50
3959.	डाक्टरों की पदोन्नति के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के पुनरीक्षित नियम	Revised C.H.S. Rules for the Promotion of Doctors	50-51
3960.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के लिये विकलांग उपचार	Orthopaedic Treatment to C. G. H.S. Beneficiaries	51
3961.	परिवार नियोजन के प्राकृतिक उपायों को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Natural Family Planning Measures	51
3962.	नगर तथा ग्राम आयोजन सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी	All India Seminar on Town and Country Planning	51-52

अ० प्र० सं० विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3963. एयर इण्डिया के महाप्रबन्धक द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violation by Air India's Executive	52
3964. दिल्ली के कारखानों का स्थानान्तरण	Shifting of Factories in Delhi	52
3965. दिल्ली में भूमि की कीमत	Prices of Land in Delhi	53
3966. रोशनारा पेन्ट्स एण्ड वार्निश वर्क्स दिल्ली	Roshanara Paints and Varnish Works, Delhi	53
3967. जमींदारी उन्मूलन अधिनियम	Zamindari Abolition Act	53-54
3968 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, पटना के कर्मचारी	Employees of Central Excise Department, Patna	54
3969. निजाम सागर जलाशय	Nizamsagar Reservoir	54
3970. आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण योजनायें	Flood Control Schemes in Andhra Pradesh	55
3971. जल परियोजनायें	Water Projects	55
3972. वक्फ अधिनियम, 1954	Wakf Act, 1954	55-56
3973. पोचमपद परियोजना	Pochampad Project	56
3974. सलाल पन-बिजली परियोजना	Salal Hydro Electric Project	56
3975. बम्बई में मुद्रा तथा हीरों का पकड़ा जाना	Currency and Diamonds seized in Bombay	57
3976. मनमाड स्टेशन पर पकड़ा गया सोना	Gold seized at Manmad Railway Station	57-58
3977. इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से सोना पकड़ा जाना	Gold seized from Passengers at Allahabad Railway Station	58
3978. मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s. Bird and Co.	58
3979. मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s. Bird and Co.	58-59
3980. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की समस्या	Problem of U.P. Hill Districts	59
3981. बम्बई में फर्मों से जब्त दस्तावेज	Documents seized from firms in Bombay	59-60
3982. कलकत्ता में बालीगंज को कसाबा से मिलाने वाला ऊपरि पुल	Over-Bridge connecting Ballygung Kasba in Calcutta	60-61
3983. पंजाब में बिजली की कमी	Power shortage in Punjab	61
3984. रेलवे पुलिस कर्मचारी द्वारा अफीम का अवैध व्यापार	Illicit Trade in Opium by Railway Policemen	61

अ० प्र० सं० U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3985.	बम्बई में जल का सम्भरण	Water Supply in Bombay	61-62
3986.	बिजली से चलने वाले संगणक	Electronic Computers	62-63
3987.	ग्राम्य ऋण	Rural Credit	63
3988.	बिजली द्वारा रेलगाड़ियां चलाने के लिये दामोदर घाटी निगम से बिजली	DVC Power for Traction Purposes	63-64
3989.	बिक्री कर में वृद्धि	Increase in Sales Tax	64
3990.	कलकत्ता महासागर जल बोर्ड	Calcutta Metropolitan Water Board	65
3991.	नर्मदा परियोजना	Narmada Project	65
3992.	रोजगार सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Employment	66
3993.	दिल्ली में एक लड़की का शील भंग किये जाने का समाचार	Alleged Criminal Assault on a Girl in Delhi	66
3994.	आसाम तथा पूर्वी क्षेत्र की परिवहन समस्यायें	Transport Problems of Assam and Eastern Region	66 67
3995.	विदेशी सहायता	Foreign Aid	67
3996.	अखिल भारतीय डाक बचत बैंक सर्वेक्षण समिति	All India Post Office Savings Bank Survey Committee	67
3997.	केसरी दाल	Khesari Dal	67-68
3998.	जूट का चोरी छिपे चीन को ले जाया जाना	Smuggling of Jute to China	68
3999.	मद्रास में पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas in Madras	68-69
4000.	चीन में बनी हुई घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Watches of Chinese Origin	69
4001.	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता	Children Education Allowance to Government Employees in Delhi	69-70
4002.	रुद्रपुर में फर्मों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Firms in Rudrapur	70
4003.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग संघ	All India Federation of Scheduled Castes and other Backward Classes	70
4004.	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s. Bird and Company	71

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
4005.	नेहरू जी की स्मृति में जारी किये गये सिक्के	Nehru's Commemorative Coins	71
4006.	राजस्थान नहर का बढ़ाया जाना	Extension of Rajasthan Canal	72
4007.	वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग में हिन्दी अनुवादक	Hindi Translators in the Deptt. of Revenue, Ministry of Finance	72
4008.	वित्त मन्त्रालय में हिन्दी सहायक तथा अनुवादक	Hindi Assistants and Translators in the Ministry of Finance	72
4009.	वित्त मन्त्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अनुवादक	Translators in Economic Affairs Department of the Finance Ministry	72-73
4010.	आर्थिक कार्य विभाग में हिन्दी का कार्य करने वाले कर्मचारी	Employees doing Hindi work in Economic Affairs Department	73
4011.	नई दिल्ली में गांधी समाधि से कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Gandhi Samadhi, New Delhi	73-74
4012.	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के नाम आय कर की बकाया राशि	Income tax Outstanding against former Chief Minister of Orissa	74
4013.	बहुदा सिंचाई परियोजना	Bahuda Irrigation Project	74
4014.	मल ढोने की व्यवस्था को समाप्त करना	Abolition of Night Soil Work	74
4015.	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की कर देयता	Tax liability of former Chief Minister of Orissa	75
4016.	फर्मों द्वारा आय-कर अपवंचन	Evasion of Income-tax by Firms	75-76
4017.	आंध्र प्रदेश के ग्रामों में बिजली की व्यवस्था	Rural Electrification in Andhra Pradesh	76-77
4018.	भारत-पाक सीमा से चोरी छिपे माल लाना ले जाना	Smuggling on Indo-Pak. Border	77
4019.	समुद्री दीवार (सी वाल) का निर्माण	Construction of Sea-Wall	77
4020.	केरल में बिजली का उत्पादन	Power Production in Kerala	77-78
4021.	होमियोपैथी	Hom oeopathy	78
4022	योजनाओं की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति	Committee on Plan Projects	78-79

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
4023.	योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति	Committee on Plan Projects	79-80
4024.	योजना की परियोजनाएं	Plan Projects	80
4025.	दक्षिण दिल्ली को जल सम्भरण	Water Supply to South Delhi	81
4026.	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of S. C. & S. T. in Orissa	81
4027.	लांगिया सोनरस के लिये प्रायोगिक परियोजना	Pilot Project for development of Langia Sonras	81-82
4028.	उड़ीसा के आदिवासी जीवन का चित्रण करने वाले रूपक चलचित्र	Feature Films depicting Adivasi Life of Orissa	82
4029.	मनीभद्रा बांध परियोजना	Manibhadra Dam Project	82
4030.	केरल के क्षय रोगियों द्वारा याचिकायें	Petitions from T. B. Patients in Kerala	82-83
4031.	केरल में वृद्धावस्था पेंशन	Old Age Pension in Kerala	83
4032.	पेंशन प्राप्त लोगों की विधवाओं की याचिकायें	Petitions from Widows of Pensioners	83
4033.	कालीकट के लिये वृहद योजना (मास्टर प्लान)	Master Plan for Calicut	83-84
4034.	अध्ययन अवकाश नियम	Study Leave Rules	84
4035.	अध्ययन अवकाश नियम	Study Leave Rule	84-85
4036.	चीन में बनी हुई वस्तुओं का पाकिस्तान से चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Chinese goods from Pakistan	85
4037.	दिल्ली में महामारी का फैलना	Outbreak of Epidemics in Delhi	85-87
4038.	आगरा में हजरतपुर में बूचड़खाना	Slaughter House at Hazratpur (Agra)	87
4039.	मेडिकल कालेजों का विस्तार	Expansian of Medical Colleges	87-88
4040.	युवक कल्याण योजनायें	Youth Welfare Plans	88-89
4041.	केरल में सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता	Assistance for irrigation Projects in Kerala	89
4042.	केरल में प्रादेशिक लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें	Regional Public Health Laboratories in Kerala	89

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
4043.	कालीकट मेडिकल कालेज	Calicut Medical College	89-90
4044.	दिल्ली में भूमिगत जल निकालने के लिए नलकूप	Tube Wells for Sub-soil water in Delhi	90
4045.	केरल में समाज कल्याण विभाग	Department of Social Welfare in Kerala	90-91
4046.	केरल राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड	Kerala State Social Welfare Advisory Board	91
4047.	समाज कल्याण बोर्ड कर्मचारी संस्था, केरल	Social Welfare Board Employees' Association, Kerala	92
4048.	देश में आय की तुलना में बचत	Saving in Relation to Income in the country	92
4049.	आण्विक हथियारों के प्रभावों को निष्फल करने के लिए औषधियां	Medicines to Counteract Effects of Nuclear Weapons	93
4050.	पलाई सेन्ट्रल बैंक लिमिडेड	Palai Central Bank Ltd.	93
4051.	पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Backward Classes	93-94
4052.	पंजाब के लिये जल संभरण योजनायें	Water Supply Schemes for Punjab	94
4053.	उद्योगों को कर समंजन पत्र	Tax Credit Certificates to Industries	94
4054.	नेत्र चिकित्सा केन्द्र	Opthalmic Centres	94-95
4055.	मंत्रालयों में पार्लियामेंटरी असिस्टेन्ट	Parliamentary Assistants in Ministries	95-96
4057.	हिन्दी आफिसर्स तथा हिन्दी असिस्टेन्टों के वेतन क्रम	Pay Scales of Hindi Officers and Assistants	96
4058.	पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास	Development of Eastern U.P.	96
4059.	विस्थापित लोगों का राजस्थान नहर क्षेत्र में पुनर्वास	Rehabilitation of Oustees in Rajasthan Canal Areas	97
4060.	अध्ययन अवकाश नियम	Study Leave Rules	97
4061.	नई दिल्ली में राजौरी गार्डन में शमशान भूमि	Cremation ground in Rajouri Garden, New Delhi	97-98
4062.	ग्रामीण आय	Rural Income	98
4063.	स्वर्ण नियन्त्रण आदेश	Gold Control Order	98-99
4064.	रक्त कोष (ब्लड बैंक)	Blood Banks	99

अ० प्र० सं०	विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ /Pages
4066.	कुट्टियाडी सिंचाई योजना	Kuttiadi Irrigation Scheme	99-100
4067.	कनहिरापुभा सिंचाई योजना	Kanhirapuzha Irrigation Scheme	100
4068.	केरल में फीलपाँव रोग के रोगी	Incidence of elephantiasis in Kerala	100-101
4069.	लूप की कारगरता	Efficacy of Loop	101
4070.	विदेशी मुद्रा के विनियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violations	101
4071.	केन्द्रीय जांच अभिकरणों द्वारा छापे	Raids by Central Investigating Agencies	101-102
4072.	पांडिचेरी में आय कर की बकाया राशि	Income tax Arrears in Pondicherry	102
4073.	पांडिचेरी में बड़े उद्योग	Major Industries in Pondicherry	102-103
4074.	पांडिचेरी में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Pondicherry	103
4075.	पांडिचेरी में आदिम जातीय विकास खण्ड	Tribal Development Blocks in Pondicherry	103
4076.	पांडिचेरी में पिछड़े वर्ग	Backward Classes in Pondicherry	103
4077.	दिल्ली में जब्त की गई लोहे की चादरें	Iron Sheets seized in Delhi	104
4078.	विदेशों में फिल्मों की शूटिंग	Shooting of Films in foreign countries	104
4079.	प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारी	Employees of Enforcement Directorate	104-105
4080.	मसालों में मिलावट	Adulteration in Spices	105
4081.	नई दिल्ली में विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पतालों में ड्राइवर	Drivers in Willingdon and Safdarjang Hospitals, New Delhi	106
4082.	कन्ननूर नगर के लिए जल प्रदाय योजना	Water Supply Scheme for Cannanore Town	106
4083.	डीज़ल लोको वर्कशाप, वाराणसी में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पता लगाना	Smuggled articles detected in Diesel Loco Workshop, Varanasi	106-107

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
4084.	वेतन निर्धारण	Pay Fixation	107
4085.	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	108
4086.	भूमिहीन किसानों का पुनर्वास	Resettlement of Landless Tenants	108-109
4087.	अशोक होटल द्वारा दरों का बढ़ाया जाना	Tariff Increase by Ashoka Hotel	109
4088.	जोरा रेलवे स्टेशन पर अफीम का पकड़ा जाना	Recovery of Opium at Jaora Railway Station	109
4089.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में दाखिला	Admission to the All India Institute of Medical Sciences	109-110
4090.	अखिल केरल विश्वकर्मा महासभा से अभ्यावेदन	Representation from Akhila Kerala Vishwa Karma Maha Sabha	110
4091.	निजी चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सक	Private Medical Practitioners	110
4092.	दिल्ली में देशबन्धु गुप्त रोड पर लोहे के व्यापारी	Iron Merchants on Deshbandhu Gupta Road, Delhi	110-111
4093	उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा अपने जन्म दिवस पर प्राप्त की गई थैली पर आय कर का निर्धारण	Assessment of Income-Tax on Birthday Purse received by former Chief Minister of U.P.	111-112
4093-क	नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on New Posts	112
4093-ख	दिल्ली में मकान मालिकों और किरायेदारों के विवाद	Tenant/Landlord Disputes in Delhi	112-113
4093-ग	केरल के एक अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption charges against Kerala Official	113-114
4093-घ	जालन्धर में मकानों का अधिग्रहण	Requisitioning of Houses in Jullundur	114

प्रश्नोत्तरों में शुद्धियां :— **Corrections of Answers to**

(1) अ० प्र० सं० 3674, दिनांक 14-4-66 — (1) U. S. Q. No 3674 Dated 14-4-66

(2) अ० प्र० सं० 471, दिनांक 28-7-66 — (2) U. S. Q. No 471, Dated 28-7-66

गुरुवार, 1 सितम्बर 1966

कलकत्ता में हुंडियों का पकड़ा जाना — SEIZURE OF HUNDIES IN CALCUTTA

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
बिहार में बाढ़ के कारण हुई क्षति	Damage due to Floods	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
श्री फखरुद्दीन अहमद	Shri Fakhruddin Ahmed	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे), 1963-64	Demands for Excess Grants (Railways), 1963-64	
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	
मूल्य-वृद्धि रोकने आदि के उपायों के बारे में याचिका	Petition Re. Measures to check rise in prices etc.	
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices	
त्रिपुरा में उपद्रव	Disturbances in Tripura	
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Order	
सदस्य के सभा भवन छोड़कर चले जाने के बारे में	Re. Withdrawl of Member	
(श्री स० मो० बनर्जी)	(Shri S. M. Banerjee)	
श्री याज्ञिक संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में वक्तव्य	Statement re. Health of Shri Yajnik, M. P.	
(श्री नन्दा)	Shri Nanda	
प्रतिरक्षा मन्त्री के वक्तव्य के बारे में	Re. Statement by Defence Minister	
पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Bill	
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2,3, and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
(श्रीनन्दा)	Shri Nanda	
दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक	Delhi High Court Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री हाथी	Shri Hathi	
श्री बड़े	Shri Bade	
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh	
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	
श्री राधे लाल व्यास	Shri Radhelal Vyas	
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao	
खण्ड 2 से 21, 1 तथा अनुसूची	Clauses 2 to 21, 1 and the scehedule	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
लोक प्रतिनिधि (संशोधन) विधेयक	Representation of the people (Amendment) Bill	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to Refer to Joint Committee	
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G.S. Pathak	
श्री प्र० के० देव	Shri P.K. Deo	
भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Situation on India Pakistan Border	
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y.B. Chavan	
कलकत्ता में हुंडियों के पकड़े जाने के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Seizure of Hundies in Calcutta	
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 1 सितम्बर 1966 / 10 भाद्र, 1888 (शक)

Thursday, September 1, 1966 / Bhadra 10, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWER TO QUESTIONS

Rehabilitation of Farmers of Himachal Pradesh and Punjab.

+
*778. **Shri Bibhuti Mishra** : **Shri K. N. Tiwary** :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that 3.5 lakh acres of land has been earmarked in the Rajasthan Canal area for the rehabilitation of farmers of Himachal Pradesh and Punjab, who have been displaced ; and

(b) if so, whether Government propose to earmark land for the displaced persons in the other sectors also ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए राजस्थान सरकार का राजस्थान नहर क्षेत्र में 3. 25 लाख एकड़ भूमि अलग रखने का विचार है।

(ख) : जी, नहीं।

Shri Bibhuti Mishra : In what proportion this three lakh acres of land is going to be distributed amongst those people ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान नहर क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र में लोगों की बस्ती नहीं है। पोंग बांध और राजस्थान नहर से सम्बन्धित अन्य परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों को वहां पर भूमि दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, इन व्यक्तियों को राजस्थान और देश के कुछ अन्य भागों से भूमि दी जायेगी।

श्री विभूति मिश्र : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैंने अनुपात के बारे में पूछा है।

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : This has not been decided as yet. At present the two Governments are discussing as to how much land Rajasthan Government can give. The Punjab Government will be informed about it and then the Punjab Government will decide as to how much land should be given to every cultivator. Now the Chief Minister of Rajasthan has stated that the matter is under consideration of the Expert Committee which will give its report by September and then this question will arise as to whether this much land is required for rehabilitation or not.

Shri Bibhuti Mishra: Apart from land what other kinds of assistance will be given to the displaced persons so as to enable them to raise crops properly?

Shri Fakhruddin Ahmed: Apart from land the facilities of water, road, school etc. will be given.

Shri K.N. Tiwary: Just now the hon. Minister stated that this matter of displaced persons has been referred to a Committe and that negotiations are going on with the two Governments. What are the terms of reference of the committee and when this will be finalised so as to provide facilities to these people without causing any further trouble to them?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने निम्न परिवर्तनों का सुझाव दिया है उनके परिणाम स्वरूप 29 लाख एकड़ में से लगभग 22 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई पहले चरण में हो जायेगी। इस से राजस्थान नहर के पानी का उपयोग जल्दी होने लगेगा।

Shri Fakhruddin Ahmed: In the recent meeting the Chief Minister of Rajasthan had stated that instead of extensive irrigation facilities intensive irrigation facilities should be given as it would yield greater benefits to the people and augment the production also. He also put forth certain schemes which we have referred to the Expert Committee which is examining them. At the end of this month after the report is received it will be decided as to how far the Rajasthan Canal is to be extended and whether the work should be commenced in accordance with the intensive scheme.

Shri Kashi Ram Gupta: Just now the hon. Minister stated that the Chief Minister of Rajasthan has given a new scheme. Under the previous scheme it was envisaged that an area of 50 lakh acres of land will be irrigated. Now under the new scheme there will obviously be a reduction in the irrigated area. So I want to know whether it will also have a bearing upon the allocation of land to Punjab for the resettlement of oustees and in case it will reduce the earmarked land of 3.5 lakh acres for Punjab, where those oustees are proposed to be resettled.

डा० कु० ल० राव : राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने जो योजना सुझाई है वास्तव में उसके अनुसार पहले चरण में ही 29 लाख एकड़ भूमि में से लगभग 22 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हो जायेगी। इससे राजस्थान नहर के पानी का उपयोग शीघ्र किया जा सकेगा।

Shri Kashi Ram Gupta: Will this modification have any effect ?

Mr. Speaker: Definitely.

डा० कु० ल० राव : पंजाब और राजस्थान के बीच यह तय पाया है कि इन परियोजनाओं के क्षेत्रों से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को 3.25 लाख एकड़ भूमि दी जायेगी। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि 78 प्रतिशत भूमि को पानी दिया जा सकेगा; अब इसको बढ़ा कर 100 प्रतिशत किया जा रहा है—बहुत संभव है कि सिंचाई क्षेत्र में कमी हो जाये, परन्तु कितनी होगी यह अभी निश्चित नहीं है।

Shri Buta Singh: What is the number of those farmers and land less labourers who have been rendered homeless due to Pong dam and other dams and whether the rehabilitation programmes of the Government will cover the landless labourers also ?

Shri Fakhruddin Ahmed: The farmers are definitely included but besides them landless labourers have also been given consideration.

Shri Bhagwat Jha Azad : In view of the experience of displaced persons in Bihar due to such schemes, may I know whether the amount of money referred by you is an interim grant or whether the Government have undertaken to make complete arrangements for the rehabilitation of persons displaced due to this river project?

Shri Fakhruddin Ahmed : As regards their rehabilitation, this matter is between the two Governments of Punjab and Rajasthan. No uniform policy can be framed for this. As and when a contingency arises, measures will be thought out accordingly.

श्री दे० जी० नायक : पाकिस्तान से लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति बेघर हो गये हैं, क्या उनके पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय रक्षा कोष में से कोई राशि व्यय की जायगी ?

Shri Fakhruddin Ahmed : The question of that does not arise.

Shri Bagri: What is the total number of families in Punjab and Rajasthan to be uprooted under this scheme and whether they will be rehabilitated by uprooting the already settled cultivators and if so, what arrangements have been made for their rehabilitation ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान नहर परियोजना के चारों भागों में कुल मिला कर लगभग 35,000 व्यक्ति विस्थापित होंगे और इन सभी व्यक्तियों को सम्भवतः फिर से बसाया जायगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारा दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहा है कि प्रशासनिक विलम्ब और सरकार की अनिश्चितता के कारण इन उजड़े हुए किसानों को अधिक समय तक भारी कष्ट उठाना पड़ा है । यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार इस बार क्या पूर्वोपाय करने जा रही है कि किसानों को न केवल भूमि ही दी जाये अपितु अन्य सुविधाएं भी दी जायें ताकि वे अपने आपको अच्छी तरह बसा सकें ?

श्री फखरुद्दीन अहमद : जैसा कि मैंने पहले बताया पीने के पानी, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की व्यवस्था के मामले में सभी आवश्यक सुविधाएं दी जायेंगी ।

Shri Bagri: Are the statements of the both the Ministers not contradictory? Shri Buta Singh had asked whether both will be rehabilitated, but Dr. K. L. Rao has replied about farmers only.

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether in view of the fact that a cut of Rs. 100 crores has been made in the Rajasthan Canal Project without affecting the area of land to be given to the displaced persons, this cut in amount will affect the landless farmers of Rajasthan, if so, where they are going to be provided with land ?

Shri Fakhruddin Ahmed : It will not affect them.

श्री हेमराज : क्या यह सच है कि दो महीनों के अन्दर पोंग बांध के कारण जो 100 परिवार बेघर होने वाले हैं उनको राजस्थान में भूमि नहीं दी गई है, और उस क्षेत्र में जो खेतिहर मजदूर बेघर होने वाले हैं उनके सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में सारा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है, उसको केवल

अन्तिम रूप देना बाकी है। हम इन विस्थापितों को यथा शीघ्र बसाने के इच्छुक हैं क्योंकि हमारे पास दो नहरें होंगी जो कि अगले कुछ महीनों में सिंचाई के लिये पानी देने लगेंगी।

Indian Audit and Accounts Department Employees Union

\+

*779. **Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri P. Kunhan :**
Shri Bagri ; **Shri Vasudevan Nair :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Solanki :**
Shri Kishen Pattnayak : **Shri N. Dandekar :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to his statement on the 9th March, 1966 regarding Hunger Strike by the employees of the Indian Audit and Aceounts Department and state:

(a) whether Government have since received the report of the Conference of all India Audit and Accounts office Employees' Union held at Ranchi;

(b) whether Government have recommended to the Comptroller and Auditor General, in accordance with the assurances given by it, to reeognise the Union; and

(c) The reaction of the Comptroller and Auditor General thereto?

The Deputy Minister of Finance (Shri L. N. Mishra):

(a) Yes, Sir.

(b) No such assurance was given. However, the C. & A. G. was advised to deal with the Association and its office bearers on the basis of **de facto** recognition as there are no rules at present under which formal recognition can be accorded.

(c) The C. & A. G. is considering the matter in discussion with the Home Ministry. He has also written to the Association with a view to seeing that the necessary steps are taken to get it recognised **de facto.**

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री ने अभी कहा कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। क्या मैं आपका ध्यान 9 मार्च 1966 की एक ध्यान आकर्षण सूचना के उत्तर में माननीय वित्त मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन की ओर दिला सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक गलत उत्तर हो सकता है। यह कोई नियम नहीं है; मुझे इसका निर्वचन नहीं करना है .... **(व्यवधान)**।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है। यह प्रश्न माननीय वित्त मन्त्री द्वारा 9. 3. 1966 को दिये गये एक उत्तर पर आधारित है; हमने सब्र से इन्तजार किया। इस प्रश्न पर चर्चा के दौरान माननीय वित्त मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि संस्था की एक बैठक हो जाने के बाद और इसकी कार्यकारिणी समिति और पदाधिकारियों के चुने जाने के बाद वास्तविक मान्यता देने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा; इसको नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक पर नहीं छोड़ा गया था, परन्तु इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था। क्या अब मन्त्री महोदय को दूसरे तरीके से कार्य करने की स्वतन्त्रता है ? मैं आपका विनिर्णय चाहता हूँ। क्या वह पिछले आश्वासन से विचलित हो सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों का मामला नहीं है कि मैं इस पर विनिर्णय दे सकता हूँ।

श्री हेम बरुआ : परन्तु सदस्य आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह एक पृथक बात है; उसके लिये एक पृथक प्रक्रिया है । डा० लोहिया ।

Dr. Ram Manohar Lohia : There is a contradiction in what the hon. Minister has stated just now and the decision taken by the Home Ministry in May, 1965 to the effect that a union conforming to the rules, which though abrogated, will be given defacto recognition. In view of this and also in view of the fact that the union had submitted a list of its office bearers and members of the working committee to Government as desired by the Finance Minister, may I know why the union has not been recognised despite the fact that all the conditions laid by the Government have been fulfilled ?

Shri L. N. Mishra: I would like to reply to Shri Banerjee and Doctor Lohia at one and the same time. Either Shri Banerjee did not try to understand the answer or perhaps he has misunderstood it. It is not that we do not want to recognise. The assurance given by the Finance Minister on the 9th March stands even now. Some days back they were told that they would be given defacto recognition. There is difficulty in giving the formal recognition. According to the judgment of the Supreme Court we cannot give formal recognition in that condition, but we are desirous of giving defacto recognition. We have told them and he is going to meet them.

Dr. Ram Manohar Lohia: Why dont you announce now that you are giving them defacto recognition ?

Shri L. N. Mishra: That we cannot do.

Dr. Ram Manohar Lohia: Then who can do it ?

Shri S. M. Banerjee : Was not the assurance given by you in Parliament ?

Shri L. N. Mishra: I cannot give the recognition. It will be discussed mutually between the owners and the employees there. We the Ministers do not go there to give them advice. We sent our opinion from here that they may be given defacto recognition and it is hoped that it will be given. But how can I commit here that it will be given ?

Dr. Ram Manohar Lohia: What are the total emoluments of the lowest paid employee as also of the highest paid officer in the Audit?

Shri L. N. Mishra: The main question, Sir, is regarding the giving of recognition. As regards the disparity in pay, I am to submit that it will be in accordance with the present social set up in the country.

Mr. Speaker : The question was regarding giving of recognition; at this time he cannot tell about emoluments and disparity etc.

Dr. Ram Manohar Lohia: It is correct that he cannot tell now regarding the disparity in pays, but you should direct the Ministers to come prepared here with atleast the basic and ordinary knowledge of the subject.

Mr. Speaker: It is reasonable to expect that they should come prepared with the necessary information. But the main question was regarding recognition and now he does not have the information regarding the highest and the lowest pay.

Shri Bagri: The hon. Minister has stated in his reply that they do not have the authority to give recognition to their union. As these employees are Government employees, I want to know who has got the power to give them recognition. If so, what will be relationship between the Minister and the officers who grant recognition.

Shri L. N. Mishra: The relations are very cordial. We do not interfere in their daily affairs. It was a matter of policy that whether we should accord them **de facto** recognition or **de jore** recognition. It was thought proper to accord them **de facto** recognition. They are doing it and it is in their benefit also. Their election took place in 1960 and they selected

office bearers in 1963 but during this period, no election for office bearers was held. Now they have taken decision on these issues and the Government was informed in April. The Government decided to accord recognition. There is no difference on principle between the Government and them.

Shri Bagri : Who would accord recognition to Government employees. The hon. Minister has said that they are not being recognised. He should have at least make a declaration that they are being accorded recognition.

Shri Madhu Limaye: Last time I asked a question from the hon. Minister of Finance that whether after the new election, recognition would be accorded immediately. I am sorry to state that recognition has so far not been accorded. It is a fact that Auditor General is appointed by the President and the rules for employees there are made no recommendation by the President but so far as the question of union is concerned, whether some such rule is going to be made which will cover all the employees irrespective of department. If such rule is there, when and how the same is going to be implemented ?

Shri L. N. Mishra : Actually I have not got experience on this subject. When I was incharge of labour, it was there that in what circumstances recognition should be granted and in what circumstances recognition should not be granted. But as the hon. Minister replied last time I still say that Government has ordered for the **de facto** recognition.

Shri Madhu Limaye : When the recognition is going to be accorded?

Shri L. N. Mishra: I cannot tell any definite date. It is also likely that they had already got the recognition. But there were certain happenings in 1958 on account of which recognition was not granted.

Shri Kishen Pattnayak: The Government stated on the floor of the house on the 9th March that rules regarding recognition are on the point of being finalised. Have the rules been finalised; if not why not and what is the machinery at present for hearing their grievances ?

Shri L. N. Mishra : This union was recognised but due to certain activities in 1958, they could not be recognised.

Shri Kishen Pattnayak: He has not said when the rules will be finalised. Last time it was said that it was on the point of being finalised.

Mr. Speaker: When the rules be finalised ?

Shri L. N. Mishra : There are two-three things. It will take time to tell all this.. (interruptions)

Mr. Speaker: Shri Vasudevan Nair.

Shri Ram Sewak Yadav : The question has not been replied to.

Mr. Speaker : When the hon. Minister starts replying commentary goes on incessantly.

Shri Madhu Limaye: If our questions are replied, we would not speak at all unnecessarily. We want to know dates when the recognition would be accorded, when the rules will be finalised. No reply is being given. I want your protection.

Mr. Speaker: I dot not think what can I do. He is constantly saying the rules have not been finalised. He cannot give dates. People interrupt and not lisen to the reply... (interruption) This will not go on record.

Shri Madhu Limaye : * *

Shri Ram Sewak Yadav: * *

Shri Bagri : * *

Mr. Speaker: I cannot call all at one time. Unless silence is observed I cannot listen. Shri Ram Sewak Yadav.

Shri Ram Sewak Yadav : The rules have not so far been finalised. We want to know that till the rules are finalised what is the machinery there to redress their grievances. By when the rules are likely to be finalised.

Shri L. N. Mishra: We are trying to finalise rules. So far they have not been finalised and I cannot give any definite date. But so far as redressing grievances is concerned, there are two ways. Firstly we are going to accord **de facto** recognition to their union. We have already had a discussion with the Auditor General in this connection. Secondly we are thinking of setting up joint consultative machinery. But Members here bring outside matters.

Shri S. M. Banerjee: I only interrupted and asked whether they are not included in the JCM. Is it open to him to say like that? He said that Members bring outside matters. It is wrong to say like that. This is a simple question which has not been replied to.. (interruptions)

Mr. Speaker : I shall not call such members who go on interrupting like that. Shri Vasudevan Nair.

Shri S. M. Banerjee : On a point of order.

Mr. Speaker: Will Shri Banerjee not take his seat?

Shri S. M. Banerjee : This is my insult. The hon. Minister is not giving us information and saying that Members bring outward matters.

Mr. Speaker: There is no question of insult.

Shri S. M. Banerjee: He is telling a lie. He is a lier.

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति । श्री वासुदेवन नायर ।

Shri Vasudevan Nair : कुछ दिन पहले मुझे इनकी एक बड़ी सभा में शामिल होने का अवसर मिला था . . .

Shri Sheo Narain : He says the Minister is a lier. What is this ?

श्री सिंहासन सिंह : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । माननीय सदस्य, श्री बनर्जी ने कहा है कि "मिनिस्टर झूठा है" क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना संसदीय है ? क्या इस प्रकार वह एक सदस्य होने के नाते अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं । यदि उन्होंने बाहर ऐसी बात कही होती तो उन पर मानहानि के लिये दीवानी या फौजदारी अदालत कार्यवाही की जाती । क्या ऐसा कहना, इस सभा का सदस्य होने के नाते, उनके विशेषाधिकार में आता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका उत्तर अभी नहीं दे सकता । यदि इसका सूचना दी जाये तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ । अन्यथा, मैं कई बार अपना निर्णय बता चुका हूं कि यह शब्द संसदीय नहीं है । इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये और किसी भी सदस्य के लिये इस शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है ।

*रिकार्ड नहीं किया गया/Not recorded.

श्री भागवत झा आजाद : यदि यह गलत है तो इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ।

Shri S. M. Banerjee: He is saying a wrong thing. I withdraw the word "Jhoota". But he is telling a lie.

Mr. Speaker: I ask Shri Banerjee to leave the house.

Shri Madhu Limaye : He has withdrawn the word and even now you are asking him to leave the house.

Mr. Speaker: Inspite of my repeated warnings he is not prepared to stop.

श्री उमानाथ : जब उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं तो उन्हें बाहर जाने को क्यों कहा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कार्यवाही में बाधा डाली है । मैंने उन्हें लगभग छः बार कहा कि वह बैठ जायें । वह नहीं बैठे और अन्तर्बाधा डाल रहे हैं । इसलिये मैंने उनसे बाहर चले जाने को कहा ।

Shri Bagri: This is not proper. You always apply this procedure that when any one raises a question, he is asked to go out. (Interruption)

Mr. Speaker: Inspite of my repeatedly asking him to resume his seat, he was continuing on interrupting.

Shri Bagri: Let him take part in proceedings.

[इसके पश्चात श्री स० मो० बनर्जी सदन त्याग कर चले गये ।
Shri S. M. Banerjee then left the House.]

श्री वासुदेवन नायर : कुछ दिन पूर्व मुझे इन कर्मचारियों की बड़ी सभा में जाने का अवसर मिला था । मैंने जो कुछ समझ पाया वह यह कि भूतपूर्व नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक इस संस्था को मान्यता देने के मार्ग में बाधक थे । उनके प्रतिनिधि यह कह रहे थे कि अब जब कि वह सेवा-निवृत्त हो गये हैं और उनके स्थान पर नये नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक आ गये हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रांची सम्मेलन में उन्होंने वह सब कुछ किया है जो मन्त्री महोदय उनसे चाहते थे, अब उनको मान्यता मिल जायेगी । क्या इस नयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार समूचे मामले पर पुनर्विचार कर रही है और वे इस संघ को मान्यता देंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : कुछ दिन पहले ही इस संघ को सूचित किया गया है कि उनको यथार्थतः (डि फेक्टो) मान्यता देने के बारे में कार्यवाही की जा रही है । इससे इन्कार करने का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने यह कहा था कि संयुक्त समझौता व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । लेकिन विपक्षी सदस्य ने कहा कि यह बात सच नहीं है । मैं उन लोगों को, जो सरकारी कर्मचारी संघ को मान्यता दिलाना चाहते हैं, यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह पहले की घटनाओं पर भी विचार करें । पहले की घटनाएं अच्छी नहीं हुई हैं । (अन्तर्बाधा)

श्री रंगा : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की सराहना करता हूँ । मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा कि जब वह श्रम मन्त्रालय के प्रभारी थे, तब भी यह प्रश्न उठा था । अब भी यह प्रश्न उठा है । पिछले छः सात वर्षों से यह संकट है । हममें से बहुत से इन लोगों को हड़ताल करने

अथवा अन्य कार्यवाही करने से रोक रहे हैं। संसद् भी यह चाहती है कि इस कार्यालय में सौहार्द पूर्ण ढंग से काम हो। अतः अन्य विभागों और नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालय के बीच सम्बन्धों को देखते हुए क्या सरकार ने राष्ट्रपति, सभापति और अध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने को कहने की संभावना पर विचार किया है अथवा करेगी कि इस कार्य में और विलम्ब न हो और नियमावलि बनाने और मान्यता देने के बारे में शीघ्र कार्यवाही की जाये अथवा नियमावलि बनने से पूर्व उनको मान्यता प्रदान कर दी जाये ताकि इस कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सकें ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम इस मामले में सभी प्रकार की सहायता का स्वागत करेंगे। लेकिन स्थिति इतनी खराब नहीं है जैसी प्रोफेसर रंगा ने बताई है . . . (**व्यवधान**) सरकार ने इस बारे में कोई ढील नहीं दे रखी है। वास्तव में 1956 में मान्यता दी गई थी। लेकिन स्वस्थ कार्यवाही न किये जाने के कारण यह मान्यता 1956 में वापस ले ली गई थी। इतने में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और हमें इसको मान्यता देने का अधिकार नहीं रहा। अब तक वही स्थिति चली आ रही है। इसलिये हमने अब दूसरी बात यह सोची है कि इनको यथार्थतः (डि फेक्टो) मान्यता प्रदान कर दी जाये। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है हम सब उन्हें मान्यता देना चाहते हैं हम सब उनकी भरसक सहायता करना चाहते हैं। एक संयुक्त समझौता व्यवस्था भी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि स्थिति काफी सुधर गई है। लेकिन यदि हमें कोई सहायता मिली तो हम उसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री उमानाथ।

श्री उमानाथ : श्रीमन्, मैं कई बार खड़ा हो चुका हूँ।

कुछ माननीय सदस्य **उठे—**

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं। इस प्रश्न पर 25 मिनट लग चुके हैं। मैं और अधिक समय नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे सूचना देकर पृथक से चर्चा की मांग कर सकते हैं।

श्री उमानाथ : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं कभी इस प्रकार आग्रह नहीं करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूँ कि वह कई बार खड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं उनको अवसर नहीं दे सकता।

श्री उमानाथ : इस पर चर्चा कराने का केवल एक ही तरीका है कि आधे घन्टे की चर्चा की सूचना दी जाये। सचिवालय से पता चला है कि इस सत्र में बड़ी संख्या में आधे घन्टे की चर्चा की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अतः इस सत्र में इस चर्चा के होने की आशा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को अवसर दूँगा।

बिजली तथा सिंचाई कार्यों के लिये नदियों का उपयोग

\+

*780. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री प्रभात कार :**
श्री वारियर : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में देश की नदियों का सिंचाई कार्यों तथा बिजली बनाने के लिये कहाँ तक उपयोग किया गया है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अभी इनका किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है और क्या सरकार ने इसके लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बना रखा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (ग) :

सिंचाई

देश में, अनुमान है, लगभग 136 करोड़ एकड़ फुट नदी जल संसाधन उपलब्ध हैं किन्तु भौताकृतिक स्थितियों के कारण केवल लगभग 45 करोड़ एकड़ फुट को ही सिंचाई के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। 1951 तक केवल लगभग 7.6 करोड़ एकड़ फुट अथवा उपयोग्य वार्षिक जल प्रवाह का 17 प्रतिशत भाग ही प्रयोग में लाया गया था। तृतीय योजना के अन्त तक यह बढ़ कर लगभग 15 करोड़ एकड़ फुट अथवा उपयोग्य जल प्रवाह का 33 प्रतिशत तक हो गया।

चतुर्थ योजना के दौरान 5 करोड़ एकड़ फुट के और प्रयोग में लाये जाने की संभावना है। इस से चतुर्थ योजना के अन्त तक कुल 20 करोड़ एकड़ फुट अथवा उपयोग्य जल प्रवाह का लगभग 45 प्रतिशत जल प्रवाह प्रयोग में लाया जायगा। चतुर्थ योजना की स्पिलोवर परियोजनाएँ 50 लाख एकड़ फुट और जल का उपयोग करेंगी। इस प्रकार 200 एकड़ फुट पानी आगे उपयोग के लिये बच जायेगा।

बिजली

देश में, अनुमान है, 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 410 लाख के० डब्ल्यु० की पन बिजली शक्यता है जिसमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक केवल लगभग 1 प्रतिशत बिजली उत्पन्न की गई थी। गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 7 प्रतिशत अतिरिक्त पन बिजली पैदा की गई। इस प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 8 प्रतिशत बिजली पैदा की गई।

चतुर्थ योजना के आरम्भ में लगभग 92 प्रतिशत ऐसी पन बिजली शक्यता बाकी रही जिसको बिजली की उत्पत्ति में परिणत न किया जा सका। चतुर्थ योजना के दौरान पन बिजली शक्यता का लगभग 6 प्रतिशत भाग बिजली में परिणत हो जायेगा, ऐसी संभावना है। उन स्कीमों पर कार्य चालू रहेगा जिनके पूर्ण हो जाने पर पन बिजली शक्यता का 5·2 प्रतिशत अतिरिक्त भाग बिजली में परिणत हो जायेगा। इन सभी से देश की पन बिजली शक्यता का लगभग 19 प्रतिशत भाग ही बिजली में परिणत किया जायेगा। पन बिजली शक्यता के बाकी 81 प्रतिशत भाग को बिजली में परिणत करने के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान यथा संभव अधिकाधिक पन बिजली स्थलों के अनुसन्धान पर बल दिया जा रहा है ताकि भविष्य में कार्यन्वनार्थ बहुत ही किफायती स्कीमों का चयन किया जा सके।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : माननीय मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य से पता चलता है कि सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिये कुल सिंचाई शक्यता की केवल 33 प्रतिशत का उपयोग किया गया और पन बिजली शक्यता की 8 प्रतिशत पन बिजली उत्पन्न की गई । क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्यों के वित्तीय साधन सीमित हैं और वे 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत की योजनायें क्रियान्वित नहीं कर सकते ? इस बात को ध्यान में रखते हुए 50 करोड़ से अधिक लागत वाली योजनाओं को, जैसे मैसूर में 120 करोड़ रुपए की लागत की अपर कृष्णा योजना, केन्द्र द्वारा आयोजित योजनायें बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ? राज्य सरकार सीमित वित्तीय साधनों के कारण इसे क्रियान्वित करने में असमर्थ है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के स्थान पर भाषण दे रहे हैं ।

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि यदि धन उपलब्ध होता, तो हम और अधिक परियोजनायें आरम्भ कर सकते । इन प्रमुख परियोजनाओं में से कुछ को हाथ में लेना अथवा उनके कार्य की प्रगति तेज करने में उनकी किस प्रकार सहायता की जाय, यह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : कुछ नदी पानी विवादों के कारण, जैसे कृष्णा-गोदावरी पानी विवाद, सिंचाई और विद्युत् योजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब हुआ है । इसलिए क्या राज्यों के बीच पानी अथवा नदियों सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिये कोई विधान बनाया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि इस विवाद के कारण कृष्णा-गोदावरी नदियों से सम्बन्धित कोई भी परियोजना नहीं रुकी है ।

श्री वासुदेवन नायर : कुछ दिन पहले माननीय मन्त्री का वक्तव्य पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि केरल, मद्रास और मैसूर के बीच केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी के प्रयोग किये जाने के बारे में विवाद हैं। विवाद क्या है तथा किन नदियों के बारे में है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : यह सच है कि पश्चिम की ओर बहने वाली इन सभी नदियों के बारे में मद्रास सरकार और केरल सरकार के बीच विवाद है । यह निश्चय किया गया कि केन्द्रीय मन्त्री की सहायता से दोनों सरकारें इस मामले पर बातचीत करें । लेकिन दुर्भाग्य से केरल में लोकतन्त्रीय सरकार नहीं है और इसलिए मामले में प्रगति नहीं हो पाई है । फिर भी हम इस मामले में आगे कार्यवाही कर रहे हैं और मद्रास सरकार से मुझे यह अन्तिम सूचना मिली थी कि वे केरल सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और उनसे अन्तिम रुप से बातचीत हो जाने पर हमें नवीनतम स्थिति बतायेंगे ।

Dr. Ram Manohar Lohia: The hon. Minister just now stated that there was no democratic Government in Kerala, if that is so; what form of Government is there ?

श्री फखरुद्दीन अहमद : राज्यपाल का शासन ।

श्री प्रभात कार : छोटी नदियों से, जिनसे मेरे राज्य के विभिन्न गांवों में सिंचाई की जाती थी और जिनमें अब गाद जमा हो गई है, गाद निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि उन्हें फिर से सिंचाई के लिये प्रयोग किया जा सके ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि कुछ नदियों में, विशेष रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियों में, बहुत गाद होती है और वह जमा हो जाती है । हम यंत्र लगा रहे हैं जिसमें गाद निकाली जा सके । हम इस ओर बराबर ध्यान दे रहे हैं । अभी किसी परियोजना पर अत्यधिक गाद के कारण प्रभाव पड़ने का पता नहीं चला है ।

Shri R. S. Pandey: May I know the names of irrigation and power projects in Madhya Pradesh, which were taken up during Second Five Year Plan but could not be completed even till the end of Third Plan ?

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि मध्य प्रदेश में परियोजनाओं की, विशेष रूप से तवा परियोजना की प्रगति बहुत तेज नहीं रही है क्योंकि धन एक विद्युत परियोजना में लगा दिया गया था । मैं आशा करता हूँ कि चौथी योजना में स्थिति अधिक अच्छी होगी ।

श्री यलमंदा रेड्डी : क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार से नागार्जुनसागर परियोजना का काम पूरा करने के लिये कुछ और धन देने की प्रार्थना की थी और क्या उनकी प्रार्थना स्वीकार न किये जाने के कारण राज्य सरकार इस परियोजना का काम बन्द करने वाली है और इंजीनियरी कर्मचारियों को निकालने वाली है; यदि हां, तो नागार्जुन-सागर परियोजना का कार्य जारी रखने के लिये इस सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि इस वर्ष नागार्जुन-सागर परियोजना को सीमित राशि मिली है और आन्ध्र प्रदेश ने और अधिक धन मांगा है । केन्द्रीय सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है । मैं आशा करता हूँ कि कुछ परिणाम निकलेगा ही ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या मन्त्री महोदय इस समय यह बता सकते हैं कि राज्य-वार अथवा बेसिन-वार अथवा नदी-वार सिंचाई और विद्युत शक्यता का ब्यौरा क्या है और इसमें से कितनी शक्यता प्रयोग की गई और यदि इस समय नहीं बता सकते तो क्या सभा पटल पर इसका विवरण रखने की कृपा करेंगे ?

डा० कु० ल० राव : हमारे पास आँकड़े हैं और माननीय सदस्य को दे देंगे ।

श्री बड़े : विवरण में यह कहा गया है कि पन बिजली शक्यता के बाकी 81 प्रतिशत भाग को बिजली में परिणत करने के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम नहीं है और केवल 19 प्रतिशत भाग ही बिजली में परिणत किया जायेगा । क्या चौथी योजना में नर्मदा घाटी परियोजना और तवा परियोजना को पूरा किया जायेगा अथवा महाराष्ट्र और गुजरात के बीच इनपर विवाद ही चलता रहेगा ?

डा० कु० ल० राव : यह 81 प्रतिशत तो उन पन बिजली परियोजनाओं के बारे में है, जिनके परियोजना जाँच अथवा परियोजना प्रतिवेदन नहीं हैं । तवा परियोजना जैसी ये सब परियोजनायें सिंचाई क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई हैं । इसके बारे में कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । हमारी पन बिजली की 410 लाख किलोवाट की शक्यता है और हमने अब तक 19 प्रतिशत के लिये परियोजनायें मंजूर की है । शेष का अभी तक उपयोग किया जाना है ।

Shri Sheo Narain: All the Nepal rivers flowing into India bring floods with them resulting in havoc in Bihar and U. P. May I know the measures taken by Government to check the floods?

Shri Fakhruddin Ahmed: Hon. Member must be aware that work on Kosi and

Gandak, the two big Nepal rivers flowing into India, has already been started. Work on Kosi has been nearly completed whereas work on Gandak is progressing at a rapid pace.

Shri Yashpal Singh : In no powerful country rivers are allowed to flow uncontrolled. The Germans have controlled The Rhine like a canal. According to the agricultural experts if the Ganges and the Yamuna is properly embanked we can reclaim 75 lakh acres of land. Now we are neither exploiting the irrigation potential of these rivers nor reclaiming 75 lakh acres of land. Will this work be started from U. P. since both these rivers flow in U. P. ?

डा० कु० ल० राव : सौभाग्य से भारत में बहुत सी नदियाँ है न कि रहाइन की तरह बहुत से देशों में एक ही नदी। यह सच है कि इन नदियों का उपयोग किया जाना चाहिये। लेकिन इसके लिये काफी वित्तीय विनियोजन चाहिए, इसलिए इसे चरण बद्ध रूप में अनेक वर्षों में करना होगा।

श्री बासप्पा : जहां तक बिजली तैयार करने का सम्बन्ध है, यह न केवल मैसूर में अपितु अन्य राज्यों में भी बहुत कम हो रहा है। शारावती परियोजना के नवें और 10 वें यूनिट को तथा हरंगी और हेमावती सिंचाई परियोजना को मन्जूरी क्यों नहीं दी गई है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृष्णा नदी का पानी उचित रूप में बांटा नहीं गया है, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायगी ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने जिन परियोजनाओं का उल्लेख किया है, उन सभी की विभिन्न स्तरों पर जांच तथा अन्य कार्यवाही की जा रही है।

श्री कंडप्पन : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि कुल उपलब्ध जल संसाधनों में से एक तिहाई को ही, अर्थात उपयोग्य जल के 45 करोड़ एकड़ फुट को ही, प्रयोग में लाया जा रहा है, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में इतनी कम प्रगति को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में सिंचाई वाले क्षेत्र को काफी बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

डा कु० ल० राव : विवरण में यही कहा गया है। हम 33 प्रतिशत को प्रयोग में ला रहे हैं और 10 करोड़ एकड़ फुट और पानी के लिये परियोजनायें मंजूर की जा चुकी हैं। उनका कार्य चल रहा है। जिसके पूरा होने में 10 वर्ष और लगेंगे।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा की कि कृष्णा-गोदावरी विवाद के कारण कोई भी सिंचाई योजनायें रुकी नहीं। क्या यह केवल माननीय मंत्री के राज्य के बारे में ही सच है अथवा सभी राज्यों के बारे में है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार को लोकतन्त्रात्मक रूप से चुनी गई काम कर रही सरकार से कृष्णा-गोदावरी पानी विवाद को न्यायिक मध्यस्थता के लिये सौंपने की कोई सूचना मिली है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री फखरुद्दीन अहमद : हम प्रान्तीयता की भावना न रख कर अखिल भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हैं और जो कुछ संभव होता है, करते हैं।

डा० कु० ल० राव : कृष्णा-गोदावरी विवाद के बारे में माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1951 में, जब स्वर्गीय श्री गाडगिल सिंचाई और विद्युत मन्त्री थे, एक समझौता हुआ था। 1960 में फिर विवाद हुआ और यह तब से चला आ रहा है। तत्कालीन सिंचाई

और विद्युत् मन्त्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने 1963 में जाँच-पड़ताल के बाद एक वक्तव्य दिया । मार्च, 1963 के वक्तव्य के बाद अब फिर महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रकार का अभ्यावेदन किया है । महाराष्ट्र सरकार ने मध्यस्थ निर्णय के लिये कहा है न कि मैसूर सरकार ने अथवा अन्य किसी सम्बन्धित राज्य ने ।

सरकार ने इस मामले पर कई बार विचार किया है । संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जब तक सरकार को संतोष नहीं होता कि शान्तिपूर्ण बातचीत से मामला हल होना संभव नहीं है, मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये नहीं सौंपना चाहिये । सरकार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

श्री वाजी : क्या नर्मदा परियोजना के बारे में गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच विवाद समाप्त हो गया है और यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

श्री फखरुद्दीन अहमद : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि हमने सम्बन्धित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की थी और काफी चर्चा के बाद कुछ बातें सामने आई जिनपर मुख्य मन्त्री आपस में विचार करके मुझे बतायेंगे; इसके बाद समझौते की अन्तिम तिथि निर्धारित की जायेगी ।

लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिए छापे

\+

*781 **श्री मधु लिमये** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मन्त्री वित्त विधेयक, 1966 पर हुए वाद-विवाद के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें लेख-बाह्य धन का पता लगाने के लिये छापे मारने के बारे में उनके पूर्ववर्ती मंत्री की नीति को बदला गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार सभा-पटल पर परिपत्र की एक प्रति रखने का है;

(ग) जब से उन्होंने कार्य-भार संभाला है, उसके बाद लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिये आय-कर जाँच अधिकरणों द्वारा कितने छापे मारे गये हैं; और

(घ) उन में कितनी धनराशि का पता चला है ?

वित्त मन्त्री श्री शचीन्द्र चौधरी : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1-1-1966 से 30-6-1966 की अवधि में 67 छापे ।

(घ) 47.22 लाख रुपये ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, May I know whether it is a fact that the hon. Minister was annoyed when the Enforcement Directorate raided a firm of solicitors, M/s Ordignum, in Calcutta within its absolute rights conferred under the law because he was connected with firm and he directed Shri R. C. Dutt, Secretary, to send the following letter, in which it was stated :

"श्री बी० पी० राय के नाम निदेशक द्वारा एक पत्र भेजा जाना चाहिये जिसमें उनके

निवास-स्थान की तलाशी तथा उससे उन्हें हुई असुविधा के लिये खेद व्यक्त किया जाना चाहिए ।

"श्री एस० एन० बनर्जी, उप निदेशक, और श्री एस० एस० श्रीवास्तव, अतिरिक्त सीमा शुल्क कलक्टर से स्पष्टीकरण माँगना चाहिए कि एक सालिसिटर्ज की एक प्रतिष्ठा-प्राप्त फर्म के कार्यालय और एक फर्म के सम्मानित भागीदार के निजी निवास-स्थान की तलाशी क्यों ली गई ।"

Mr. Speaker, these officers have got an absolute right under Regulations 2A and 19A (1) of Foreign Exchange Regulation Act. . . .

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह सच है कि आरडिगनम कम्पनी के कार्यालय की और दो भागीदारों के निवास-स्थानों की भी तलाशी ली गई थी; एक थे श्री बी० पी० राय और दूसरे थे श्री सिल्वरस्टोन । मैं यहाँ बेहिचक कहता हूँ कि मैं श्री बी० पी० राय को तीस वर्षों से जानता हूँ और श्री बी० पी० राय को बड़े होते देखा है। यदि इन सज्जन के बारे में मेरी जानकारी सभा के किसी उपयोग की है, तो मैं यह भी कह दूँ कि अब तक मुझे सबसे अधिक ईमानदार जितने व्यक्तियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे उनमें से एक हैं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, it is irrelevant.

अध्यक्ष महोदय : उसका क्या परिणाम निकला ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : इसे माना जाये अथवा नहीं, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । लेकिन तथ्य यह है कि ये सज्जन मुझसे आकर मिले और मुझसे अभिवेदन किया कि बहुत से लोगों द्वारा तलाशी लिये जाने के कारण उन्हें बहुत कठिनाई और परेशानी हुई । मैंने मामले की जाँच कराई और मुझे पता चला कि उनके मकान में दोष-सिद्ध करने वाली कोई चीज नहीं मिली । इसलिए मैंने कहा कि नागरिक के रूप में उनके साथ हमने यदि कोई गलत कार्यवाही की, तो हमें अवश्य कम से कम खेद प्रकट करना चाहिये और कुछ नहीं ।

दूसरे, मैंने अवश्य यह सुझाव दिया था कि तलाशी क्यों ली गई इसके लिये नहीं बल्कि जिस ढंग से यह किया गया उसके लिये स्पष्टीकरण मांगना चाहिये । मैंने स्वयं नहीं लिखा । मैं नाराज बिलकुल नहीं हुआ । मन्त्री होने के नाते मैंने यह अपना कर्त्तव्य समझा, क्योंकि मैंने लगभग छः सप्ताह पहले ही कार्यभार संभाला था, कि यह देखूं कि किसी कानूनी कार्यवाही के कारण देश के किसी नागरिक का नुकसान न हो अथवा परेशानी न हो ।

जहां तक आरडिगनम कम्पनी का सम्बन्ध है मैं यह भी कह दूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है इस फर्म पर करों के अपवंचन आदि के आरोप में सामान्य कानूनी रूप से कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक श्री सिल्वरस्टोन तथा अन्य भागीदार का सम्बन्ध है, कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया है और कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है । सारा मामला यह है ।

Shri Madhu Limaye : My point has not been answered.

Shri Bade : On a point of Order may I know whether a Member can read a letter here, which we have not seen and can he be asked to lay it on the Table of the House or not ?

Shri Madhu Limaye : I am prepared. It is a letter written by Shri R. C. Dutt.

If the hon. Finance Minister has not seen it, I will like to submit the letter of his Secretary for his perusal.

श्री त्यागी : जब तक वे तसदीक न करें कि यह सही प्रतिलिपि है, वे इसे सभा पटल पर नहीं रख सकते ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय मन्त्री ने अपने ढंग से उत्तर दिया है । क्या हम यह समझें कि मन्त्री महोदय के लिये कानूनी कार्यवाही और अर्ध-कानूनी जांच, विशेषकर सीमा-शुल्क और आयकर विभागों के अधिकारियों द्वारा, साधारणतः किये जाने की परवाह न करते हुए किस विशिष्ट व्यक्ति के बारे में, सही अथवा गलत, वैयक्तिक धारणा बना लेना ठीक है ? क्या हम यह समझे कि सरकार के लिये यह बात उचित है कि वह इस बात को स्वीकार कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या नहीं, इस सम्बन्ध में मन्त्री की वैयक्तिक धारणा कानूनी कार्यवाही की उपेक्षा कर सकती है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि इस मामले में कोई व्यक्तिगत बात नहीं है । लेकिन क्या एक ऐसी फर्म को, जिसपर छापा मारा गया हो, मन्त्री महोदय द्वारा प्रमाणपत्र देना उचित है ?

मैं यह मानने को तैयार हूँ कि किसी व्यक्ति के बारे में उनका व्यक्तिगत ज्ञान काफी अच्छा हो सकता है । किन्तु मैं हाल में दिये गये एक विनिर्णय का उदाहरण देता हूँ । राज्य सभा में श्री सचीन्द्र चौधरी ने श्री भूतलिंगम को प्रमाणपत्र दिया था और राज्य सभा के सभापति ने निर्णय दिया था कि मन्त्री के लिए ऐसा प्रमाणपत्र देना उचित नहीं है । एक न्यायाधीश होने के नाते आपको पता है कि यदि एक न्यायाधीश किसी व्यक्ति की हत्या होते हुए देखता है किन्तु फिर भी जब वह अपने पद पर आसीन रहता है उसे साक्ष्य के अनुसार कार्य करना पड़ता है । वह यह नहीं कह सकता कि चूंकि उसने हत्या होते हुए देखी है, इसलिए वह हत्यारे को मृत्युदंड देगा । वह तो साक्ष्य के आधार पर ही अपना निर्णय देगा । अतः मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या मन्त्री महोदय द्वारा एक ऐसी फर्म को ईमानदार घोषित करना उचित है जिस पर विभाग द्वारा छापा मारा गया हो ?

Shri Bagri : Sir, I rise on a point of Order. The hon. Minister gave a clean certificate to Shrimati Mudra on a previous occasion also. The hon. Minister was a consulting lawyer of these companies and was taking two thousand rupees from each of them. May I know whether the hon. Minister is empowered to give such certificate to these companies of which he has been a consulting lawyer ?

श्री हरि विष्णु कामत : प्रोफेसर हीरेन मुकर्जी के कथन की पुष्टि करने के लिये मैं आपका ध्यान नियम 41 के उपनियम (2) की शर्त (चार), (पांच) और (अठारह) की ओर दिलाना चाहता हूँ । जो शर्तें प्रश्न पूछे जाने पर लागू होती हैं, वही शर्तें प्रश्न का उत्तर देने वाले मन्त्री पर भी लागू होनी चाहिए । यह दो स्तर नहीं हो सकते । उपनियम के ये शर्तें स्पष्ट हैं । शर्त चार में कहा गया है—

"उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापन के समाधान के लिए नहीं पूछा जायेगा;

इस विशेष सन्दर्भ में मन्त्री विशेष द्वारा व्यक्त राय का कोई महत्व नहीं है ।

शर्त (पांच) में कहा गया है :

"उसमें किसी किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण के बारे में नहीं पूछा जायेगा।"

इस नियम के अन्तर्गत भी जो कुछ वित्त मन्त्री ने कहा है वह बिल्कुल निरर्थक है।

शर्त (अठारह) में यह कहा गया है :

"उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जिससे मन्त्री पदेन सम्बन्धित न हो।"

ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक कार्य कानून के अनुसार ही होना चाहिए। इसके अनुसार भी किसी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नेकनियती तथा सद्भावना से किये गये कार्य को संरक्षण मिलना चाहिए। किसी मन्त्री को कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने तथा स्पष्टीकरण मांगने अथवा क्षमा मंगवाने का क्या अधिकार है? मन्त्री महोदय यह कार्य बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए और कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए सभा से क्षमा मांगनी चाहिए।

Shri Bagri: He has been consulting adovcate of so many companies (interruptions).

अध्यक्ष महोदय : इसमें राय प्रकट करने का कोई प्रश्न नहीं था। जो कुछ मन्त्री महोदय ने कहा था, वह श्री मधु लिमये द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी गई थी कि क्या पत्र लिखा गया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उनकी पदेन हैसियत में।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, जानकारी मांगी गई थी और वह दी गई।

श्री दाजी : श्री कामत ने जो कुछ कहा वह पहले दिये गये उत्तर के बारे में था। जो कुछ मन्त्री महोदय ने कहा वह नहीं पूछा गया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई न्यायिक जांच चल रही है? यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है।

श्री हरि विष्णु कामत : कानून के अन्तर्गत कार्यवाही।

अध्यक्ष महोदय : तलाशी कानून के अन्तर्गत ही ली जाती है। किन्तु यदि कोई वस्तु नहीं मिलती है, तो मामला समाप्त हो जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री राय भी फर्म के एक निदेशक है। मकान की तलाशी लेने का सम्बन्धित अधिकारी को अधिकार है......

अध्यक्ष महोदय : क्या उस समय कोई जांच चल रही थी?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं समझता हूँ कि पूरी स्थिति के बारे में गलत समझा गया है।

कुछ माननीय सदस्य : किसके द्वारा?

श्री शचीन्द्र चौधरी : ओरडिग्नुम एण्ड कम्पनी, सालसिटरों की व्यावसायिक फर्म है। कोई भी वकील किसी फर्म से पैसा नहीं लेता है। वह फर्म के माध्यम से मुवक्किल से पैसे लेता है। फर्म से पैसे लेना व्यावसायिक नियमों के प्रतिकूल है। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने व्यावसायिक नियमों का पूरी तरह पालन किया है।

जहां तक तलाशी का सम्बन्ध है, तलाशी ली गयी। तलाशी के बाद जब श्री बी० पी० राय के निवास स्थान से कुछ नहीं मिला तो यह पत्र लिखा गया था।

मैंने पत्र स्वयं नहीं लिखा । मैं स्वयं किसी व्यक्ति से नहीं मिला । मैं केवल यह जानना चाहता था कि यह तलाशी किस लिए ली गई थी ।

जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है, यह कार्यवाही उसके बाद ओरिडिग्नुम एण्ड कम्पनी के विरुद्ध चलाई गई और मैं समझता हूं यह अब भी चल रही है । इस सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हुआ है । मैंने इस कार्यवाही में किसी समय किसी प्रकार का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया । मैंने सम्बन्धित अधिकारियों से केवल यह पूछा कि यह तलाशी किन परिस्थितियों में ली गई थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बिल्कुल हस्तक्षेप का मामला है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मन्त्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि यह कार्यवाही ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारियों को हतोत्साह करने के लिए की गई थी ।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point. Sir, Inspite of asking by you for detailed reply he is misleading the House. He did not reply my question regarding his relationship with solicitors firm.

Now I would like to draw the attention of the House to Section 2(a) and Section 19 (a) (1) of the Foreign Exchange Regulation Act which empower an office to conduct a raid. Section 2(a) says :

> "The Central Government may appoint a Director of Enforcement as many Deputy Directors of Enforcement, Assistant Directors of Enforcement and such officers as it thinks fit to be officers of enforcement for the purpose of enforcing the provisions of this Act."

then Section 19(a)(1) says :

> "If any office of enforcement authorised in this behalf by the Central Government by general or special order has reason to believe that any person has secreted about his person any document which will be useful for or relevent to any proceeding under this Act, he may search that person."

Under these Sections of the Act the officers concerned are fully empowered to conduct raids. Even then the office was demoralised and asked to tender apology by Shri R. C. Dutta. Government give protection to persons found guilty by the P.A.C. and ask for explanation who perform their duty under law and then the Minister is misleading the House.

श्री ही० ना० मुकर्जी : जहां तक इस सभा में हमारा सम्बन्ध है, मैं संसदीय औचित्य और आचार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । मन्त्री महोदय ने बताया है कि ओरडिग्नुम एण्ड कम्पनी के विरुद्ध मामला चल रहा है । हम इस मामले के गुण दोषों के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते हैं और न हमें ऐसा करना ही चाहिए । किन्तु मन्त्री महोदय की पहल पर सरकार की ओर से ओरडिग्नुम एंड कम्पनी के भागीदार को पत्र लिखा गया है कि जिसमें फर्म की तलाशी से जो व्यक्तिगत कठिनाई हुई है, उसके लिये क्षमा याचना की गई है । यदि कानून के अन्तर्गत किसी स्थान की तलाशी ली जाती है तो मन्त्री महोदय क्षमा याचना करते हैं । क्या सरकार को सभा में इसका उत्तर देना चाहिए । आपको इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : Shri Sachindra Chaudhry should tender his resignation just now.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं समझता हूँ कि आप इस मामले की जांच करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अवश्य करूंगा।

The hon. Member may handover the letter to me which was read out by him.

Shri Madhu Limaye : I have placed it on the Table of the House. I will put my signature for its authentication.

[**Placed in the library. See No. L.T.** 7041/66].

Mr. Speaker : I will give my ruling later on.

Shri K. D. Malaviya : I do not think, it requires your ruling. Simply the Minister may be asked as to why he wrote like this.

Mr. Speaker : Let me look into it.

Shrimati Subhadra Joshi : I rise on a point of Order. Shri Madhu Limaye has levelled serious allegation against the Minister that he has relationship with the firm. Either Shri Madhu Limaye should make the position clear in this regard or the Minister should refute the charges levelled against him.

Mr. Speaker : All right, first let me look into it.

श्री शचीन्द्र चौधरी : अरडिंगुम एंड कम्पनी कलकत्ता में एक बड़ी सालीसिटर फर्म है जो कई वर्षों से कार्य कर रही है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह अच्छी है अथवा बुरी। मैंने चालीस वर्ष से अधिक समय तक वकालत की है और मुझे इस फर्म से मामले मिलते हैं जिनका मुझे नियमित रूप से पैसा मिलता था।

श्री हरिविष्णु कामत : मन्त्री महोदय ने यह कह मामले को और गंभीर बना दिया है...

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न। श्री विभूति मिश्र।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दुमरिया घाट में गंडक नदी का पुल

*21. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्डक नदी के चम्पारन की ओर वाले किनारे पर शिलाखण्डों (बोल्डर्स) तथा अन्य सामान को लेजाने के लिए प्रयोज्य सड़क न होने के कारण दुमरिया घाट में इस नदी का पुल बनाने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, विमानन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

पुल का निर्माण हो रहा है और उसमें सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। पुल का मौजूदा पहुँच मार्ग कच्ची सड़क है, किन्तु ठेके की शर्तों के अनुसार, विभाग पर ठेकेदार के इस्तेमाल के लिये पहुँचमार्ग को सेवा योग्य दशा में रखने की कोई पाबन्दी नहीं है। पुल का ठेकेदार पुल के स्थान तक निर्माण सामिग्री इसी कच्ची सड़क से ले जाता है। बांयी नियामक बांध (चंपारन की ओर) के लिये शिलाखंडों का एकत्रीकरण प्रगति पर है और लगभग 40 लाख क्यूबिक फीट की संपूर्ण आवश्यकता में से लगभग 23 लाख क्यूबिक फीट मात्रा की शिलाखंडे एकत्रित की जा

चुकी हैं। कार्यक्रम के अनुसार अगली काम काज की ऋतु में बांयी नियामक बाँध का काम पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते हैं।

Shri Bibhuti Mishra : I asked the question about Champaran side but the Minister has replied about Saran District. My question was whether due to delay in the construction of Gandak Bridge Bund for want of serviceable road to carry over boulders and other materials to the Champaran side of the river as a result of which the transport Department has to pay lakhs of rupees to the railway as demmurage and if it is a fact, what steps are being taken in this regard.

श्री चे० मु० पुनाचा : इस पुल का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। एक तो पुल का निर्माण और दूसरा नदी को साधना; बन्द का निर्माण तथा अन्य तट बन्धन निर्माण करना। पुल के निर्माण की लागत 180 लाख रुपये है और नदी साध आदि कार्यों पर 245 लाख रुपये। यह ठीक है नदी साधने के कार्य की लागत अधिक है। निर्माण कार्य के लिए बहुत अधिक खंड लाने पड़ते हैं। शिलाखंडों के संभरण के लिए कई ठेकेदार हैं। उन्हें कुछ विशिष्ट शर्तों पर पुल स्थल पर शिलाखंडों के संभरण के लिये विशिष्ट शर्तों पर बुलाया गया था। दरें वर्तमान उपसड़कों के आधार पर निश्चित की गई थी। और उसी आधार पर उन्होंने दरें दी और ये दर मान ली गई। यदि वे इस कच्ची सड़क की, जो सात मील लम्बी है, मरम्मत करना चाहें, तो या तो उन्हें उसकी मरम्मत स्वयं करनी पड़ेगी और यदि विभाग करेगा तो उन्हें अनुपातिक आधार पर शिलाखंडों के मूल्य पर छूट दें। इंजीनियरों ने यह स्थिति बताई है और हम उसी के अनुसार कार्य कर सकते हैं।

Shri Bibhuti Mishra: The hon. Minister could not understand my question. Government have to pay demmurage to the Railways for the materials which cannot be lifted from the Railway Station during rainy season due to want of transport facilities. I would like to know the steps being taken in this regard.

श्री चे० मु० पुनाचा : चम्पारन की ओर 20 मील लम्बी सड़क है, जिसमें से सात मील सड़क कच्ची है। शेष सड़क अच्छी हालत में है। यह सड़क जिला बोर्ड के अधीन है। उस क्षेत्र के लिए चाकिया में रेलवे का अन्तिम स्टेशन है। शिलाखंड चकिया तक रेल द्वारा लाये जाते हैं और वहां से अन्य परिवहन साधनों से ले जाये जाते हैं। ठेकेदारों ने देखभाल कर दरें दी थी। इस समय इन दरों को बदलना कठिन है। उन्होंने जो दरें दी थी, उन्हीं दरों पर उन्हें यह सामान ढोना है। निस्संदेह उन्हें इस कच्ची सड़क में शिलाखंडों की ढुलाई में कठिनाई हो सकती है। उन्हें या तो सड़क की मरम्मत स्वयं करनी पड़ेगी, अथवा यदि विभाग से सहायता मांगे तो विभाग करने के लिये तैयार है किन्तु उन्हें शिलाखंडों के मूल्य में हमें छूट देनी पड़ेगी। ठेके की शर्तों के अनुसार विभाग ठेकेदारों के लाभ के लिए सड़क की मरम्मत नहीं कर सकता, जब तक कि ठेकेदार उस पर आने वाली लागत का भुगतान ठेकेदार न करे।

श्री विभूति मिश्र : शिलाखंडों तथा अन्य सामान के न उठाये जाने के लिए कितना विलम्ब शुल्क देना पड़ा।

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है। इसके लिए मुझे समय चाहिये।

Shri K. N. Tiwary: Is it a fact that the transport will be cheaper if this Kacha road is converted into pucca road and if so, what is the difficulty before the Government in this regard ?

श्री चे० मु० पुनाचा : चीफ इंजीनियर प्रक्कलन तैयार किया था । मेरे पास वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। इस कच्ची सड़क को पक्का बनाने के लिए अपेक्षित लागत के बारे में ठेकेदारों को बताया गया था, यदि वह इस लागत को पूरा करने के लिए छूट देगें तो हम विभाग के द्वारा इस कार्य को करा देंगे अन्यथा उन्हें यह कार्य स्वयं करना पड़ेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को पता है कि ठेकेदार बार-बार एक ही शिला-खंडों को पास करा कर लाभ उठाते हैं। इस बारे में सारन और चम्पारन, दोनों क्षेत्र में विवाद भी हुआ है। यह अभी चल रहा है। इस कदाचार को रोकने के लिए कोई विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: By what time this project will be completed ? May I know number of tenders received and the name of tenderers and whether any favour was shown in this regard ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य आरंभ किये जाने के बाद यह कार्य 24 महीने में पूरा किया जाना है। जहाँ तक ठेके का सम्बन्ध है, इस पुल के प्रभारी चीफ इंजीनियर बिहार में थे और उन्होंने ही टेन्डरों के बारे में निर्णय किया है। पुल के निर्माण का ठेका 180 लाख रुपये में तथा नदी को साधने के कार्य का ठेका 245 लाख रुपये में दिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्पादन लागत में वृद्धि

*782 **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

श्री रिशांग किशिंग :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा भारत में उत्पादन लागत में असामान्य वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इसको सामान्य बनाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : कुल मिलाकर मूल्यों और योजना कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उत्पादन एवं निर्माण लागतों में वृद्धि के प्रश्न पर योजना आयोग की उपपत्तियों और सिफारिशों 29 अगस्त 1966 को सभा पटल पर प्रस्तुत चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभिक रूप रेखा में दी गई हैं।

(अध्याय-1, भाग-4, पृष्ठ-16-21, अध्याय 4, पैरा 16-17, पृष्ठ-82-83; अध्याय 10, भाग 3-5, पृष्ठ 159-169)

अनुसूचित बैंक

*783. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित बैंकों से कहा गया है कि उन्हें अपने संसाधनों में जमा कराए गये धन की राशि तथा ऋण की वापसी से प्राप्त राशि से हुई अतिरिक्त आय को सरकारी हुन्डियों (ट्रेजरी बिलों) में लगाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस निर्देश को कहां तक क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) इससे बाजार रुख पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) देश के अनुसूचित बैंकों द्वारा सामान्यतः रिजर्व बैंक की सलाह पर संतोषजनक ढंग से अमल किया जा रहा है।

(ग) हाल के सप्ताहों में प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) बाजार में जो मजबूती आयी है उसका एक कारण अनुसूचित बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया लगाया जाना भी माना जा सकता है।

पंजाब के पुनर्गठन के बाद सिंचाई और विद्युत व्यवस्था

*784. **श्री बागड़ी** :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री मौर्य :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री 28 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न सं० 1416 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने पंजाब राज्य में सिंचाई और विद्युत् व्यवस्था पर राज्य के प्रस्तावित पुनर्गठन के होने वाले प्रभावों से सम्बन्धित मामलों की जाँच पड़ताल कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस परीक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) (क) से (ग) : इस सम्बन्ध में किए गए निर्णय प्रस्तावित "पंजाब पुनर्गठन बिल, 1966" में शामिल कर लिए गए हैं।

विट्ठल भाई पटेल भवन

*785. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विट्ठल भाई पटेल भवन में संसद् सदस्य रहते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो संसद् के प्रत्येक सत्र में वहाँ कितने संसद् सदस्य रहते हैं ;

(ग) क्या विट्ठल भाई पटेल भवन में रहने वाले संसद सदस्यों की निर्धारित संख्या पूरी हो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) 12वें, 13वें, 14वें तथा 15वें सत्रों में क्रमशः 9, 16, 19 तथा 13 सदस्य वास्तव में रहते थे।

(ग) और (घ) : कोई विशेष संख्या निर्धारित नहीं की गई है । अलाटमेंट के जब अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उन पर कार्यवाई की जाती है ।

परियोजना प्रतिवेदनों पर शीघ्र निर्णय

*786. **श्री कपूर सिंह :** **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रबन्ध कार्यों सम्बन्धी सम्मेलन में, जो हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था यह सिफारिश की गई है कि परियोजना प्रतिवेदनों की व्यावहारिकता तथा व्यौरे और क्रियान्विति से सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाहियों के बारे में शीघ्र निर्णय करने के हेतु एकमात्र विशेषीकृत सरकारी संस्था बनाई जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रबन्ध कार्यों सम्बन्धी सम्मेलन 27 मई से 29 मई 1966 तक हुआ। सम्मेलन ने सिफारिश की है कि परियोजना प्रतिवेदनों की व्यावहारिकता तथा व्यौरे के बारे में शीघ्र निर्णय करने के लिए एकमात्र विशेषीकृत एजेन्सी या एकक बनाया जाय । इसके अलावा मंजूरी, वित्तीय प्रावधान इत्यादि कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित कार्रवाई की जिम्मेदारी भी इस एजेन्सी या एकक की होगी । सम्मेलन द्वारा गठित अध्ययन दलों के प्रतिवेदनों की ओर मन्त्रालयों, राज्यों और परियोजना प्रबन्धकों का ध्यान दिलाया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*787. **श्री किशन पटनायक :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री मधु लिमये : **श्री लीलाधर कटकी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री दी० चं० शर्मा**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन के विषय में सर्वोच्च स्तर पर हुये विचार-विमर्श की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र की कार्य कुशलता में सुधार करने के लिये कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या ; और

(घ) ये प्रस्ताव कब क्रियान्वित किये जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) प्रधान मन्त्री ने, "सरकारी क्षेत्र को नयी सम्पत्ति का निर्माता कैसे बनाया जाय" इस विषय पर बातचीत करने के लिए 14 और 15 जून, 1966 को एक सम्मेलन बुलाया था ।

(ख) और (ग) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें उन बातों का उल्लेख है जिन पर सम्मेलन में विचार किया गया था ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6980/66]

(घ) : ये बातें नोट कर ली गयी हैं और इन पर विचार किया जा रहा है ।

आवास योजनाओं का एकीकरण

*788. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निम्न आय-वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिये बनाये गये किराया-आवास कार्यक्रमों तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिये राज सहायता-प्राप्त आवास योजना को मिलाकर एक योजना बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) एकीकृत योजना 1 अप्रैल, 1966 से लागू हुई ।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । 1966-67 के लिए 5.03 करोड़ की व्यवस्था है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6981/66]

आदत डालने वाली औषधियाँ

*789. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री लीलाधर कटकी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने आदत डालने वाली औषधियों का निर्माण और बिक्री का कार्य केवल कुछ थोड़े से निर्माताओं और फार्मेसियों को ही सौंपने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो आदत डालने वाली औषधियों का अवैध प्रयोग रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) ऐसी औषधियां केवल रजिस्टर्ड चिकित्सक के दिए हुए नुस्खे पर ही बेची जा सकती हैं। आदत डालने वाली औषधियों का निर्माण और बिक्री का काम केवल कुछ थोड़े से निर्माताओं और फार्मेसियों को ही सौंपने की बात औषध नियन्त्रण समिति के सुझावों में से एक है जिन पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा जून 1966 में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में बनी 6 राज्य स्वास्थ्य मन्त्रियों की समिति विचार कर रही है। राज्य मन्त्रियों की समिति की रिपोर्ट मिलते ही भारत सरकार उस पर समुचित कार्यवाही करेगी।

ब्यास परियोजना

*790 **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यास परियोजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है :

(ख) क्या रोकी गई सहायता अब दी जा रही है ; और

(ग) क्या काम अनुसूची के अनुसार हो रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) जून 1966 के अन्त तक यूनिट-1 (ब्यास-सतलेज लिंक) का लगभग 17% कार्य और यूनिट-2 (पोंग बांध) का लगभग 27% कार्य पूरा हो चुका था।

(ख) हाल ही में ए० आई० डी० और आई० डी० ए० के साथ हुए करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण, परियोजना पर कार्य की प्रगति को धक्का पहुंचा है।

Central take-over of Irrigation Projects

*791 **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Vishwa Nath Pandey : Shri P.H. Bheel : Shri Brij Basi Lal : Shri Panna Lal : Shri H. C. Linga Reddy :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of major irrigation projects which the Central Government propose to take over from the States during the Fourth Plan; and

(b) the time by which they would be taken over ?

The Minister of Irrigation & Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) : The proposal is still under consideration.

(b) : Does not arise at this stage.

रूसी सहायता

*792 **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के लिये अपने सहायता कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया है कि सहायता पाने वाली इन परियोजनाओं को राज्य ऋण के अन्तर्गत रखा जाने की बजाय वाणिज्यिक ऋण के अन्तर्गत रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं । चौथी योजना की कतिपय विशिष्ट परियोजनाओं, जिनकी तैयारी के बारे में रूस के प्राधिकारियों ने मुख्य जिम्मेदारी सम्भाली है, के लिए राज्य ऋण देने के अलावा, रूस की सरकार ने बताया है कि अन्य परियोजनाओं के लिए भारतीय-रूसी व्यापार योजना के अन्तर्गत मशीनरी तथा उपकरण के आयात के लिए वाणिज्यिक ऋण भी उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में बिजली की दरें

*793. **श्री जय बहादुर सिंह : श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड का विचार कलकत्ता में बिजली को कुछ कामों के लिए खपत की दरों में कानूनन वृद्धि करने का है ;

(ख) नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं और इस नीति से कलकत्ता के नागरिकों को क्या लाभ हुए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र व्यवहार करने का है ताकि कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को कलकत्ता के नागरिकों के हित में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से अत्यधिक लाभप्रद दर पर बिजली सप्लाई की जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हाँ । पुनरीक्षित दरें 28 जुलाई 1966 से लागू हैं ।

(ख) और (ग) : इस तबदीली का मुख्य कारण यह है कि दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने दरों को बढ़ा दिया था जिनसे कलकत्ता बिजली पूर्ति निगम अपने आप बिजली पैदा करने के अलावा थोक बिजली खरीदता है ।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

*794. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी की ओर से अमरीका में व्यापार कर रही लारोको आफ ह्वाइट लैम्ब फिन्डले एन्ड कम्पनी (अमरीका) द्वारा बीजकों में कम धन राशि दिखाये जाने के किसी मामले का पता सरकार को लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : अनुमान है कि यह प्रश्न मैसर्स ह्वाइट लैम्ब फिनले के प्रतिनिधि श्री डब्ल्यू० बी० लारसन के बारे में है । मैसर्स

ह्वाइठ लैम्ब फिनले मैसर्स बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी के नाम में निर्यात किये गये कालीन के नीचे लगाने के जूट के कपड़े के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में एकमात्र विक्रेता एजेन्ट थे और मैसर्स बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी के मामलों की देख-भाल मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा की जाती थी। कालीन के नीचे लगाने के जूट के कपड़े के निर्यात के बीजकों में कम रकम दिखाने के कारण मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी और मैसर्स बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी के मामले में, श्री लारसन, अपनी गलत गतिविधियों के कारण, सीमा शुल्क अधिकारियों की प्रतिकूल दृष्टि में आ चुका था। लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करना संभव नहीं था क्योंकि वह संयुक्त राज्य अमरीका में निवासी था और भारत में उसकी कोई परिसम्पत्तियां नहीं थीं।

नकली औषधों की बिक्री

*795. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली औषधें बनाने और बेचने पर दण्ड की अवधि तीन वर्ष से बढ़ा कर दस वर्ष कर देना सख्त दण्ड सिद्ध नहीं हुआ है ;

(ख) क्या समूचे देश में औषध अधिनियम का प्रवर्तन समान ढंग से नहीं किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो नकली औषधों के उत्पादन और व्यापार को कारगर ढंग से समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं। यह दण्ड मई 1964 में बढ़ाया गया था और इस उपबन्ध के पूरे प्रभाव को इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता तथापि जो आंकड़े एकत्र किए गये हैं उनसे पता चलता है कि 1965–66 में गत वर्ष की अपेक्षा नकली औषधियों के बनाने और बेचने में कमी हो रही है।

(ख) औषध अधिनियम की लागू करने की प्रमुख नीतियाँ सारे देश के लिये एक जैसी हैं किन्तु देखा गया है कि विक्रय तथा निर्माता केन्द्रों के निरीक्षण के मानक, उपकरणों की किस्म और उनके द्वारा रखे गये रिकार्ड, अभियोग चलाने, लाइसेन्स देने अथवा नये करने और जिन फर्मों की औषधियों के बारे में शिकायत आती है उनका निरीक्षण करने तथा सन्देहास्पद औषधियों का अनुवर्तन करने के सम्बन्ध में इस अधिनियम को समान रूप से लागू नहीं किया जा रहा है।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6982/66]

आय की तुलना में बचत के बारे में जांच करने के लिए अध्ययन दल

*796. **श्री राम हरख यादव** : **श्री मुरली मनोहर** :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में देश में आय की तुलना में बचत

के बारे में जांच करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच-परिणाम क्या है ; और

(ग) जनता द्वारा बचत बढ़ाने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विभिन्न उपायों द्वारा आन्तरिक बचतों में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जायेगा । ये उपाय हैं : अनावश्यक उपभोग व्ययों पर नियन्त्रण; सरकारी उद्योगों के अधिशेषों में वृद्धि; छोटी बचत अभियानों, बीमा और भविष्य निधि योजनाओं द्वारा ऐच्छिक बचतों को प्रोत्साहित करना ; निगम पुन:विनियोजनों को प्रोत्साहित करना तथा राजकोषीय उपायों द्वारा अतिरिक्त आमदनियों के एक भाग को बचतों में लगाना ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

*797. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गिरफ्तार किये गये तथा दण्डित व्यक्तियों की संख्या ध्यान में रखते हुए उनके मन्त्रालय ने खाद्य पदार्थों में मिलावट सम्बन्धी कानून को लागू करने में हुई प्रगति का हाल में मूल्यांकन किया है, जिससे इसकी सभी कमियों को दूर किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या रहे ;

(ग) क्या सम्बन्धित कानून की कमियों को दूर करने के लिये उसमें कोई सुधार किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को भली प्रकार लागू करने के लिए उसे लागू करने वाली मशीनरी तथा प्रयोगशाला सुविधाओं की समस्त स्थिति की समीक्षा करने हेतु अप्रैल, 1965 में एक छोटी सी समिति गठित की गई थी ।

(ख) उक्त समिति के सुझावों तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण सम्बन्धी मन्त्रियों की केन्द्रीय समिति एवं स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) और (घ) इस समिति ने और अधिक खाद्य निरीक्षक नियुक्त करने, शीघ्र विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं का विस्तार करने तथा अपमिश्रण के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की सिफारिश की है । तथापि वर्तमान कानून में कोई संशोधन करने का फिलहाल कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6983/66]

विदेशों में स्थित राजनयिक तथा व्यापारिक दूतावासों में मितव्ययता

*798. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **वित्त** मंत्री 11 अगस्त 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या

415 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मितव्ययता सम्बन्धी कोई ऐसे उपाय निकाले हैं जिन्हें विदेशों में स्थित राजनयिक तथा व्यापारिक दूतावासों पर लागू किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : जी, हां। विदेशों में स्थित राजनयिक और व्यापार मिशनों में व्यय को कम करने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

मैसर्स मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

*799. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'मैसर्स मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड' तथा उनके ग्रुप के वित्तीय लेनदेन सम्बन्धी वे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिनसे छिपाई हुई आय के स्रोतों का पता चलता है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कुछ ऐसे कागजात प्राप्त हुये हैं जिनमें आय छिपाने के बारे में आरोप लगाये गये हैं।

(ख) आरोपों की सचाई की छान बीन की जा रही है।

ओखला में पानी का दूषित हो जाना

800. **श्री रामसेवक यादव : श्री बूटा सिंह :**

श्री मधु लिमये :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में आई बाढ़ के कारण ओखला में पानी दूषित हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका ने लोगों को दूषित जल से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता, पानी को शुद्ध करने के लिए दिल्ली नगर निगम पहले ही उचित कार्यवाही कर रहा है। पीने के लिये पानी देने से पहले पानी को भली प्रकार शुद्ध कर लिया जाता है और जब कभी आवश्यक हो क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है।

श्रम अधिकारियों के वेतन-क्रम

*801. **श्री सत्य नारायण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अवमूल्यन के बाद सरकारी व्यय में कमी करने के उद्देश्य से कुछ समय तक वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद केन्द्रीय पुंज में श्रम

अधिकारियों के वेतन-क्रम का पुनरीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

आसाम में चाय बागान आदिम जातीय विद्यार्थी

*802. **श्री रंगा :** **श्री सोलंकी :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आसाम में चाय बागान आदिम जातीय विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये एक भी हाई स्कूल क्यों नहीं खोला है, जब कि इन चाय बागान आदिम जाति के व्यक्तियों की जन संख्या, उन क्षेत्रों में जहां चाय बागान भौगोलिक रुप से साथ-साथ हैं, 28 लाख से भी अधिक है ;

(ख) क्या चाय बागान आदिम जाति के किसी व्यक्ति को कभी भी आसाम के किसी चाय बागान में किसी प्रबन्धक-पद पर नियुक्त किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि चाय कल्याण बोर्ड निधि शिक्षा को छोड़ कर अन्य सभी क्षेत्रों में शिक्षा के लिये छात्रवृतियां प्रदान करता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग): यह सूचना राज्य सरकार तथा चाय कल्याण बोर्ड से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मेडिकल कालिजों में आरक्षित स्थान

803. **श्री सोलंकी :** **श्री रंगा :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय मंत्रालय अथवा मंत्री द्वारा छात्रों के चयन के लिये मैडिकल कालेजों में कितने स्थान आरक्षित किये गये हैं ;

(ख) क्या उन छात्रों में से जो ऐसे अखिल-भारतीय चयन के लिये आवेदन पत्र देते हैं ऐसे चयन के लिये निर्धारित की गई विशेष श्रेणियों, जैसे—

(एक) पिछड़े वर्ग अथवा आदिम जातियों के छात्र,

(दो) विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बच्चे,

के अनुसार इन छात्रों के चयन के लिये कोई नियम बनाए गये हैं;

(ग) क्या यह चयन आवेदनकर्त्ताओं द्वारा ऐसी प्रत्येक विशेष श्रेणी में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा चयन समिति अथवा बिना चयन समिति के किये गये चयन के तरीके की जांच करने तथा सबसे श्रेष्ठ तथा योग्य छात्र के चयन

के लिये निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करने तथा व्यक्तिगत, जातीय तथा साम्प्रदायिक पक्षपात का समाप्त करने के लिये कोई समिति नियुक्त करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मत्रालय द्वारा आरक्षित सीटों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6984/66]

(ख) और (ग): सरकार ने विधिवत दो चयन समितियां बनाई हुई हैं, एक विदेशी छात्रों का चयन करती है और इसमें शिक्षा, परराष्ट्र मंत्रालयों तथा स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के प्रतिनिधि हैं। दूसरी समिति भारतीय छात्रों के विभिन्न ग्राह्य वर्गों से संबंधित मामलों को देखती है।

20 प्रतिशत सीटें संबंधित संघ क्षेत्र के अनुसूचित जातियों । जन जातियों के छात्रों के लिये आरक्षित की जाती हैं।

नियमत: चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

Unauthorised Motor Workshops on Panchkuin Road, New Delhi

*804. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : **Shri Yudhvir Singh**:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some unauthorised motor workshops are functioning on Panchkuin Road and Ramakrishna Mission Marg, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that these workshops are not being removed from there;

(c) whether this is causing insanitary conditions in that area; and

(d) if so, the arrangements being made to romove them?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes Sir, on private land.

(b) The question whether they should be licensed or not, in the light of the land use suggested in the Master Plan, is receiving attention of the New Delhi Municipal Committee.

(c) Yes, Sir, to a certain extent.

(d) Such of the Workshops as are not permissible under the Master Plan would be shifted from the present sites by the New Delhi Municipal Committee in due course.

जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, पाण्डिचेरी

*805 **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पांडिचेरी स्थित जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा या अनुसंधान संस्था की एक स्वायत्तशासी संस्था बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पाण्डिचेरी की प्रगति एवं विकास गति को तेज करने के लिए इसे सोसाइटी अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का विचार है। सोसाइटी अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो जाने पर जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान्, पांडिचेरी का एक शासी निकाय होगा जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त होगा । निदेशक सहित इस में 12 सदस्य होंगे । केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्री इस शासी निकाय की अध्यक्षा होंगी । शासी निकाय के अन्य सदस्यों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, सम्बद्ध विश्वविद्यालय के उपकुलपति, चिकित्सा क्षेत्र के लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिक और इस संस्थान का एक प्राध्यापक सम्मिलित होंगे । इस सोसाइटी के उद्देश्य इस प्रकार होंगे :—

(क) कर्मचारियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी प्रमुख विषयों का प्रशिक्षण देने के लिए उच्चतम स्तर की शैक्षिक सुविधाओं को एक स्थान पर एकत्र करना, और

(ख) उच्चतम स्तर की चिकित्सा सेवा की व्यवस्था करना ।

दिल्ली के निकट 'ग्रीनफील्ड' की कालोनी

*806 **श्री शिव चरण माथुर** : क्या **निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक कालोनी बनाने वाले ने दिल्ली मथुरा मार्ग पर दिल्ली तथा फरीदाबाद के बीच स्थित "ग्रीन फील्ड" नामक एक कालोनी में हजारों प्लाट बेचकर करोड़ों रुपया कमाया है ;

(ख) क्या यह कालोनी उस क्षत्र में शामिल है जिसका दिल्ली में भीड़ कम करने के लिए दिल्ली वृहत योजना के अन्तर्गत एक उपनगर के रूप में विकास किया जाना है ;

(ग) क्या तत्कालीन पंजाब सरकार ने इस कालोनी को अधिग्रहण करने के बारे में 1962 में अधिसूचना जारी की थी; और

(घ) प्लाट, मालिकों के हित सुरक्षित करने तथा दिल्ली में मकानों की भारी कमी को दूर करने के उद्देश्य से क्या सरकार का शीघ्र ही उस कालोनी को अधिग्रहण से मुक्त करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (घ) तक : पंजाब सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Supply of Medicines in Famine affected States

*807. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have made any special arrangements to supply medicines to the States like Orissa, Mysore, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh where famine-like conditions are prevailing;

(b) whether it is a fact that health of the people of these areas has deteriorated due to an inadequate intake of calories; and

(c) if so, the nature of the assistance rendered to these people by Government so far for the purpose ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes, Sir.

(b) In areas of food scarcity, calorie in take is usually reduced and this may affect the health of the people. Wide spread and severe cases of mal-nutrition have not been reported.

(c) The following measures have been taken for drought affected areas :

1. Supply of different types of food, skimmed milk powder and other milk powder.

2. Supply of dietary supplements like vitamins, weaning foods for infants and toddlers, vaccines for prophylactic purposes against possible epidemics and equipment for augmenting the water supply.

3. An intensive programme of immunisation against Smallpox, Cholera and Typhoid by mass vaccination through Primary Health Centres, Rural Dispensaries, M. C. H. Centres, Hospitals and at the Works-site camps which have been organised in such areas.

4. All Primary Health Centres, Hospitals. Dispensaries, etc., have been stocked with sufficient amount of drugs for tackling any possible out-break of diseases.

5. Disinfection of water supply sources and the sinking of tube wells to augment the water supply. In areas which are severely affected by drought, water is being taken by water tankers lorries, etc., for distribution.

दिल्ली में सरकारी बस्तियां

3920. **श्री मधु लिमये** : **श्री बागड़ी** :
डा० राममनोहर लोहिया

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय** विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघीय क्षेत्र में सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी कुल कितनी बस्तियाँ हैं;

(ख) क्या जो किराया लिया जाता है वह वेतन मंजूरी का 10 प्रतिशत है अथवा अधिक; और

(ग) यदि 10 प्रतिशत से अधिक किराया लिया जाता है तो यह किराया किस आधार पर आंका जाता है और उचित किराये की तुलना में यह कैसा है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) सरकारी बस्तियों की संख्या के संबन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी। अर्ध-सरकारी बस्तियों के संबन्ध में आशय स्पष्ट नहीं है।

(ख) जिन सरकारी कर्मचारियों को वास आवंटित किया जाता है उनसे मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत किराया वसूल किया जाता है तथा उन कर्मचारियों के मामले में जिनका मूल वेतन 150 रुपये प्रति माह तक है इसकी सीमा परिलब्धियों का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत है तथा उन कर्मचारियों के मामले में जिनका मूल वेतन 150 रुपये प्रति माह से अधिक है इसकी सीमा 10 प्रतिशत है। इस प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में नगर-भत्ता शामिल कर लिया जाता है। भारत सरकार की सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टरों के आवंटियों से योजना के अन्तर्गत बताया गया सहायता प्राप्त मानक किराया वसूल

किया जाता है। इन किरायों का आवंटियों की परिलब्धियों के प्रतिशत से संबन्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम

3921. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इस कार्य के लिये 1965-66 में कितना धन नियत किया गया था तथा उस में से कितना खर्च किया गया है और यदि उस राशि को पूर्णतः व्यय नहीं किया गया तो उस के क्या कारण हैं?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा जब प्राप्त हो जायेगी तब सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेड क्रास कैम्प में एक लड़की की मृत्यु

3922. **श्री राम सेवक यादव : श्री मधु लिमये :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जून, 1966 में माऊंट आबू रेड क्रास प्रशिक्षण कैम्प में एक लड़की की मृत्यु के बारे में यू० एन० आई० के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उसकी मृत्यु का क्या कारण था;

(ग) क्या यह सच है कि उस लड़की का इलाज आबू में कुछ प्रकार के टीके तथा औषधियां उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका ; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी किये हैं कि जब कभी रेडक्रास, नेशनल कैडट कोर, वाय स्काउट, गर्ल्स गाइड आदि के ऐसे प्रशिक्षण कैम्प लगाये जायें तो संबंधित विभाग तथा राज्य सरकार भी आवश्यक औषधियां जमा रखें।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां।

(ख) मधुमेह-अर्धमूर्च्छा।

(ग) जी नहीं यह सच नहीं है। सभी आवश्यक दवाइयां समय पर ही दे दी गई थी।

(घ) माउंट आबू कैम्प में एक पूर्णसज्जित औषधालय स्थापित किया गया था तथा कैम्प की ड्यूटी के लिए एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया था।

हाथरस नगर में मिलावट करने के मामले

3923. **श्री राम सेवक यादव : श्री मधु लिमये :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाथरस नगर में कुछ फर्मों द्वारा मसालों जैसे हींग, जीरा, काली

मिर्च आदि को तैयार करने में मिलावट किये जाने के बारे में कोई सूचना मिली है ;

(ख) करों के रूप में सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ग) यदि सरकार ने इन फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : जी, हां।

(ख) कोई अनुमान नहीं लगाया गया।

(ग) उन वस्तुओं के, जिन में मिलावट का संदेह था, नमूने दुकानों से उठा लिये गये हैं तथा विश्लेषण के बाद जिन नमूनों में मिलावट पाई गई उनके मालिकों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं।

उपभोक्ता वस्तुओं का चीन से बरास्ता नेपाल चोरी छिपे लाया जाना

3924. **श्री लखमू भवानी :** क्या वित्त मन्त्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ता वस्तुओं को चीन से बरास्ता नेपाल चोरी छिपे लाये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : पार करने योग्य क्षेत्रों में रोक थाम का प्रबन्ध सुदृढ़ कर दिया गया है और सीमा क्षेत्रों में तैनात अफसरों को सतर्कता बढ़ाने के लिए सावधान कर दिया गया है।

कालीकट में आय-कर अधिकारियों के लिए क्वार्टर

3925. **श्री अ० व० राघवन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट में आयकर अधिकारियों के लिये क्वार्टर बनाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) असैनिक व्यय में अत्यधिक बचत करने की जरूरत होने से इस समय कालीकट, केरल, में आयकर अधिकारियों के निवास के लिये मकान नहीं बनवाने का फैसला किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सर्कस के कलाकारों को बीमा सम्बन्धी सुविधायें

3926. **श्री अ० व० राघवन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्कस के कलाकारों को बीमा सम्बन्धी सुविधायें देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन को यह सुविधा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकस के जो कलाकार (ट्रेपेजी कलाकारों, भार उठाने वाले तथा जंगली जानवारों के करतब दिखाने वाले कलाकारों की तरह) खतरे का सामना नहीं करते, उनके जीवन पर बीमा के प्रस्तावों पर मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

कालीकट मेडिकल कालेज

3927. **श्री अ० व० राघवन** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कालीकट मेडिकल कालेज में महिलाओं के लिये एक दूसरा होस्टल बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या महिला छात्रों के इस समय रहने के लिये स्टाफ क्वार्टरों में जगह की गई है ; और

(ग) दूसरे होस्टल का निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) होस्टल के मेन ब्लाक का निर्माण कार्य हाल में ही आरम्भ किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) धन की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य में शीघ्रता लाई जायेगी ।

आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों से सड़कों का विकास

3928. **श्री राम हरख यादव** : **श्री मुरली मनोहर** :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए रिपोर्ट देने के हेतु एक अध्ययन दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं ;

(ग) क्या सरकार को रिपोर्ट की प्रति मिल गई है ; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना में कुल कितना खर्च किया जाएगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) असम के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर, संयुक्त केन्द्र-राज्य अध्ययन दल ने विचार किया है । इस दल के नेता योजना आयोग के सदस्य हैं । असम के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें पूरी पांच वर्ष की अवधि के लिए 70.50 करोड़ रुपयों की व्यय-व्यवस्था की गई है । इसमें से 20 करोड़ रुपए सड़कों के विकास के लिए रखे गए हैं । दल के प्रस्तावों को योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है ।

मानवीय खाद्य के रूप में चूहे

3929. **श्री राम हरख यादव** : **श्री मुरली मनोहर** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किये गये इस मत का परीक्षण कर लिया है कि मानवीय खाद्य के रूप में चूहों का उपयोग किया जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार को इसके सम्बन्ध में जापान के पोषाहार विशेषज्ञ डा० ओकड द्वारा किये गये प्रयोगों की जानकारी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मानवीय खाद्य के रूप में चूहों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

नेत्रहीनों के लिये "ब्रैल" साहित्य

3930. **श्री म० प० स्वामी : श्री काशीनाथ दुबे :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों के प्रयोग के लिये "ब्रैल" साहित्य छापने के लिये मद्रास में एक प्रादेशिक "ब्रैल" मुद्रणालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मुद्रणालय में "ब्रैल" साहित्य किस भाषा में छापा जायेगा ; और

(ग) मद्रास में ब्रैल मुद्रणालय स्थापित करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी, हां । मद्रास सरकार द्वारा यह प्रेस स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाओं में ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने राज्य सरकार को काफी साज-सामान दे दिया है ।

भूमिगत जल का सर्वेक्षण

3931. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'यूनेस्को' के हाल के अध्ययन के बारे में पता है, जिससे यह मालूम हुआ है कि पृथ्वी तल के ऊपरी आधे मील में स्थित लगभग 10 लाख घन मील भूमिगत जल अप्रयुक्त पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे जल विशेषज्ञों ने इस साधन से पानी निकालने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है अथवा कोई तरीका निकाला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) किन्तु देश में भूमिगत जल संसाधनों को निर्धारित करने के लिये परिभाषावाचक अनुसंधान पहले से ही किया जा रहा है । हमारी लगभग 23 प्रतिशत वर्तमान सिंचाई भूमिगत जल संसाधनों से होती है ।

पत्रकारों के लिये क्वार्टर

3932. **श्री ब० कु० दास :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता-प्राप्त पत्रकारों, फोटोग्राफरों तथा अन्य वर्गों के पत्रकारों को नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर मिल सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्वार्टर देने के सम्बन्ध में क्या नियम, विनियमन तथा प्रक्रिया है;

(ग) अब तक ऐसे कितने पत्रकारों तथा फोटोग्राफरो को क्वार्टर दिये गये हैं; और

(घ) ऐसे कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) देश के जन-जीवन में उनके द्वारा किये गये कार्यों को मान्यता देने के रूप में 1953 में यह निर्णय किया गया था कि अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधियों को सामान्य पूल में से वास दिया जाये। इस प्रयोजन के लिए कुछ मकान प्रेस एसोसियेशन को सौंप दिये गये हैं तथा आवंटन प्रेस एसोसियेशन के द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

(ग) 78.

(घ) 86.

दिल्ली में हिन्दुस्तान रेज़िडेंशियल इस्टेट तथा ग्रीन इस्टेट कालोनीज़

3933. **श्री रामभद्रन : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जैतपुर रोड पर बदरपुर के निकट 'हिन्दुस्तान रेजिडेंशियल इस्टेट' तथा 'ग्रीन स्टेट' नामक दो कालोनीज़ स्वीकृत कालोनी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों कालोनीज़ के पूर्ण विकास के सम्बन्ध में कालोनाइजर द्वारा दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिये कोई सरकारी अभिकरण है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) ये बस्तियां अनुमोदित बस्तियां नहीं हैं। वास्तव में उनकी भूमि निचाई पर है तथा वहां बाढ़ आने की संभावना है तथा उसे बसाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह मामला नितान्त रूप से कालनाईज़रों तथा प्लाट के खरीदारों के बीच का है।

पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड

3934. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड के भूतपूर्व निर्देशकों के विरुद्ध की गई न्यायिक कार्यवाही का क्या परिणाम रहा है;

(ख) पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड के सरकारी परिसमापक तथा उसके कर्मचारियों पर अब तक कितना व्यय हो चुका है; और

(ग) उस बैंक में धन जमा करने वाले लोगों को अगला लाभांश कब दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकारी परिसमापक (आफिशल लिक्विडेटर) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45-ज और समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 543 (1) के अधीन, बैंक के निदेशकों, लेखापरीक्षकों तथा दूसरे अधिकारियों के विरुद्ध अपकरण (मिसफीजंस) का आवेदनपत्र दायर किये जाने पर केरल उच्च न्यायालय ने 2.57 करोड़ रुपये की कुल रकम की दो डिगरियां दी हैं जिनकी वसूली दस व्यक्तियों से संयुक्त रूप में या अलग अलग की जानी है। लेकिन विचाराधीन अपीलों और निषेधाज्ञाओं को देखते हुए डिगरियों की रकमें वसूल करने के लिए अभी कोई कदम उठाना सम्भव नहीं है।

(ख) जून, 1966 के अन्त तक, परिसमापक के वेतन, कर्मचारियों की उपलब्धियों, विधि-प्रभार (लाचार्जेज) और दूसरे खर्च की रकम कुल मिलाकर 25.97 लाख रुपया हुई।

(ग) सरकारी समापक अगले लाभांश की घोषणा करने के प्रश्न पर तभी विचार कर सकेगा जब बाकी ऋणों और अग्रिमों तथा डिगरियों की रकमों की वसूली में कुछ प्रगति हो जाय।

ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

3935. **श्री बूटा सिंह :**　　**श्री मधु लिमये :**

श्री राम सेवक यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम का जनरल बीमा अनुभाग ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी का कारबार अपने हाथ में ले रहा है;

(ख) क्या इस कम्पनी के कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम में ले लिया जायगा;

(ग) क्या उनकी इस प्रकार की नियुक्ति से उनकी सेवा की शर्तों, वेतन तथा बोनस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब में सुधार-शुल्क की वसूली

3936. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में 1953 का सुधार-शुल्क तथा क्षेत्रफल अधिनियम किस तारीख को लागू किया गया था;

(ख) क्या अपर बड़ी दोआब नहर तथा आर० डा० 23500/एल० और 23510/ एल० नहर मोरियो में से प्रत्येक से सींचे जाने वाले क्षेत्रों के बारे में सुधार-शुल्क का कोई निर्धारण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी धन राशि का निर्धारण किया गया है ;

(घ) जिन क्षेत्रों में पहले से ही नहर के पानी से सिंचाई होती है उनके बारे में यह निर्धारण किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) उपरोक्त प्रत्येक मोरी से सींचे जाने वाले क्षेत्रों के मालिकों से अब तक कुल कितना सुधार-शुल्क वसूल किया गया है;

(च) क्या पंजाब सरकार को 1965 और 1966 में सुधार-शुल्क निर्धारण करने की वैधता के बारे में इन मालिकों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(छ) इस मामले में जांच किये जाने का कोई आदेश दिया गया था; और

(ज) इस जांच का क्या परिणाम निकला तथा पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ज) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इर्विन अस्पताल में बेहोश रोगी

3937. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में ऐसे कितने रोगी हैं जो एक महीने से अधिक अवधि से बेहोश हैं और जिनका वहां पर उपचार हो रहा है ;

(ख) क्या इन रोगियों की दिमाग की चोटों समेत पूरी तरह जांच की गई है ;

(ग) उन रोगियों को सभी आवश्यक चिकित्सा करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दो ।

(ख) जी, हां; रोगी क्षय रोग (मेनिनगटिस) से पीड़ित हैं ।

(ग) और (घ) सर्वोत्तम उपचार जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, पी० ए० एस०, आई० एन० एच०, ट्यूब द्वारा भोजन कराना और कोर्टीकासट्रायउस का प्रयोग शामिल है, किया जा रहा है ।

अपर वारी दोआब नहर के मोघे

3939. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला अमृतसर, तहसील पट्टी, ग्राम खलरा और ढोढे के क्षेत्रों की सिंचाई के लिये

अपर बारी दोआब नहर की मुख्य लाइन पर आर डी 23500 और 23510/एल मोघों (कनाल आउटलेट) के निर्माण की मंजूरी किस तिथि को दी गई थी;

(ख) निर्माण के पश्चात् उक्त माघो ने किस तिथि को कार्य करना आरम्भ कर दिया था; और

(ग) वर्ष 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52, और 1952-53 में प्रत्येक फसल (खरीफ और रबी) के दौरान प्रत्येक मोघे से वास्तव में कितने क्षेत्र की सिंचाई की गई थी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Liaison between D. M. G. and D.D.A.

3940. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Raghunath Singh:**
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have suffered a loss of Rs. 1.50 lakhs due to lack of liaison between the New Delhi Municipality and the Delhi Development Authority as reported in the 'Hindustan' of th: 7th May, 1966 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b) The development of the colony referred to in the press report was started not by the Delhi Municipal Corporation on the recommendation of the **Ad Hoc** (Slum Clearance and Improvements) Committee of the Corporation. An expenditure of Rs. 66,000/- on roads, drains, street lighting, water-mains, Community latrines baths, levelling and levelling and dressing, etc. has so far been incurred. Since the area has been earmarked 'green' in the land uses prescribed in the Master Plan for Delhi, the Delhi Development Authority objected to the shifting of people to this locality. The work in the colony has therefore been suspended. The matter is under the consideration of the Chief Commissoner, Delhi.

बस्तर का आदिवासी क्षेत्र

3941. **श्री बागड़ी : श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उन उपायों का अध्ययन कर लिया है, जो आदिवासी क्षेत्रों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 339 और 244 (पांचवीं अनुसूची के साथ पठित) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व को निभाने के लिये अपेक्षित है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन से क्या क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) (क) तथा (ख) : अनुच्छेद 339 (2) में निर्देशित अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण उपायों तथा पंचम अनुसूची के पैरा 3 में निर्देशित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के प्रश्न पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त तथा प्रदेशों के राज्यपालों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के आधार

पर लगातार अध्ययन किया जा रहा है। जहां तक कल्याण योजनाओं का सम्बन्ध है, वहां तक केवल वही योजनायें राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, जिन्हें भारत सरकार मंजूर कर देती है। जो योजनायें अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विशेष रूप से आवश्यक समझी जाती है, उन्हें योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तथा उनका पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है। केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम में आदिम जातीय विकास खण्ड योजना शामिल है, जिसमें आदिम जातियों का और अधिक तेजी से विकास करने के लिये प्रशासिक ढांचे की व्यवस्था की गई है। इस बात का भी परीक्षण किया जा रहा है कि क्या विशेषतया उन राज्यों में जिनमें आदिम जातियों की बड़ी जनसंख्या है, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिये प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत अधिकारियों के उपसंसर्ग रखना उचित होगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परीक्षा-पूर्व भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षण केन्द्र

3942. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस योजना पर विचार कर लिया है?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां।

(ख) भारत सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

Cinemas in Delhi

3943. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Raghunath Singh :**
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Cinema plot had been sold by the Delhi Development Authority in New Delhi for Rs. 11 lakhs in May, 1960 ;

(b) if so, the number of Cinemas for which lands have been sold by the Delhi Development Authority at such exorbitant rates ; and

(c) the place where the cinema referred to in part (a) above would be constructed ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) (a) Yes; in May 1966 and not in May, 1960. The price is not considered to be exorbitant.

(b) No other site has been sold.

(c) Block 'A' Safdarjang Development Residential Scheme (behind Nauroji Nagar), South Delhi.

लखनऊ में रिजर्व बैंक के कर्मचारी

3944. **श्री उटिया :** **श्री मधु लिमये :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में 10-11 मई के आन्दोलन में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कुछ कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने उन्हें धमकाया था जब कि उनके साथ ऐसा बर्ताव करने का उसे कोई अधिकार नहीं था; और

(ग) क्या उन्हें जब रिहा कर दिया गया है तथा यदि उनके विरुद्ध कोई आरोप थे, तो क्या उन्हें वापिस ले लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) रिजर्व बैंक का कार्यालय सचिवालय के अहाते में है। सचिवालय के सामने उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के प्रदर्शनों में भाग लेने के आरोप में बैंक के 6 कर्मचारियों को 13 मई 1966 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दो और कर्मचारियों ने भी, जिनके नाम वारंट जारी किये गये थे, 16 मई 1966 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।

(ख) भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) तब से दो कर्मचारी अपने काम पर आ गये हैं बाकी 6 कर्मचारियों पर लगाये गये अभियोग अभी तक राज्य सरकार ने वापस नहीं लिये हैं।

होजीनाकल परियोजना

3945. **श्री हु० च० लिंग० रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर तथा मद्रास राज्यों में होजीनाकल परियोजना के लिये कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) इससे कितनी बिजली पैदा होने की आशा है तथा मद्रास और मैसूर दोनों राज्यों में कितनी भूमि की सिंचाई होने की आशा है ;

(घ) इस परियोजना का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अहमद): (क) और (ख) मद्रास राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार होगेनकल परियोजना की अनुमति लागत 55.-56 करोड़ रुपये हैं। मैसूर सरकार अभी होगेनकल परियोजना का अनुसंधान कर रही है और लागत का कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है।

(ग) मद्रास द्वारा परिकल्पित होगेनकल परियोजना से 60% भार अनुपात पर 440

मैगावाट की वास्तविक बिजली शक्यता उपलब्ध होने की सम्भावना है और इसमें कोई सिंचाई कार्य सम्मिलित नहीं है। मैसूर सरकार द्वारा अनुसंधानाधीन परियोजना की शक्यताओं का अभी पता नहीं है।

(घ) और (ङ) परियोजना को तब ही आरंभ किया जा सकता है जब सभी वैकल्पिकों का अनुसंधान पूरा हो जाए, संभाव्यता का पता लग जाए अर्न्तराज्यीय और पहलुओं का मान्य समाधान मिल जाए और कार्यान्विनार्थ परियोजना स्वीकार हो जाए।

अपर कृष्णा परियोजना

3946. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 17 मार्च 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 609 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर कृष्णा परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लिये जाने के प्रश्न पर क्या अन्तिम निर्णय किया गया है, और

(ख) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इससे मैसूर राज्य के शुष्क क्षेत्र में कितनी भूमि में सिंचाई होने और उसके परिणामस्वरूप कितना अनाज उत्पन्न होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) बृहत बहुधन्धी परियोजनाओं पर धन व्यय करने की पद्धति से सम्बन्धित सामान्य प्रश्न के संदर्भ में इस मामले पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) पुनरीक्षित अपर कृष्णा परियोजना- चरण 1 की अनुमित लागत 5900 लाख रुपये हैं। इस परियोजना से 6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई और 1.9 लाख टन की वार्षिक अन्न उत्पत्ति होने की सम्भावना है।

Seizure of Ganja in Salempur (U. P.)

3947. **Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that on the 15th May, 1966, the police personnel at Salempur, district Devarea, U. P. caught a truck full of contraband ganja near th Salempur railway halt ;

(b) if so, the total quantity of the ganja seized; and

(c) the action being taken by Government in the matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes, Sir.

(b) The total quantity of ganja Seized was about 1353 kilos.

(c) A case under Excise Act has been registered against the four accused persons at Lar Police Station and it is under investigation.

कलकत्ता में घड़ियों तथा पाकिस्तानी मुद्रा का पकड़ा जाना

3948. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में मार्च, 1966 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टोरेट तथा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्करी के माल में 1208 कलाई की घड़ियां तथा 2671 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा शामिल थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) मार्च 1966 में पश्चिम बंगाल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ता कार्यालय के अधिकारियों ने कलकत्ता में 711 विदेशी कलाई घड़ियां तथा कलकत्ता के बाहर 497 घड़ियों के विदेशी फीते पकड़े। उन्होंने इसी महीने में नौ रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा भी पकड़ी।

(ख) कलाई घड़ियों के पकड़े जाने के मामले में पांच आदमी गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से कुछ का न्याय निर्णय हो गया है तथा दूसरों का न्याय निर्णय किया जा रहा है। दो मामलों में कलाई घड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। घड़ियों के फीतों के पकड़े जाने के मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे तथा अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। घड़ियों के फीते और मुद्रा भी जब्त कर ली गई है।

सूडान को ऋण

3949. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री 17 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की स्थापना के लिये 5 करोड़ रुपये के ऋण के बारे में सूडान सरकार के साथ बातचीत को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की क्या शर्तें हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसको कब अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) इस विषय पर और अधिक बातचीत करने के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गयी है।

लेखा बाह्य धन का पता लगाने के लिये छापे मारना

3950. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री बूटा सिंह** :
श्री कपूर सिंह : **श्री नरसिम्हा रेड्डी** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में जनवरी, से 30 जून 1966 तक लेखा बाह्य धन का पता लगाने के लिये कितने छापे मारे गये ;

(ख) अब तक कितने मामलों पर निर्णय किया जा चुका है और कितने अभी लम्बित हैं ; और

(ग) इन मामलों में कितनी धन राशि आय कर के रूप में आँकी गई है तथा कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):

(क) आयकर आयुक्तों का कार्यक्षेत्र	तलाशियों की संख्या
असम	1
आन्ध्र प्रदेश	3
बिहार तथा उड़ीसा	3
बम्बई सिटी तथा केन्द्रीय कार्यक्षेत्र	29
दिल्ली तथा दिल्ली केन्द्रीय कार्यक्षेत्र	2
मद्रास तथा मद्रास केन्द्रीय कार्यक्षेत्र	6
मध्यप्रदेश और नागपुर तथा प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र	4
मैसूर	1
पूना	2
पंजाब	1
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता केन्द्रीय कार्यक्षेत्र	11
जोड़	67

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली में मैसर्स लुफ्थान्सा एयरलाइन्स द्वारा दिया गया किराया

3951. **श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक : श्री बागड़ी :

क्या वित्त मन्त्री 24 मार्च 1966 को हुई आधे घंटे की चर्चा के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में मैसर्स लुफ्थान्सा एयरलाइन्स को मकान मालिक द्वारा दी गई मासिक अथवा वार्षिक किराया-रसीदों की जांच कर ली है ;

(ख) जिस समय यह स्थान किराये पर दिया गया था तब, तथा आजकल नई दिल्ली में कनाट सर्कस में, ऐसे ही स्थान के लिये जाने वाले किराये की तुलना में इसका किराया कितना है ; और

(ग) क्या मकान मालिक पर वास्तविक किराया-रसीदों, अथवा उस समय जब यह स्थान किराये पर दिया गया था, चालू किराये के आधार पर, विभिन्न करों के लिये कर-निर्धारण किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) किराये की रसीदों की जांच नहीं की गयी है लेकिन मेसर्स लुफ्थान्सा एयरलाइन्स के खातों की और उनके बैंक के हिसाब-किताब की तथा मकान-मालिक के बैंक के हिसाब-किताब की जांच कर ली गयी है। मेसर्स लुफ्थान्सा द्वारा दिया गया किराया 1964 में बाजार में प्रचलित किराये की दर की तुलना में कम था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गयी विस्तृत जांच से मकान-मालिक को इमारत के किराये के लिए की जाने वाली अदायगियों में किसी प्रकार की अनियमितता का पता नहीं चला है।

(ग) उक्त इमारत के लिए मिल रहे वास्तविक किराये के आधार पर मकान-मालिक से अयकार अधिकारी द्वारा देय कर की वसूली की जा रही है। लेकिन लुफ्थान्सा एयरलाइन्स को इमारत जिस अवधि में किराये पर दी गई है उस अवधि का कर-निर्धारण अभी होना बाकी है।

सेना के कर्मचारियों का बीमा

3952. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाकाल के दौरान मरने वाले अधिकारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के संदर्भ में भारतीय वायु सेना के युवक अधिकारियों का कमीशन प्राप्त करने के समय से अपना जीवन बीमा कराने के लिये आकर्षक शर्तों पर बीमा करवाने की सुविधा देने के प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि युद्ध में अथवा सामान्य फौजी कार्यवाही में मरने वाले अधिकारियों के दावों का निपटारा करने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा नियमों पर अधिक जोर देने से सेना में जीवन बीमा की लोकप्रियता नहीं बढ़ सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके लिये जीवन बीमा को आकर्षक बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ग) जीवन बीमा निगम के अनुसार, वायु सेना कर्मचारियों के जीवन पर बीमा की दरें उदार रखी गई हैं। सन् 1961 के शुरू में, जीवन बीमा निगम ने उड्डयन कर्मचारियों के जीवन बीमा के बारे में अपनी दरों की समीक्षा की थी और उनके द्वारा दिये जाने वाले अतिरिक्त प्रीमियम की दरों में कटौती की थी।

(ख) रक्षा-कर्मचारियों के जीवन-बीमा सम्बन्धी दावों के तुरन्त निपटाये जाने के लिये जीवन बीमा निगम में विशेष प्रबन्ध किया गया है।

राज्यों में सहायता कार्यों के लिये सहायता

3953. **श्री श्रीनारायण दास** : **श्री कपूर सिंह** :

श्री हुकम चन्द्र कछवाय : **श्री बूटा सिंह :**

श्री रामेश्वरानन्द : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री रघुनाथ सिंह : **श्री प्र० के० देव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभाव तथा सूखाग्रस्त विभिन्न राज्यों ने स्थिति का सामना करने के लिये सहायता-कार्यों और अन्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से राज्यवार कितनी राशि के ऋण तथा अनुदान मांगे थे; और

(ख) ऋण तथा अनुदान की इन मांगों को कहां तक पूरा किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०**-6985/66]

विदेशों से ऋण

3954. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष भारत ने विदेशों से कुल कितना ऋण लिया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : भारत ने विदेशों से पिछले वर्ष (अर्थात् 1 सितम्बर, 1965 से 31 अगस्त, 1966 तक) जो ऋण लिये (करार किये) उनकी रकम नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार 1026.43 करोड़ रुपया थी :—

		(करोड़ रुपयों में)
(1)	विदेशी मुद्रा के रूप में चुकाये जानेवाले ऋण	691.37
(2)	सामान के निर्यात के जरिये चुकाये जानेवाले ऋण	86.57
(3)	रुपयों के रूप में चुकाये जानेवाले ऋण	248.49
	जोड़	1026.43 करोड़ रुपये

Slum Clearance Cases in Delhi

3955. **Shrimati Savitri Nigam** : Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of cases filed with the Slum Authority since its creation under the Slum Clearance (Amendment) Act; and

(b) the number of cases decided so far ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) 2007

(b) 777

Gandhi Sagar Power House

3956. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh :**
Shri Rameshwaranand : Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Gandhisagar Power House stopped working due to severe drought this year ;

(b) if so, the action taken by Government to keep the power house working ;

(c) the extent of loss caused to the Government due to stoppage of electricity from this Power house; and

(d) the alternative arrangements made to provide electricity to areas to which Gandhisagar Power House was supplying electricity ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) Yes, for a period of about three weeks in May, 1966.

(b) In view of the abnormally low reservoir level, it wos not possible to keep the power house in operation.

(c) It is difficult to make a precise assessment of the loss.

(d) A number of emergent measures were taken to provide maximum relief to the areas, the more important ones being :

(i) construction of 132 KV transmission line from Rattangar to Jaipur to augment the power supply from the Bhakra system;

(ii) installation of diesel sets in Rajasthan;

(iii) installation of 10 MW Gas Turbine Set at Kotah, procured from the Mysore State Eletrictity Board; and

(iv) construction of a 220 KV link from Jabalpur to Itarsi to supply power from the Amarkantak-Kobra system.

Drinking Water Booths in Delhi

3957. **Shri Rameshwaranand : Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no facility of drinking water in the Capital on long and shore distance routes on account of which great hardship is caused to public during summer ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The Municipal Corporation of Delhi have reported that adequate facilities exist in Delhi on most of the short distance routes. There are over 4000 public stand posts provided in the entire area of the Delhi Municipal Corporation.

There are about 100 public hydrants on roadsides for use of the general public in the New Delhi Municipal Committee area at important points. In addition to the hydrants, a number of Piaos have been set up on road sides. Water Coolers have also been installed jointly with donors in Connaught Place and Lodi Road for supply of drinking water to the public.

There is no provision for such facilities being extended by the Delhi Municipal Corporation on long distance routes like Ring Road, Mathura Road etc. However, even on such routes, some facilities for drinking water exist in the stretches of Ring Road be-

7

tween Mathura Road and Mehrauli Road as well as from Rajghat to Alipur Road. These roads carry bus or motor car traffic and their needs are catered for by the road side Cafeterias and aerated water stalls which also keep drinking water.

(b) The long distance routes mostly carry vehicular traffic. There is comparativly very little pedestrian traffic requiring road side facilities of drinking water.

Silver seized in Bombay

3958. **Shri Rameshwaranand :** **Shri Raghunath Singh :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that silver bars weighing 750 kilograms were seized from a car in Bombay during the second week of May, 1966 ;

(b) if so, the action taken in this regard ; and

(c) the name of the owner of the car and the place from where the silver bars were brought?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b) No such seizure has been made by any Central Revenue Authorities under the Union Finance Ministry. However, it is understood that on 10th May, 1966 the Bombay Police seized 25 silver bars in all weighing 762 kilograms, from a car in Bombay. The silver bars were later released by the Police under the orders the Chief Presidency Magistrate, Bombay.

(c) It is reported that the car stands registered in the name of one Shri Sunderdas Govindram of Delhi. The silver bars had been loaded into the car at the business premises of M/S Bhirumal Shamaldas at Sheikh Memon Street, Bombay.

डाक्टरों की पदोन्नति के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के पुनरीक्षित नियम

3959. **श्री यशपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में संशोधित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के अन्तर्गत डाक्टरों की पदोन्नति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके चयन की तिथि का विचार किये बिना, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में 5 वर्ष की नौकरी पूरी होने के बाद जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, प्रथम श्रेणी के रूप में की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदोन्नतियों के कारण वर्तमान वरिष्ठता सूची में कोई अन्तर आयेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) सभी चिकित्सा अधिकारियों को जो संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर वर्तमान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के अधीन वर्ग "ङ" में अथवा किसी समान पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किये गये हैं और जिन्होंने उस वर्ग में अथवा समान पद पर संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी विभागीय पदोन्नति समिति अथवा किसी यथाविधि नियुक्त चयन समिति की सिफारिश पर हुई अपनी नियुक्ति तिथि से पांच वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनके कार्य के रिकार्ड के आधार पर जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर प्रथम श्रेणी के ग्रेड में उनकी पदोन्नति के बारे में विचार

किया जायेगा। अधिकारियों की वर्तमान वरिष्ठता सूची में कुछ हेर फेर होने की सम्भावना को समाप्त नहीं माना जा सकता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के लिये 'विकलांग' उपचार

3960. **श्री यशपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों से सरकार को विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पतालों में 'विकलांग उपचार' के लिए एक पृथक् केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभाव बनाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) हाल में ही कोई आभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार नियोजन के प्राकृतिक उपायों को लोकप्रिय बनाना

3961. **श्री यशपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि देश में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये गर्भ निरोधक सामग्री के प्रयोग से भिन्न क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री(डा० सुशीला नायर): सभी स्तरों के परिवार नियोजन कार्यकर्त्ता जनता को परिवार नियोजन के सभी तरीके समझाते हैं जिनमें ब्रह्मचर्य अथवा संयम, देर से विवाह करना, मैथुनावकाश और रिद्म-मैथड या सुरक्षित-काल-विधि भी सम्मिलित हैं। यह बतला दिया जाता है कि आत्म-संयम सबसे अच्छी विधि है। जो अन्य प्रकार की सहायता चाहते हैं उन्हें प्रचलित गर्भरोधक दिये जाते हैं जिनके तीन या तीन से अधिक बच्चे हैं उनके लिये वन्ध्यीकरण, जो कुछ समय बाद एक और बच्चा चाहते हैं उनके लिये लूप अन्य तरीके हैं जो उन्हें समझा दिये जाते हैं और यदि वे इन तरीकों को अपनाना चाहें तो उन्हें ये सेवायें उपलब्ध करा दी जाती हैं।

नगर तथा ग्राम आयोजन सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी

3962. **श्री बागड़ी : श्री राम सेवक यादव :**

डा० राम मनोहर लोहिया : श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक : श्री मौर्य :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 28 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4591 जो कि नगर तथा ग्राम आयोजन सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी के बारे में था, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोष्ठी में की गई सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री, (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० -6986/66]

एयर इंडिया के महाप्रबन्धक द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

3963. **श्री गुलशन** : क्या **वित्त** मंत्री एयर इंडिया के महाप्रबन्धक द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने के बारे में 12 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5524 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन आरोपों की इस बीच जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन आरोपों का व्यौरा क्या है और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच-पड़ताल से पता चला है कि एयर इंडिया के महाप्रबन्धक और उनके पुत्रों का विदेश यात्रा के सिलसिले में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अन्तर्गत कोई उल्लंघन नहीं हुआ था ।

Shifting of Factories in Delhi

3964. **Shri Rameshwaranand : Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether a proposal for the shifting of factories posing danger to the life and property of Delhi citizens is under consideration of the Delhi Municipal Corporation ;

(b) whether Government are considering to allot plots at cheap rates for these factories ;

(c) if so, the number of factories along with the names of places of their location proposed to be shifted ; and

(d) when this work will be completed ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes. The Master Plan for Delhi envisages shifting of industrial units/factories from non-conforming areas to the conforming areas.

(b) Land is being allotted to these industrial units/ factories at reserve price.

(c) There are about 10,000 industrial units/factories which are proposed to be shifted to the Najafgarh Industrial area, Okhala Industrial area, Azadpur Industrial Zone, Rohtak Road Industrial Zone and Shahdara Industrial Zone.

(d) As shifting will be possible only after essential services have been provided at the new sites, it has been decided that :-

(i) Noxious industries should be shifted first from their present locations and they may be allowed a period of three years. One or two years more may be allowed to them if the capital value exceeds Rs. 1 lakh ;

(ii) Nuisance industries may be allowed four to ten years depending on the number of employees, production floor area and capital value ; and

(iii) Non-nuisance industries may be allowed six to twenty years.

दिल्ली में भूमि की कीमत

3965. श्री मौर्य : श्री बागड़ी :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों को देखा है कि पिछले एक वर्ष में राजधानी में रिहायशी प्लाटों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है कि कमआय वर्ग को सस्ते दामों पर प्लाट दिये जाने चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) इसके कारण हैं नई जनसंख्या का आगमन, भूमि की अधिक मांग तथा शहरी संपत्ति से अच्छा लाभ।

(ग) और (घ) दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन तथा विकास और निपटान की योजना के अन्तर्गत 200 वर्ग गज से कम के प्लाट निम्न आय वर्ग के लोगों को लाटरी के द्वारा सुरक्षित मूल्य पर पहले ही से आवंटित किये जा रहे हैं।

रोशनारा पेंट्स एण्ड वार्निश वर्क्स दिल्ली

3966. श्री मौर्य : श्री बागड़ी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोशनारा पेंट्स एण्ड वार्निश वर्क्स, सब्जी मण्डी (रूप नगर), दिल्ली के प्रबन्धक अपने सन्तुलन-पत्र में घाटा दिखा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह कम्पनी प्रतिवर्ष लाखों रुपया कमा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कम्पनी के सन्तुलन-पत्र की जांच कराने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है। तल-पट में दिखाये गये परिणामों की जांच की जा रही है।

Zamindari Abolition Act

3967. **Shri Bibuti Mishra** : Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Zamindari Abolition Act has been passed and enforced by all the States ;

(b) if so, whether this Act is in force throughout Bihar except Tatanagar (Jamshedpur) ;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether the Central Government have advised the Bihar Government to exclude Tatanagar ?

The Minister of Planning & Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Legislation for the abolition of intermediary tenures has been enacted and generally implemented in all States ;

(b), (c) and (d) The Bihar Land Reforms Act, 1950 which provides for abolition of intermediary tenures, is in force throughout Bihar including Tatanagar, except lands acquired under the Land Acquisition Act, 1894 for industrial under-taking in which occupancy rights have not accrued to tenants.

Employees of Central Excise Department Patna

3968 **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that non-gazetted employees of the Central Excise Department met the Minister of Revenue Finance on his visit to Patna on the 1st June, 1966;

(b) If so, the nature of their complaints and demands ; and

(c) The extent to which their demands have been acceded to by Government ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes Sir.

(b) The representatives of the Central Excise (Non- gazetted) Employees ' Union of the Patna Central Excise Collectorate have demanded that promotions of Deputy Superintendents of Central Excise to the gazetted Grade of Superintendents of Central Excise, Class II should be regulated on a Collectorate-wise basis instead of on a Zonal basis as at present.

(c) The request would receive due consideration.

Nizamsagar Reservoir

3969. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the depth of the vast water reservoir of Andhra Pradesh, Nizamsagar, near Nizamabad has been reduced to a considerable extent due to silting ;

(b) whether great difficulty is being experienced as a result thereof in irrigation system also ;

(c) whether the Central Government have received any memoranda in this connection ; and

(d) if so, the arrangements made to desilt the Nizamsagar reservoir ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) It has been so, to some extent, due to the silt load.

(b) No.

(c) No.

(d) The problem is being studied by the Andhra Pradesh Engineering Research Laboratories and necessary steps will be taken by the State Government after a solution is arrived at. However, to gain the capacity of the reservoir, it is contemplated to raise the F.R.L. after assessing correctly the lost capacity.

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

3970. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के अन्तर्गत कोई बाढ़ नियंत्रण योजनायें बनाई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई योजनायें क्या हैं;

(ग) प्रस्तुत की गई प्रत्येक बाढ़ नियंत्रण योजना पर कितनी लागत आयगी;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं के लिये कितना अनुदान अथवा सहायता दी जायेगी ; और

(ङ) प्रस्तुत की गई योजनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ सम्बन्धी विशेषज्ञ द्वारा सुझाई गई विविध बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास स्कीमों के लिये इस समय विस्तृत योजनाओं और अनुमानों को तैयार कर रही है।

(ख) राज्य सरकार ने कोई खास स्कीम अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जल परियोजनायें

3971. **श्री विभूति मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1966 के "सर्चलाइट" (पटना) में इस शीर्षक के अधीन प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जल परियोजनाएं भारत के लिए महत्व-पूर्ण हैं;

(ख) क्या अमरीका ने सिंचाई, जलरोध तथा लवणता सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में भारत की सहायता करने का संकेत दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) पंजाब बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास स्कीम तथा उत्तर प्रदेश में नल कूप जैसी कुछ स्कीमों के लिये खाद्य तथा कृषि संस्था, पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के जरिये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

वक्फ अधिनियम, 1954

3972. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1960 में हुये अखिल भारतीय मुस्लिम वक्फ़ सम्मेलन में वक्फ़ अधिनियम, 1954 में संशोधन करने के सुझाव दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो किन संशोधनों का सुझाव दिया था गया ; और

(ग) सरकार को इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दिसम्बर 1960 में एक अन्तर्राज्यीय वक्फ़ सम्मेलन हुआ था। जिसमें वक्फ़ अधिनियम के कुछ उपबन्धों के संशोधन का सुझाव दिया गया था ताकि राज्य वक्फ बोर्ड सुदक्षता से काम कर सके। तदनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर वक्फ अधिनियम, 1954 का विस्तृत रूप से संशोधन किया गया था। इस संशोधन बिल को संसद ने अक्तूबर 1964 में पास किया था।

पोचमपद परियोजना

3973. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोचम्पद परियोजना के स्थान पर मुख्य कार्य धन के अभाव के कारण का पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजना के लिये अतिरिक्त राशि देने के लिये कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पोचंपद परियोजन के निर्माण में तेजी लाने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि यदि 1966-67 से 1969-70 तक परियोजना पर खर्च के लिये 18 करोड़ रुपयों तक धन राशि उपलब्ध हो जाए तो जून, 1969 तक 2.70 लाख एकड़ (प्रथम फसल के 1.80 लाख एक और दूसरी फसल के 0.90 लाख एकड़) की सिंचाई शक्यता उत्पन्न करना संभव हो जाएगा। राज्य सरकार ने 120 लाख रुपये के स्वीकृत व्यय के अतिरिक्त 1966-67 के दौरान 230 लाख रुपये का नियतन और मांगा है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

सलाल पन-बिजली परियोजना

3974. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जम्मू में सलाल पन-बिजली परियोजना को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सलाल पन-बिजली परियोजना अभी तक अनुसंधान अवस्था में है। जब अनुसंधान पूरे हो जाएंगे और परियोजना रिपोर्ट बन कर तैयार हो जाएगी, इस परियोजना के बारे में निर्णय किया जाएगा और इसके पश्चात् ही परियोजना की लागत का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

बम्बई में मुद्रा तथा हीरों का पकड़ा जाना

3975. **श्री बसवन्त :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री मधु लिमये :**
श्री बड़े : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 में प्रवर्त्तन निदेशालय तथा बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने बम्बई में हीरे के व्यापारियों तथा बीमा एजेंटों के कार्यालयों और उनके निवास स्थानों से लगभग तीन लाख रुपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा तथा हीरे पकड़े थे; और

(ख) सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) प्रवर्तन निदेशालय और बम्बई सीमा-शुल्क के अधिकारियों ने 15 और 16 जून 1966 को हीरे के एक व्यापारी और एक बीमा एजेंट के निवास स्थानों तथा पालिश किये और बिना पालिश किये हीरों का व्यापार करने वाली एक फर्म के स्थानों की तलाशी ली थी और 78700 रुपये की भारतीय मुद्रा तथा 3.4 लाख रुपये के मूल्य के हीरे पकड़े थे।

(ख) एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और 17 जून 1966 को उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। एक मोटर कार के बारे में यह विश्वास था कि चोरी छिपे लाये गये हीरों को लाने-लेजाने में उसे काम में लिया गया था और इस लिए उसे भी पकड़ लिया गया है लेकिन न्याय-निर्णय होने तक उसे मुचलका लेकर छोड़ दिया गया है। आगे जाँच-पड़ताल चल रही है जिसके पूरा होने पर मामलों के न्याय-निर्णय करने की और जिन मामलों में आवश्यक हो उनमें मुकदमा चलाने की कार्रवाई की जायगी। पकड़ी गयी भारतीय मुद्रा आयकर अधिकारियों को सौंप दी गई है और उसके बारे में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के अधीन कार्रवाई करने के उद्देश्य से आगे पूछ-ताछ चल रही है।

Gold Seized at Manmad Railway Station

3976. **Shri Baswant :** **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of the Central Excise Department recovered about 300 tolas of contraband gold valued at Rs. 56,000 at the Manmad Railway Station on the 5th June, 1966 from the possession of a person who had alighted from the Bombay-Varanasi Express ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) On 5th June, 1966 at Manmad Railway Station the Central Excise officers apprehended a person who was travelling by the Varanasi bound Bombay-Varanasi Express and recovered from him 300 tolas of gold with foreign markings valued at Rs. 18, 750/- at the international rate then prevailing.

(b) The person was arrested and subsequently released on bail. The case is under adjudication.

Gold Seized from Passengers at Allahabad Railway Station

3977. **Shri Baswant : Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a group of officials of the Central Excise/Customs Department recovered 100 tolas of foreign gold from the possession of two ladies at the Allahabad Junction Railway Station (U.P) on the 9th June, 1966 ;

(b) if so, Government's reaction thereto ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) On 7th June, 1966 Central Excise officers apprehended two ladies at Allahabad Railway Station and recovered from their possession 100 tolas of gold with foreign markings and Indian currrency amounting to Rs. 38, 250/.

(b) & (c) The two ladies were arrested and subsequently released on bail. Investigations are in progress.

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

3978. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी की ओर से निर्यातक मैसर्स बेकर ग्रे के मार्च 1963 और नवम्बर 1963 के बीच कारपेट बुक करने के सौदों के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) यह सच है कि मार्च 1963 और 30 नवम्बर 1963 के बीच कालीनों के नीचे लगाने के जूट के कपड़े के निर्यात के सम्बन्ध में मैसर्स बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी और मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को कोई शो काज नोटिस नहीं जारी किया गया है। इन निर्यातों से सम्बन्धित सबूत के आधार पर ऐसी कोई कार्रवाई करना उचित नहीं था।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

3979. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के विदेशी मुद्रा के मामले की जांच के दौरान, 25 लाख रुपये की राशि मैसर्स बेकर ग्रे, जो कि मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी की निर्यात करने वाली एक कम्पनी है, के लेखे में नहीं दिखाई जा सकी ; और

(ख) क्या सम्बन्धित निदेशक को उस पद से हटा दिया गया है क्योंकि वह यह बताने में असमर्थ रहा था कि यह राशि लेखे में क्यों नहीं दिखाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) मैसर्स बेकर ग्रे के खातों में लगभग 25 लाख रुपये का फर्क पाया गया था। बीजकों को रकम घटाकर लिखने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि के मामले में न्याय-निर्णय पहले ही किया जा चुका है और पार्टी ने अब उस मामले

में अपील दायर कर रखी है। साथ ही, ऊपर लिखी रकम के फर्क के बारे में आगे जांच-पड़ताल की जा रही है जिससे इस बात का पता चल सके कि कोई अपराध किया गया है या नहीं। जब तक यह जांच-पड़ताल पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि डाइरेक्टर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं और उसके हटाये जाने का सवाल भी नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की समस्या

3980. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : 　　श्री दलजीत सिंह :**

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : 　　श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री हरि विष्णु कामत : 　　श्री दिगे :

श्री हेम राज :

क्या **योजना और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिये, जहां की समस्यायें मैदानी इलाकों से भिन्न हैं आयोजन की एक पृथक व्यवस्था बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कि पहाड़ी प्रदेश किस हद तक पिछड़े हुए हैं कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के विकास के लिये निधियों का विशेष आवंटन किया गया है; और

(च) वनों पर आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिये क्या उपबन्ध किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की विकास योजनाएं, उत्तर प्रदेश की राज्य योजना का एक अंग हैं। योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार को कतिपय मार्ग दर्शक चिन्ह, जिनमें पहाड़ी क्षेत्र विकास की समस्याओं पर बल दिया गया है, इस निवेदन के साथ भेजे जा रहे हैं कि राज्य योजना का निरूपण करते समय राज्य सरकार इनको ध्यान में रखे। निस्सन्देह, इन मार्गदर्शक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इन पहाड़ी जिलों की आवश्यकताओं पर ब्यौरे से विचार करेंगी और इन जिलों के लिये विशिष्ट विकास कार्यक्रमों को तैयार करेगी। चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में देश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 40 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान की व्यवस्था की गई है।

Documents seized from Firms in Bombay

3981. **Shri Onkar Lal Berwa : 　　Shri Raghunath Singh :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : 　　Shri Bade :

Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some papers were seized by the Income-tax Officers in Bombay from some financial agents in December, 1964 ;

(b) if so, the names of the firms with whom they had connections ;

(c) the number of firms against whom action was initiated by Government ;

(d) the nature of action taken against the firms found guilty ; and

(e) the reasons for not taking action against other firms?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) Each hundi banker had lent his name to a number of his clients for introducing their own moneys as hundi loans. A very large number of persons in and outside Bombay had introduced their own moneys as hundi loans. This was done for a number of years. Moreover, some of them did not maintain accounts. It will, therefore, not be possible to make a complete list. Even an incomplete list will take a long time as the number may be over a thousand.

(c) A list of bankers, who had lent their names, was circulated among all Income-tax Officers in the country and they were asked not to accept moneys introduced as loans from these name-lenders as genuine without strict proof. It will involve tremendous labour to collect, from Income-tax Officers, all over the country, the names of persons who had introduced moneys in these names.

(d) A number of persons, who had introduced their own moneys as hundi loans took advantage of the Voluntary Disclosure Scheme under section 68 of Finance Act, 1965 and Section 24 of Finance (No. 2) Act, 1965 and offered the amounts of hundi loans for assessment. No penalty could be levied under these Schemes. A number of persons offered for assessments as income, the amounts of hundi loans and requested for waiver or reduction of penalty under section 271 (4A) of Income-tax Act and the quantum of penalty was fixed on the merits of each case. The total amount thus offered for assessment is Rs. 32,58, 605 till 30-9-1965. Similar figure for subsequent period is not available. In cases of those persons who did not so offer hundi loans for assessment, assessments are being made in the normal course and the quantum of penalties considered in the circumstances of each case.

(e) Does not arise.

कलकत्ता में बालीगंज को कसाबा से मिलाने वाला ऊपरि पुल

3982. **डा० रानेन सेन : क्या योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता महानगरीय योजना संगठन ने आयोजना आयोग के अनुमोदन से बालीगंज को कलकत्ता में कसाबा से मिलाने वाले ऊपरि पुल की एक योजना मंजूर की है ;

(ख) क्या स्थानीय लोगों ने ऊपरि पुल के लिये कलकत्ता महानगरीय योजना संगठन को एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की थी जो स्थानीय रूप से अधिक अनुकूल थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) कलकत्ता नगर सुधार विभाग ने कसाबा में एक ऊपरि-पुल बनाने की योजना तैयार की है । इसे कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हेतु कलकत्ता नगर सुधार विभाग ने यह योजना राज्य सरकार के विकास व नियोजना विभाग के सामने प्रस्तुत की है । किन्तु कलकत्ता नगर सुधार अधिनियम, 1911 के अन्तर्गत अन्तिम स्वीकृति के लिए अभी यह योजना कलकत्ता नगर सुधार विभाग द्वारा राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत की जानी है ।

(ख) और (ग) कुछ स्थानीय लोगों द्वारा तैयार की गई एक वैकल्पिक योजना सीधे सरकार को भेजी गई थी उसे कलकत्ता महानगरीय योजना संगठन के पास तकनीकी जांच के लिए भेज दिया गया है। वहां उसकी तकनीकी जांच की जा रही है, आशा है शीघ्र ही कलकत्ता महानगरीय योजना संगठन इसके बारे में अपने विचारों को अन्तिम रूप दे देगा।

पंजाब में बिजली की कमी

3983. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य ने राज्य में चली आ रही बिजली की कमी को दूर करने के लिये कोई तकनीकी अथवा अन्य सहायता मांगी है और बिजली के कमी से राज्य को कितनी हानि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Illicit Trade in Opium by Railway Policemen

3984. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Vishram Prasad :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway Policemen of Shamgarh (Madhya Pradesh) indulge in opium trade ;

(b) whether it is also a fact that a sub-inspector of Police of Indore had caught certain Railway policemen red-handed while indulging in opium trade on the 2nd July, 1966 ;

(c) whether the said sub-inspector also informed the Bombay police about an attendant of Class I Bogie of the Frontier Mail who sent some opium to Bombay ;

(d) if so, whether that opium was also seized ; and

(e) the action being taken by Government in the matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Some Railway Policemen of Shamgarh have been suspected to connive in the smuggling of opium.

(b) The sub-inspector of Police, Indore assisted by Mandsaur and Shamgarh Police and Narcotics staff, recovered 20 kgms. of opium from the house of a Government Railway Police Constable in Shamgarh on 2nd July, 1966.

(c) Yes, Sir ;

(d) On enquiry by the Bombay Police, the information was found to be incorrect and no opium was recovered.

(e) Following the seizure of 20 kgms. of opium from the house of a Railway Police Constable on 2nd July, six other persons, who were not policemen but suspected to be involved in smuggling, were arrested. The Constable has been made an accused in this case which has been registered and is under further investigation by the Police.

बम्बई में जल का सम्भरण

3985. **श्री जसवन्त मेहता : श्री बसवन्त :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई नगर में जल सम्भरण की बिगड़ती हुई स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार की सहायता मांगी ; और

(ग) सरकार ने उनको सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, हां।

(ख) बम्बई नगर में अधिक जल की व्यवस्था करने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न योजनायें बनाई है। हाथ में ली जाने वाली तथा विचाराधीन योजनायें निम्नलिखित हैं :—

	साधन	उपलब्ध सप्लाई	लागत रुपये	निर्माण अवधि
(एक)	दहिसर योजना	6 एम० जी० डी०	3.5 करोड़	आरम्भ कर दी गई है और 1971 में पूरी हो जायेगी।
(दो)	अपर वैतारन योजना	120 एम० जी० डी०	37.36 "	आरम्भ कर दी गई है और 1970 में पूरी हो जायेगी।
(तीन)	भतसाई नदी योजना	250 एम० जी० डी०	66.20 "	1966-74
(चार)	अपर कलू योजना	200 एम० जी० डी०	60.00 "	1974-81

(ग) भतसाई जल सप्लाई योजना के लिये विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के प्रश्न के बारे में बातचीत हो रही है।

बिजली से चलने वाले संगणक

3986. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने बड़े पैमाने पर संगणकों से काम लेना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर संगणक मशीनें लगाई गई है ; और

(ग) क्या इससे वास्तव में कुल मिलाकर लागत व्यय घटा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख) भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा अपने 36 डिवीजनल कार्यालयों में से केवल 2 में संगणक प्रणाली शुरू करने का निश्चय किया

गया है। दो में से एक संगणक बम्बई में लगाया ही जा चुका है तथा दूसरे को कलकत्ता में लगाने का विचार है।

(ग) बम्बई में संगणक अभी नवम्बर 1965 में ही लगाया गया था और अब तक केवल परीक्षणार्थ चलाया गया है इसलिये लागत में कमी के बारे में अभी निष्कर्ष निकालना असामयिक होगा।

ग्राम्य ऋण

3987. **श्री दिगे :**   **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के, और विशेष रूप से देश के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादन सम्बन्धी सघन कार्यक्रमों की आवश्यकता के संदर्भ में, ग्राम्य ऋण की व्यवस्था का पुनर्विलोकन करने के लिये भारत के रक्षित बैंक ने उच्च शक्ति प्राप्त एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां।

(क) 1 जुलाई 1966 को।

(ग) समिति के सदस्य ये हैं :-

1. श्री बी वेंकटप्पैया, भूत-पूर्व अध्यक्ष, भारतीय राज्य बैंक — अध्यक्ष
2. श्री डी० आर० गाडगील, अध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक संघ — सदस्य
3. श्री एम० आर० भिडे, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक — सदस्य
4. श्री बी० शिवरामन, सचिव, खाद्य-कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि-विभाग) — सदस्य
5. श्री एन० रामानन्द राव, प्रबन्ध—निदेशक, भारतीय राज्य बैंक — सदस्य
6. श्री बी मजूमदार, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल प्रान्तीय सहकारी बैंक — सदस्य
7. श्री सी० जी० रामसुब्बू, उप-मुख्य अधिकारी, कृषि ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक — सचिव

बिजली द्वारा रेलगाड़ियां चलाने के लिये दामोदर घाटी निगम से बिजली

3988. **श्री ज० ब० सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से किये गये कुछ नीति विषयक निर्णयों के कारण पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों में भारतीय रेलवे विभाग को बिजली द्वारा रेल-गाड़ियां चलाने के लिये दामोदर घाटी निगम की सस्ती बिजली नहीं मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या रेलों को बिजली देने से दामोदर घाटी निगम को होने वाला बिहार और पश्चिम बंगाल को नहीं मिलता है, क्योंकि दामोदर घाटी निगम की बिजली योजनाओं में उनका हिस्सा है और यदि हां ; तो पृथकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दामोदर घाटी की सीमा से परे पूर्वी क्षेत्र के कुछ इलाकों के रेलवे कर्षण के लिये बिजली की आवश्यकताएं दामोदर घाटी अधिनियम की धारा 18 के अधीन अपेक्षित राज्य सरकारों की अनुमति से दमोदर घाटी/निगम द्वारा पूरी की जा रही है। दामोदर घाटी निगम बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में बिजली वितरण की वर्तमान पद्धति, जैसी कि साझेदार सरकारों को मान्य है, यह है कि दामोदर घाटी निगम घाटी के अन्दर मांगों को पूरा करने के लिये उत्तरदायी होगा और पश्चिम बंगाल तथा बिहार की राज्य सरकारें राज्य बिजली बोर्डों के जरिये घाटी की सीमाओं से बाहर की अपनी अपनी मांगों को पूरा करेंगे। इस पद्धति के अनुसार दामोदर घाटी का सीमाओं के बाहर के कुछ कर्षण भारों का उत्तरदायित्व राज्य बिजली बोर्डों ने अपने ऊपर ले लिया है। बिजली पूर्ति से दामोदर घाटी निगम को हुआ लाभ पश्चिम बंगाल, बिहार और केन्द्रीय सरकार के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है।

Increase in Sales Tax.

3989. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Sales Tax has been increased from 2 percent to 3 per cent in the whole of the country ;

(b) whether it is a fact that the said tax is only 9 percent in Delhi; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) The reference presumably is to Central Sales Tax which is governed by Central legislation, and not to Sales Tax generally which is determined by State legislation. The Central Sales Tax was increased from 2 p.c. to 3 p.c. with effect from 1st July, 1966.

(b) The ceiling in respect of Central Sales Tax being 3 p.c. it cannot be levied at 9 p.c. in Delhi. In fact, the normal rate of Central Sales Tax in Delhi is 3 p.c., but for certain categories of goods re-exported from Delhi subject to certain conditions, if such goods have suffered Central sales tax at the time of their import into Delhi, the Central Sales Tax is levied at 1 p.c.

(c) The concessions of 1 p.c. for certain type of transactions is allowed in Delhi because unlike other States, a large portion of Delhi's trade consists of exports to neighbouring States, of goods imported from other States.

कलकत्ता महानगर जल बोर्ड

3990. **डा० रानेन सेन :** **श्री बदरुद्दुजा :**

डा० उ० मिश्र : **श्री ह० प० चटर्जी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता नगर तथा इसके उप-नगरों में जल की कमी को दूर करने के लिये कलकत्ता में महा नगर जल बोर्ड की स्थापना करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) कलकत्ता नगर में जल-सम्भरण तथा सफाई की स्थिति को सुधारने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर): (क) कलकत्ता महानगर जल तथा स्वच्छता प्राधिकार अधिनियम, 1966, जैसे पश्चिम बंगाल विधानमण्डल द्वारा पारित किया गया था, को 26 मई, 1966 राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। अधिनियम में ऐसे प्राधिकार के स्थापना की व्यवस्था की गई है, जो कि उस विशेष तिथि से जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करती है, कलकत्ता महानगर जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा तत्सम्बन्धी मामलों की देखभाल के लिये, जल सम्भरण की व्यवस्था, विनियमन तथा विकास, मल-निकासी सेवाओं तथा कूड़ा करकट आदि के इकटठा करने एवं उसे हटाने का प्रबन्ध करे।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जानकारी देना सम्भव नहीं है।

नर्मदा परियोजना

3991. **श्री जसवन्त मेहता :** **श्री राम हरख यादव :**

श्री पु० र० पटेल : **श्री मधु लिमये :**

श्री दे० जी० नायक : **श्री किशन पटनायक :**

श्री ना० नि० पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री नर्मदा परियोजना के बारे में 28 जुलाई 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बन्धित राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक और तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक का क्या परिणाम रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्नराज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत पूरी कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) से (ग) अधिकारियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की 19 जुलाई, 1966 से 14 अगस्त 1966 तक कई बैठकें हुईं और उन्होंने नर्मदा जल संसाधन विकास के विविध तकनीकी पहलुओं पर अपने वार्तालापों और निर्णयों का रिकार्ड तैयार किया। इसके पश्चात् 22 अगस्त 1966 को मुख्य मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक

हुई जिसमें निर्बाध और लाभदायक बातें हुईं। इसमें एक दूसरे के विचारों को समझा गया और उनकी सराहना की गई। विचार-विमर्श के दौरान कुछ सुझाव सामने आये यह फैसला किया गया कि इन पर स्वयं मुख्य मंत्रियों के बीच ही बाद में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। मुख्य मंत्रियों के बीच इस मामले पर विचार-विमर्श होने के पश्चात् मुख्य मंत्रियों की एक और बैठक केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री के साथ होने की सम्भावना है।

रोजगार सम्बन्धी गोष्ठी

3992. **श्री हु० च० सोय :** क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार के बारे में जनवरी-फरवरी 1964 में हुई गोष्ठी में की गई कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है तथा कहाँ तक ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): अपेक्षित सूचना, जो राज्य सरकारों इत्यादि से प्राप्त हुए उत्तरों पर आधारित है, संलग्न विवरण में दी गई है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6987/66]

Alleged Criminal Assault on a Girl in Delhi.

3993. **Shri Y.D. Singh:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news published in 'Vijay' published from Delhi in July, 1966 to the effect that the N.D.M.C. staff challaning the pavement hawkers took away a young girl selling maize cobs in a truck and outraged her modesty ;

(b) whether it is also a fact that the N.D.M.C. is trying to hush up the matter; and

(c) if so, the action taken by Government against the persons involved in this incident ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Government have seen this news item. The New Delhi Municipal Committee have reported that no such complaint was received by them. The D.I.G. and Delhi Administration too have no information. The news item appears to be incorrect.

(b) and (c) Do not arise.

आसाम तथा पूर्वी क्षेत्र की परिवहन समस्याएं

3994. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम तथा पूर्वी क्षेत्र की परिवहन समस्या सम्बन्धी त्रिलोक सिंह जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किए हैं ; और

(ख) उस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) परिवहन

आयोजन के संयुक्त तकनीकी दल ने अन्य क्षेत्रों के सर्वेक्षण के साथ असम तथा पूर्वी क्षेत्र का सर्वेक्षण और मुख्य जिन्सों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अध्ययन का सूत्रपात किया। ये अध्ययन और सर्वेक्षण प्रगति पर है और विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन विकास की समस्याओं की जानकारी करने में सहायता प्रदान करते हैं। दल ने अभी कोई खास सिफारिशें नहीं की है। इन अध्ययनों का प्रतिफल जब प्राप्त हो जायगा तो उसे राष्ट्रीय और राज्य परिवहन योजनाओं का व्यौरा तैयार करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

विदेशी सहायता

3995. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मित्र देशों तथा विश्व बैंक ने प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि की सहायता देनी मंजूर की थी, तीसरी योजना के अन्त तक कुल कितनी धनराशि की मांग की गई थी तथा उन्होंने वास्तव में कुल कितनी धनराशि दी थी (देशवार आंकड़े बताइये):

(ख) कितनी प्रतिशत सहायता का उपयोग किया गया (देश वार तथा समूचे रूप से): और

(ग) प्रत्येक मामले में, यदि कोई है, तो कम धनराशि के उपयोग के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) सभा की मेज पर दो विवरण रख दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०-6988/66]

अखिल भारतीय डाक बचत बैंक सर्वेक्षण समिति

3996. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक बचत बैंकों और उसके अनुरूप वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गयी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का यथार्थ स्वरूप क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवत. उस समिति से है, जो राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा स्थापित की गयी है। यदि ऐसा है, तो समिति अपनी सिफारिशें बोर्ड को देगी। मालूम हुआ है कि समिति ने अभी तक बोर्ड को कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते।

केसरी दाल

3997. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केसरी दाल के प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब, और क्या यह प्रतिबन्ध प्रभावकारी सिद्ध हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के नियम 44-ए में ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति उस तिथि से जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित कर दे, केसरी दाल को न तो बेच सकता है, न बेचने के लिये रख सकता है, न बिक्री के उद्देश्य से उसे किसी और नाम से अपने पास रख सकता है और न बिक्री के इरादे से बनने वाले किसी खाद्य पदार्थ में उसे मिला सकता है ।

जिन राज्यों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के नियम 44- क के अधीन केसरी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और जिस तिथि से यह प्रतिबन्ध लगा है उसका एक विवरण संलग्न है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6989/66

जिन क्षेत्रों में केसरी दाल का उत्पादन होता है वहां राज्य सरकारों के सामुदायिक विकास एवं कृषि विभागों के स्टाफ की सहायता से इसके उत्पादन को निरुत्साहित किया जा रहा है ।

उपर्युक्त उपायों की प्रभाविता का कोई मूल्यांकन नहीं किया है ।

जूट का चोरी छिपे चीन को लेजाया जाना

3998. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जूट को बरास्ता नेपाल चोरी-छिपे चीन को ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितने मूल्य (रुपयों में) का ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) भारत-नेपाल व्यापार तथा परिवहन संधि के उपबन्धों के अनुसार एक देश में बना तथा दूसरे देश में खपत के लिए निर्दिष्ट माल सीमा के पार बिना किसी प्रतिबन्ध के लाया-ले जाया जा सकता है । आम तौर पर, कच्चे जूट और जूट के सामान का भारत से नेपाल को कुछ निर्यात होता है तथा जूट और नेपाल में बने जूट के कुछ सामान का नेपाल से भारत को कुछ आयात होता है । नेपाल में भी जूट पैदा होता है और वहां जूट का सामान भी बनाया जाता है । भारतीय जूट या जूट के सामान को, नेपाल के रास्ते, चोरी छिपे चीन ले जाने के बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । लेकिन ऐहतियात के तौर पर नेपाल के महामहिम की सरकार का इस सम्भावना की ओर ध्यान दिला दिया गया है और भारत में बने माल का तीसरे देश को पुर्नानिर्यात रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए उससे अनुरोध किया गया है ।

मद्रास में पिछड़े क्षेत्र

3999. **श्री उमानाथ** : **श्री प० कुन्हन** :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर हो रही चर्चा के दौरान मद्रास विधान सभा में मद्रास के मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जहां तक दिनांक 5 जनवरी, 1965 की योजना आयोग की संसूचना का संबंध है वह पुडकोटै, पूर्वी रामनाथपूरम और अरनांतगी के बारे में इसलिये ब्यौरा नहीं दे सके क्योंकि वे जिलास्तर के नीचे के क्षेत्र हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मद्रास सरकार को यह स्थिति स्पष्ट करने के बारे में कि इन क्षेत्रों का भी ब्यौरा योजना आयोग को भेजा जा सकता है;.कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो क्या पुटकौटै, पूर्वी रामनाथपुरम तथा अरनातंगी के बारे में ब्यौरा मिल गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) राज्य बुरकार से सूचना की इन्तजारी की जा रही है ।

चीन में बनी हुई घड़ियों का पकड़ा जाना

4000. **श्री पन्ना लाल :** **श्री बृजवासी लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जुलाई 1966 को कलकत्ता में एक माचिस व्यापारी की दुकान तथा उसके निवास-स्थान पर एक साथ छापे मार कर सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने 1500 कलाई की घड़ियां पकड़ी हैं, जिन्हें चीन में बनी हुई बताया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 28 जुलाई 1966 को पश्चिम बंगाल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अफसरों द्वारा कलकत्ता में एक घड़ियों के व्यापारी की दुकान तथा घर पर छापा मारा गया और 828 कलाई घड़ियां तथा 239 घड़ियां पकड़ी गईं, जो सब विदेशों की बनी थीं । इनमें से केवल 6 घड़ियां चीन की बनी हैं ।

(ख) दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और बाद में जमानत पर रिहा कर दिये गये । मामले में जांच-पड़ताल चल रही है ।

Children Education Allowance to Government Employees in Delhi.

4001. **Shri Yudhvir Singh :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Shri Bade: **Shri Omkar Singh:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government employees in Delhi are paid Children Education Allowance in respect of those children who are residing in their villages, outside Delhi ;

(b) whether it is also a fact that those Government employees whose children are residing with them in Delhi have to spend a good deal of money on their education but are not paid any Children Education Allowance ; and

(c) if so, the facilities Government propose to give to such persons ?

The Finance Minister (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes, Sir. Children's Educational Allowance is admissible to employees stationed at Delhi, as elsewhere, drawing pay upto Rs. 349/-p.m. for their children staying and studying in schools at out-stations.

(b) No, Sir. In respect to children staying with them at Delhi, educational assistance under the scheme of Reimbursement of Tuition Fees, at the approved scales is given to Government employees drawing pay up to Rs.600/- p.m.

(c) Does not arise.

रुद्रपुर में फर्मों द्वारा कर अपवंचन

4002. **श्री मधु लिमये : श्री बड़े :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री युद्धवीर सिंह :

श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुद्रपुर में कुछ फर्मों द्वारा किये गये कर अपवंचन के सम्बन्ध में 5 मई, 1966 को जगदीश प्रसाद जैसवाल रुद्रपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश द्वारा विरोधी दल के एक संसद् सदस्य को सम्बोधित पत्र की एक प्रतिलिपि उनके मन्त्रालय को मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार से क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

अखिल-भारतीय अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग संघ

4003. **श्री कोल्ला वेंकया : श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1966 में प्रधान मन्त्री को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग संघ से कोई ज्ञापन मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में संघ ने किन-किन मुख्य मांगों का उल्लेख किया था ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6990/66]

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

4004. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स और डिगनाम एण्ड कम्पनी, और मैसर्स टर्नर मौरीसन एण्ड कम्पनी द्वारा कम राशि के तथा अधिक राशि के बीजक बनाये जाने तथा अन्य धोखाधड़ी के मामले क्यों रोके हुये हैं तथा उन मामलों को अन्तिम रूप देने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि विधि मन्त्रालय का यह मत था कि सीमा शुल्क विभाग इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है ;

(ग) संशोधित नियमों को देखते हुए इस आपत्ति के कारण इतनी देर तक कार्यवाही क्यों रोकी गई ; और

(घ) वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी और मैसर्स टर्नर मौरीसन कम्पनी के विरुद्ध बीजक में अधिक और कम रकम दिखलाने के मामले निपटाने में विलम्ब नहीं किया गया है। जहाँ तक मेसर्स और डिगनाम के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मामले का प्रश्न है वह अब न्याय निर्णय के लिए पड़ा है।

(ख) ऐसे मामलों पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा आगे कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं; यह प्रश्न कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इसलिये, इस सम्बन्ध में विधि मन्त्रालय द्वारा दिये गये परामर्श को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि नियमों के किस संशोधन के बारे में जिक्र किया गया है।

(घ) न्याय-निर्णायक अधिकारी द्वारा 1.20 करोड़ रुपये के दण्ड लगाने के आदेश के विरुद्ध, मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा दायर की गई अपील पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सितम्बर में सुनवाई होने की सम्भावना है। टर्नर मौरीसन के मामले में 75,350 रुपये का कुल दण्ड पहले ही लगाया जा चुका है। उसके द्वारा प्रबन्धित दो कम्पनियों—अर्थात् सर्स अन्जेलो ब्रदर्स और मैसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के मामले, उनके द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय से अन्तरिम रोक के आदेश प्राप्त कर लेने के कारण रोक दिये गये हैं।

Nehru's Commemorative Coins

4005. **Shri P.L. Barupal :** **Shri Dhuleshwar Meena :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 855 on the 18th November, 1965 and state the steps Government propose to take to meet the demand of coins bearing the effigy of the late Prime Minister, Jawahar- lal Nehru in the foreign countries ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : It has been ascertained that adequate supply arrangements exist to meet the demand for Nehru commemorative coins from foreign countries. Export of these coins is now permitted freely.

Extension of Rajasthan Canal

4006. **Shri P. L. Barupal :** **Shri Dhuleshwar Meena :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a scheme to extend the Rajasthan Canal from Jaisalmer to Kandla is under consideration ;

(b) if so, the time by which this scheme will be executed ; and

(c) the expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) No

(b) & **(c)** Do not arise.

Hindi Translators in the Department of Revenue, Ministry of Finance

4007. **Shri Y. D. Singh :** **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the Staff Inspection Unit has recommended to create upgraded posts of Hindi Translators in the Department of Revenue of his Ministry ; and

(b) If so, the reason for creating posts, in his Ministry of a grade different to thats in other Ministries ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The Staff Inspection Unit recommended creation of three posts of Translator by upgradation of an equivalent number of posts of Hindi Assistant.

(b) The posts have been created in the usual scale of pay admissible to similar posts in other Ministries.

Hindi Assistants and Hindi Translators in the Ministry of Finance

4008. **Shri Y. D. Singh :** **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether the employees working on the posts of Hindi Translators and Hindi Assistants in the Department of Economic Affairs were reruited through the Union Public Service Commission; and

(b) if so, the date on which they were recruited and the number of those who have been made permanent and of those who are still temporary ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Employees working on the posts of Hindi Translators were tecruited by aransfer of officials from other Departments and by departmental promotions. Hindi Assistants were recruited through the Union Public Service Commission.

The Hindi Assistants were recruited between the years 1959 to 1961. All of them have since been made permanent.

Translators in Economic Affairs Department of the Ministry of Finance

4009. **Shri Y. D. Singh :** **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the nature of duties of Hindi Translators and Hindi Assistants in the Department of Economic Affairs of his Ministry ;

(b) the nature of the work that they have actually to do ;

(c) whether they have to do some more work in addition to their normal duties ; and

(d) whether they are given more work then it is necessary in the public interest.

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b) The Hindi Translators are entrusted with the work of translating the Budget documents, answers to Parliament questions and statements to be made by the Finance Minister and other documents or correspondence of the Department of Economic Affairs.

The Hindi Assistants are entrusted with work which is comparatively easier to translate and is not too technical in nature.

The Hindi Translators and Assistants are also occasionally entrusted with other office work in the Department of Economic Affairs in the exigencies of service and in case they can be conveniently spared from the translation work.

(c) & (d) No, Sir.

Employees doing Hindi Work in Economic Affairs Department

4010. **Shri Y. D. Singh :** **Shri Onkar Lal Berva :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Financ** be pleased to state :

(a) whether the employees doing Hindi work in the Department of Economic Affairs have to work over-time even when they have no work during office hours on certain days ; and

(b) the arrangements being made in such circumstances for distributing work to them in time during office hours ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b) The employees doing Hindi work in the Department of Economic Affairs, in common with other Government employees, are required sometimes to work overtime in the exigencies of service, when there is rush of urgent work as for example, during the Budget season and the sessions of Parliament. Every effort is however made to ensure that the work is completed during office hours and that the overtime is kept to the minimum.

Demands of Employees of Gandhi Samadhi, New Delhi

4011. **Dr. L. M. Singhvi :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Y. D. Singh : **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of the Gandhi Samadhi have recently submitted a memorandum to the Chief Commissioner of Delhi demanding that their pay, allowances, leave and supply of uniforms should be the same as of the Central Government employees and the Corporation ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chan Khanna) : (a) Yes.

(b) The memorandum is under the consideration of the Rajghat Samadhi Committee. Government will examine the recommendations of the Committee, when made.

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के नाम आय-कर की बकाया राशि

4012. **श्री गोकुलानन्द महन्ती : श्री अ० प्र० शर्मा :**

श्री जेन्ना :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च 1966 तक किये गये कर-निर्धारण के अनुसार उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बीजू पटनायक के नाम में आय-कर की कोई राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बहुदा सिंचाई परियोजना

4013. **श्री मोहन नायक :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उड़ीसा राज्य के गंजन जिले में बहुदा सिंचाई परियोजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ख) इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) राज्य के बजट में 1966-67 के लिये बहुदा परियोजना के लिये 12.10 लाख रुपये की राशि प्रबन्ध किया हुआ है।

(ख) परियोजना के शीर्ष कार्य तथा नहर प्रणाली का एक भाग पूर्ण हो गये हैं। नहर की खुदाई की जा रही है। परियोजना द्वारा अन्ततः सिंचित किये जाने वाले 26,100 एकड़ क्षेत्र में से 2000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें दे दी गई हैं।

मल ढोने की व्यवस्था को समाप्त करना

4014. **श्री मोहन नायक:** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार व्यक्तियों द्वारा मल ढोने की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करने तथा इस काम के लिये मशीनी तरीके का प्रयोग करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नगरों में कूड़े को गाड़ियों से ढोने का 'ड्राई' पाखानों को (फ्लश पाखानों में परिवर्तित करने के प्रस्तावों को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का सुझाव दिया जाता है।

(ख) योजना आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। इस कार्य के लिए धन नियत किये जाने के बाद और आगे कार्यवाही की जायेगी।

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री की कर-देयता

4015. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या वित्त मन्त्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1812 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री बीजू पटनायक की कर-देयता के बारे में जांच के अन्तिम आदेश वास्तव में कब दिये गये थे और क्या यह जांच श्री पटनायक की व्यक्तिगत आस्तियों और आय के बारे में की जा रही है अथवा उन सभी समवायों की, जिनसे श्री पटनायक का सम्बन्ध हैं, कर-देयता के बारे में भी की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि आय-कर अधिकारियों को बाकी दी जा रही है और वे पूरी तरह जाँच करने से घबड़ाते हैं और क्या सरकार ने राज्य सरकार से उनको समुचित संरक्षण देने को कहा है ताकि वे सरकारी काम पूरा कर सकें ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में श्री पटनायक ने वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री से मुलाकात की थी ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) कर प्राधिकारियों का तो यह सामान्य कार्य है कि निर्धारितियों पर लगने वाले कर का निर्धारण करने के लिए, वे जैसी भी जाँच करना आवश्यक समझें करें। ऐसा करने के लिए किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न में जिन समवायों का उल्लेख किया गया है उनके कर दायित्व के बारे में उतनी जांच-पड़ताल की गई है जितनी कर निर्धारण करने वाले अधिकारी ने जरूरी समझी।

(क) कुछ गोल मोल धमकियां आयकर अफसर को पहुँची हैं। लेकिन आयकर की पूरी तरह जांच-पड़ताल करने में अधिकारियों के डरने का अथवा राज्य सरकार से विशेष संरक्षण मांगने का कोई सवाल नहीं है।

(ग) श्री पटनायक किसी दूसरे सिलसिले में वित्त मन्त्री से मिले थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने कर सम्बन्धी मामलों का सामान्य जिक्र किया और निवेदन किया कि कानून के अनुसार जांच-पड़ताल और आदेश जारी करने का काम शीघ्र ही पूरा किया जाय। श्री बिजू पटनायक को बैठकों में और अन्यत्र प्रधान मन्त्री से भी मिलने के अवसर मिले थे, लेकिन मन्त्री के साथ उनकी इस सम्बन्ध में कोई मुलाकात नहीं हुई।

फर्मों द्वारा आय-कर अपवंचन

4016. **श्री किशन पटनायक** :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री तु० राम :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री शिंकरे :
डा० सारादीश राय :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री वासुदेवन नायर : **श्री ही० ना० मुकर्जी :**

श्री बड़े : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय और सीमा-शुल्क विभाग द्वारा मेसर्ज टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी और ग्राहम ट्रेडिंग लिमिटेड के विरुद्ध की गई जांच से पता चला है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर आय-कर का अपवंचन किया है और इससे विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मेसर्ज ए० वान्डर लिमिटेड को बड़े पैमाने पर धन भेजे जाने की अनुमति है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस अपवंचित आय-कर को और अवैध रूप से भेजी गई विदेशी मुद्रा को वसूल करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) मेसर्स टर्नर मारिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड और मेसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड से पकड़े गये दस्तावेजों के आधार पर, सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई जांच-पड़ताल से कुछ मामलों का पता चला है जो सीमा-शुल्क कानून के सम्बन्धित उपबन्धों के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 12 (1) को पढ़ने पर उन कानूनों के अधीन प्रत्यक्ष अपराध बनते हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच-पड़ताल से विदेशी मुद्रा विनिमय के कुछ अनधिकृत सौदों का भी पता चला है। पकड़े गये कागजातों से मिली सूचना के आधार पर, आयकर अधिकारियों के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मेसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी (इन्डिया) लिमिटेड द्वारा आयकर की भारी मात्रा में चोरी की गई थी।

(ख) भारत में "ओवलटीन" के निर्माण के मामले में भारतीय पार्टी अर्थात् मेसर्स जगतजीत डिस्टिलिंग एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लिमिटेट, नई दिल्ली के विदेशी सहयोगी मेसर्स ए० वाण्डर लिमिटेड, लन्दन, भारत में बनाई जाने वाली ओवलटीन के कारखाना-बाह्य विक्रम मूल्य पर भारतीय निर्माता से रायल्टी पाने के हकदार हैं। रायल्टी के प्रेषक की इजाजत भारत के रिजर्व बैंक द्वारा बिलकुल करार की शर्तों के अनुसार दी जायगी। करार अभी हाल में हुआ है, इसलिये अभी बड़ी मात्रा में रकम के भेजे जाने का कोई सवाल नहीं है।

(ग) जहां तक आयकर का सम्बन्ध है, मेसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के 1950-51 से 1961-62 तक के करार-निर्धारण के मामले आयकर अधिकारियों द्वारा पहले ही नये सिरे से शुरू कर दिये गये हैं। उपर्युक्त (ख) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए, भेजी जाने वाली रकम की वसूली का सवाल पैदा नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश के ग्रामों में बिजली की व्यवस्था

4017. **श्री द० ब० राजू :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966-67 में आन्ध्र प्रदेश के ग्रामों में बिजली की व्यवस्था के लिये अब तक कितने धन का नियतन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने ग्राम विद्युतनार्थ 1966-67 के लिए 300 लाख रुपये मांगे और यह राशि अलाट कर दी गई है।

भारत-पाक सीमा से चोरी छिपे माल लाना ले जाना

4018. **श्री पन्नालाल : श्री बृजवासी लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अगस्त, 1966 को भारत-पाक सीमा पर मियानी बस्ती गांव (फाज़िल्का) में भारत-पाक तस्कर व्यापारियों का एक कुख्यात गिरोह पकड़ा गया था और पाकिस्तान के तस्कर व्यापारियों में से एक व्यापारी से काफी मात्रा में अफीम पकड़ी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 30 जुलाई 1966 को पुलिस ने गांव मियानी बस्ती (फाजिल्का) में तीन व्यक्तियों से, जिनमें से एक पाकिस्तानी था और दो भारतीय थे। 9·5 किलोग्राम अफीम पकड़ी। इसमें से चार किलोग्राम अफीम पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी से पकड़ी गई थी।

(ख) तीनों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये थे। उनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गये हैं, और मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

समुद्री दीवार (सी वाल) का निर्माण

4019. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार को केरल राज्य में त्रिक्कुन्नापुजा पंचायत द्वारा पास किया गया एक संकल्प मिला है जो उनके क्षेत्र में समुद्री दीवार (सी वाल) के निर्माण में हुए कदाचारों के बारे में हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) इस क्षेत्र में समुद्री दीवार के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला केरल सरकार के ध्यान में ला दिया गया है।

(ग) त्रिक्कुन्नापुजाह पर 3200 फुट लम्बी समुद्री दीवार बनाने का कार्य जुलाई 1965 में शुरू किया गया था और कार्य का लगभग 70 प्रतिशत भाग पूर्ण हो गया है। बाकी कार्य सन्तोषजनक रूप से चल रहा है।

केरल में बिजली का उत्पादन

4020. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के अन्त तक केरल राज्य में बिजली उत्पादन के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य का केवल लगभग 50 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तीसरी योजना के अन्त तक 333 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के लक्ष्य के प्रति 197 मैगावाट की क्षमता उत्पन्न की गई। परन्तु शोलायार में 54 मैगावाट के प्रथम यूनिट और साबिरीगिरि परियोजना के 50—50 मैगावाट के दो यूनिटों के चालू करने से जून, 1966 के अन्त तक प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़ कर 315 मैगावाट हो गई है।

(ख) इस कमी का कारण यह था कि शोलायार के 18-18 मैगावाट के प्रथम दो उत्पादन यूनिटों और साबिरीगिरि के 50-50 मैगावाट के प्रथम दो यूनिटों को चालू करने में कुछ देरी हो गई थी।

होमियोपैथी

4021. **श्री मोहन नायक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में होमियोपैथी के विकास के लिये कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ख) 31 मार्च, 1966 तक कितनी धन राशि खर्च की गई थी ; और

(ग) उड़ीसा राज्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) होमियोपैथी समेत चिकित्सा की देशी प्रणालियों के विकास के लिए तीसरी योजनावधि में 100 लाख रुपये रखे गये थे तथा इनको केन्द्रीय योजनायें बनाया गया था। इस प्रणाली के लिये अलग से कोई धन राशि निश्चित नहीं की गई थी।

(ख) तीसरी योजना के ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान देकर होमियोपैथी के विकास पर 19,13,255 रुपये खर्च किये गये थे।

(ग) कोई नहीं।

योजनाओं की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति

4022. **श्री किशन पटनायक** : **श्री मधु लिमये** :
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री राम सेवक यादव** :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के दर्जे के बारे में, जिसके गृह मन्त्री गत 10 वर्षों से अध्यक्ष हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के बारे में अब और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) योजना कार्य समिति, राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति है और इसका सचिवालय योजना आयोग का ही भाग है । यह समय समय पर विशेष विषयों तथा समस्याओं के अध्ययन के लिए अध्ययन दल गठित करता है । जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर योजना कार्य समिति का गठन किया गया है उनके कार्यान्वयन के लिये दो वर्ष पूर्व प्रबन्ध तथा प्रशासन प्रभाग का गठन किया गया था । यह प्रभाग निरन्तर कार्य कर रहा है और योजना आयोग का कार्य कर रहा है । योजना कार्य समिति द्वारा गठित अध्ययन दलों को जिन पदों की आवश्यकता होती है वे अस्थायी होते हैं क्योंकि उन्हें जो काम सौंपा जाता है वह अस्थायी किस्म का होता है । योजना कार्य समिति की स्थिति का पर्यवेक्षण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति

4023. **श्री किशन पटनायक : श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति सीधे ही राष्ट्रीय विकास परिषद् के प्रति उत्तरदायी है और योजना आयोग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है ;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय का संयुक्त सचिव ही इसका सचिव बन सकता है, जो योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी इस समिति के सभापति के रूप में गृह मन्त्री के प्रति ही उत्तरदायी होगा ; और यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के सदस्यों के नाम क्या है ; और

(घ) क्या इन सदस्यों को समय-समय पर इस समिति के कार्यों के बारे में बतलाया जाता है और यदि हाँ, तो किस प्रकार ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) योजना कार्य समिति, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा गठित समिति है । इसका सचिवालय योजना आयोग में स्थित है । जहाँ तक दिन प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य का सम्बन्ध है यह योजना आयोग के एक सदस्य के अधीन कार्य करता है । महत्वपूर्ण मामले उपाध्यक्ष, योजना आयोग और योजना कार्य समिति को तथा जब आवश्यक हो जाता है तो समिति की पूरी बैठक के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं ।

(ख) जब योजना कार्य समिति का गठन किया गया था, उस समय वित्त मन्त्रालय में उसके विशेष पुनर्गठन एकक के प्राभारी संयुक्त सचिव इस समिति के सचिव नियुक्त किये गये थे । परन्तु 1963 से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है । फिलहाल, समिति के सचिव का पद प्रबन्ध तथा प्रशासन प्रभाग के प्रमुख के पद के साथ संयुक्त किया हुआ है ।

(ग) गृह मन्त्री, योजना कार्य समिति के अध्यक्ष हैं और योजना तथा वित्त मन्त्री एवं उपाध्यक्ष योजना आयोग इसके अन्य सदस्य हैं । जिस परियोजना या परियोजनाओं के वर्ग की

समिति जांच करती है, इससे सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्री भी अध्ययन के दौरान समिति के एक सदस्य हो जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिये जो समितियां गठित की जाती हैं, राज्यों के मुख्य मन्त्री उन समितियों के सदस्य होते हैं।

(घ) समय समय पर दस्तावेजों/प्रतिवेदनों को प्रचारित कर समिति के सदस्यों को समिति के कार्यों की जानकारी दी जाती है। समिति की बैठक आवश्यकता होने पर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

योजना की परियोजनाएं

4024. **श्री किशन पटनायक : श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री काशी राम गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री राम सेवक यादव :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा बनाई गई योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति की एक भी बैठक पिछली दशाब्दी में नहीं हुई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् को इस समिति के कार्यकरण के बारे में इसकी स्थापना से लेकर अब तक बताया नहीं गया है ;

(ग) यदि हां, तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि इस समिति का कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है ; और

(घ) क्या योजना की परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करने हेतु किसी उच्च शक्ति प्राप्त दल का गठन किया जाएगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) समय समय पर योजना कार्य समिति की बैठक तथा इसके कार्य के बारे में विचार विनिमय होता रहता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् को भी समिति के कार्य से अवगत कराया जाता है। शीघ्र ही सिंचाई (लघु सिंचाई का अखिल भारतीय सर्वेक्षण) तथा (कृषि उपकरणों सम्बन्धी अखिल भारतीय प्रतिवेदन) सम्बन्धी अध्ययन दलों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिये कृषि तथा सामुदायिक विकास क्षेत्र की समिति की बैठक बुलाने का प्रस्ताव है।

(ग) योजना कार्य समिति का सचिवालय योजना आयोग में स्थित है। दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए यह योजना आयोग के एक सदस्य के अधीन कार्य करता है। महत्वपूर्ण मामले उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा समिति के अध्यक्ष और आवश्यकता होने पर समिति की पूरी बैठक के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं।

(घ) 1956 से योजना कार्य समिति ने समय समय पर कई अध्ययन दलों का गठन किया है। कृषि सम्बन्धी अध्ययन दल शीघ्र ही अपना काम पूरा कर देगा। आजकल जो अन्य दल कार्य कर रहा है, वह महानगरीय परिवहन से सम्बन्धित है तथा इसका गठन सितम्बर 1965 में किया गया है। चालू वर्ष के अन्तर्गत किसी अन्य नये दल को गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिण दिल्ली को सम्भरण

4025. **श्री रा० स० तिवारी :** **श्री विश्वनाथ पांडेय :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नास्कर समिति ने दिल्ली नगर निगम को दक्षिण दिल्ली के लिए यमुना के बदले हिन्डन से पानी की सप्लाई करने की सलाह दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली में पानी सप्लाई बढ़ाने के लिए हिन्डन नदी से पानी लेने की सिफारिश नास्कर समिति ने की है ।

(ख) दिल्ली प्रशासनाधीन एक योजना तथा विकास सम्भाग बनाया गया है जो हिन्डन नदी से जल लेने समेत दिल्ली में जल सप्लाई बढ़ाने को सभी प्रस्तावों के व्यौरे तैयार करेगा ।

उड़ीसा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

4026. **श्री राम चन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल कितना धन नियत किया गया ;

(ख) क्या उक्त अवधि में उस राज्य द्वारा सारा धन खर्च किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) उस राज्य ने कितनी राशि वापिस की है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) अनुसूचित आदिम जातियां 642.29 लाख रुपये
अनुसूचित जातियाँ 119.11 लाख रुपये

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कम खर्च का कारण यह है कि राष्ट्रीय संकट काल के कारण 1962-63 तथा 1963-64 के वर्षों में कृषि, उद्योग, बिजली इत्यादि योजना के अधिक महत्व पूर्ण क्षेत्रों पर और अधिक बल देना पड़ा था ।

(घ) अनुसूचित आदिम जातियां 3.84 लाख रुपये
अनुसूचित जातियां 1.70 लाख रुपये

लांगिया सोनरस के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना

4027. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री 12 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंजम जिला (उड़ीसा) में लांगिया सोनरस का विकास करने वाली एक प्रायोगिक परियोजना के हेतु 17,32,000 रुपये मंजूर करने के लिये उड़ीसा सरकार के आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) योजना आयोग की सलाह से इस प्रस्ताव पर सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा के आदिवासी जीवन का चित्रण करने वाले रुपक चलचित्र

4028. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेवश्र मीना :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री 12 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के आदिवासी जीवन का चित्रण करने वाले रुपक चलचित्र तैयार करने के बारे में उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है तथा राज्य सरकार से अंग्रेजी में उस फिल्म का पूरा स्क्रिप्ट भेजने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकार ने अब तक स्क्रिप्ट नहीं भेजा है ।

मनीभद्रा बांध परियोजना

4029. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **सिचाई और विद्युत** मन्त्री 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से मनीभद्रा बांध परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है , और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल के क्षय रोगियों द्वारा याचिकाएँ

4030. **श्री मोहम्मद कोया : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1 अगस्त, 1966 तक केरल के क्षय रोगियों से प्राप्त सहायतार्थ कितनी याचिकाओं पर निर्णय किया जाना शेष था ;

(ख) 1 जुलाई, 1966 तक ऐसी कितनी याचिकाएं निपटाई गई जिन पर रोगियों की सहायता उनकी मृत्यु के पश्चात् मंजूर की गई ; और

(ग) याचिकाओं को शीघ्र निबटाने और प्रार्थियों को समय पर सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में वृद्धावस्था पेन्शन

4031. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1966 को केरल सरकार के पास वृद्धावस्था पेन्शन देने के बारे में कितनी याचिकायें अनिर्णीत पड़ी थी ;

(ख) इन याचिकाओं में सबसे पुरानी याचिका किस तारीख की है ; और

(ग) याचिकाओं को शीघ्रता से निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) यह सूचना केरल सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पेंशन-प्राप्त लोगों की विधवाओं की याचिकायें

4032. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1966 तक केरल राज्य में पेंशन-प्राप्त लोगों की विधवाओं की कितनी याचिकायें अनिर्णीत पड़ी थी ;

(ख) जिलाबार उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उनका शीघ्रता से निपटारा कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) यह सूचना केरल सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कालीकट के लिये वृहद योजना (मास्टर प्लान)

4033. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट नगरपालिका परिषद् ने केरल में सबसे बड़ा नगर बनाने के लिये मास्टर प्लान तैयार किया है ;

(ख) क्या उसने किसी सरकारी सहायता के लिये प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) केरल सरकार का नगर आयोजना विभाग कालीकट क्षेत्र लिए एक व्यापक विकास योजना (वृहद् योजना) बना रहा है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक एक अन्तरिम विकास योजना तैयार हो जायेगी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत वृहद् योजना बनाने के लिये राज्य सरकार को शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। तीसरी योजना के दौरान कालीकट के लिये विकास योजना की तैयारी पर 3.138 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। परियोजना को पूरा करने के लिये चालू वर्ष के दौरान 1.283 लाख रुपयों की राशि की व्यवस्था की गई है।

अध्ययन अवकाश नियम

4034. **श्री शशि रंजन : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्ययन अवकाश नियमों, 1962 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के लिये कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश दिया जाता है, उनको अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां नहीं दी जाती हैं, हालांकि उसके नियम 21 में वेतन वृद्धि देने का उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) अध्ययन अवकाश की अवधि, वेतन-वृद्धि के अभिप्राय के लिये शामिल की जाती है और सरकारी कर्मचारी द्वारा अपना कार्य-भार सम्भाल लेने पर उसे मिलने वाले वेतन का निर्धारण करने के लिये उक्त अवधि को शामिल कर लिया जाता है। परन्तु नियम 19 में की गई व्यवस्था के अनुसार, अध्ययन अवकाश की अवधि में सरकारी कर्मचारी केवल अवकाश-वेतन पाने का हकदार होता है, इसलिये अवकाश-अवधि में वेतन-वृद्धि का सवाल ही नहीं उठता।

अध्ययन अवकाश नियम

4035. **श्री शशि रंजन : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उन सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन भत्ता तथा वेतन देने में बहुत धन खर्च करना पड़ता है जिन्हें अपनी ड्यूटी के सिलसिले में विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिये अध्ययन अवकाश नियम, 1962 के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश मंजूर किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय ने भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिये क्या अनुदेश जारी किये हैं कि इन कर्मचारियों के नवार्जित ज्ञान तथा प्रतिभा का देश के सर्वोत्तम हितों में उपयोग किया जाये ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) अध्ययन अवकाश की अवधि में सरकार द्वारा आधे औसत वेतन पर छुट्टी या आधे वेतन की छुट्टी के लिये छुट्टी का वेतन और इसके अतिरिक्त

विभिन्न स्थानों के लिये निर्दिष्ट दरों पर अध्ययन-भत्ता दिया जाता है। लेकिन यदि सरकारी कर्मचारी को वजीफा या वृत्ति मिलती है और उसकी रकम अध्ययन-भत्ते से कम नहीं है तो अध्ययन-भता नहीं दिया जाता है।

(ख) अध्ययन अवकाश नियमावली 1962 में यह व्यवस्था है कि अध्ययन अवकाश विशेष प्रकार के अध्ययनों। प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये ही मिल सकता है जिनका सरकारी कर्मचारी के काम से प्रत्यक्ष और निकट सम्बन्ध हो, जिससे अर्जित ज्ञान उसके काम में उपयोगी हो सके। नियमावली में इस बात की भी निश्चित व्यवस्था की गई है कि अधिकारी कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक सरकारी सेवा में रहेगा।

चीन में बनी हुई वस्तुओं का पाकिस्तान से चोरी-छिपे लाया जाना

4036. **श्री किशन पटनायक : श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि सोना फाउन्टेन पेन, कपूर तथा प्रसाधन सामग्री जैसी चीन में बनी हुई वस्तुओं को चोरी-छिपे पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लाया जा रहा है।

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के नये कलेक्टर द्वारा कार्य-भार सम्भाले जाने के पश्चात यह तस्करी बहुत अधिक बढ़ गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब वह गुजरात में अपने पद पर थे, उस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके विरुद्ध जांच कर रहा था ; और

(घ) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण सीमा चौकी पर उसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कलेक्टर नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) फाउंटेन पेन, लोहे की जस्ती तारें, रेशमी कपड़े, सूइयां, सेफ्टीपिन और सिगरेट लाइटर जैसी चीन में बनी वस्तुओं का पूर्वी पाकिस्तान में चोरी छिपे लाया जाना सरकार के नोटिस में आया है, हालांकि चोरी छिपे माल लाने का काम बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है।

(ख) जहां तक सरकार को मालूम है, ऐसा नहीं है, श्रीमान।

(ग) और (घ) जब यह अधिकारी गुजरात में तैनात था तब उनके द्वारा की गई अनियमितायों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है किन्तु अभी तक उनके विरुद्ध कोई मामला प्रत्यक्ष निश्चित नहीं किया गया है। उनका पहले पद से स्थानान्तरण होने का समय आ गया था और उनकी योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, पश्चिम बंगाल के पद पर तैनात किया गया था।

दिल्ली में महामारी का फैलना

4037. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : श्री मधु लिमये :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री बूटा सिंह :**

श्री रामसेवक यादव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में हाल में आई दो भारी बाढ़ों के परिणाम-स्वरूप महामारी फैल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) छूत की बीमारियों से लोगों को बचाने के लिये सरकार ने उनकी रोकथाम तथा इलाज के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित रोक थाम तथा इलाज के उपाय किये गये हैं :—

(1) बाढ़ ग्रस्त ग्रामों तथा सहायता कैम्पों में सहायता कार्य नियोजन हेतु प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद का एक स्वास्थ्य अधिकारी केवल सहायता कार्यों की व्यवस्था करने के लिये भेजा गया है।

(2) बाढ़-ग्रस्त ग्रामों तथा सहायता कैम्पों में 3 चलते फिरते दल डाक्टरी सहायता का कार्य कर रहे हैं, जिनमें प्रत्येक दल में एक डाक्टर तथा एक कम्पाउन्डर है। अपने दैनिक कार्य के अतिरिक्त नगर निगम के दो चलते फिरते औषधालय भी सहायता कार्य कर रहे हैं।

(3) बाढ़-ग्रस्त ग्रामों तथा सहायता कैम्पों में सफाई करने के लिये 'अतिरिक्त अंश-कालिक भंगी भेजे गये हैं।

(4) बाढ़-ग्रस्त ग्राम तीन सफाई दरोगाओं के क्षेत्राधिकार में आते हैं जिनकी सहायता के लिये सफाई सहायक तथा सफाई गाइड्स हैं। दो सहायता कैम्पों के कार्यों की देख भाल अलग सफाई दरोगाओं तथा उनके कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

(5) ग्रामों तथा कैम्पों में माताओं तथा बच्चों की देख भाल करने के लिये प्रसूति तथा शिशु कल्याण कार्यकर्ताओं अर्थात लेडी हैल्थ विजिटरों, दाइयों तथा लेडी डाक्टरों की सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है।

(6) टीका लगाने वाले दलों ने बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में हैजा फैलने की रोक थाम के लिये पहले ही व्यापक रूप से टीके लगाने का कार्य किया है। अधिकतर लोगों को टीके लगाये गये हैं। कैम्पों में यह कार्य किया जा रहा है।

(7) बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी के कुओं में लगातार क्लोरिन डाली जाती है। पानी के बैरल दिये गये हैं जिन्हें पानी से भरा जाता है तथा उनके पानी को क्लोरिन से साफ किया जाता है। जहां सम्भव है वहां नगर निगम द्वारा हाइड्रन्ट

अथवा टैंकों से पानी की सप्लाई की जाती है। एक सहायता कैम्प में हैण्ड पम्प भी लगाये गये हैं।

(8) सहायता कैम्पों में टैंच टट्टियों की भी व्यवस्था की गई है।

(9) मलेरिया की देख भाल के लिये तथा चेचक के टीके लगाने वाले भी गांव-गांव घुमते रहते हैं तथा यदि कोई मलेरिया से पीड़ित होता है तो जांच के लिये ज्वर ग्रस्त व्यक्तियों का रक्त की स्लाइडे इकट्ठी करते हैं। मलेरिया का कोई मामला सामने नहीं आया है। लोगों की चेचक से रक्षा करने के लिये टीका लगाने वाले टीका लगा रहे हैं।

(10) बाढ़ सहायता कैम्पों में स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी फिल्में दिखाई जा रही है। पुस्तिकाओं द्वारा तथा ढोल बजा कर लोगों को यह मन्त्रणा दी जाती है कि वह पानी को उबाल कर पीयें।

Slaughter House at Hazaratpur (Agra)

4038. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the biggest slaughter house of Asia is proposed to be set up in Hazaratpur village near Agra with central assistance ;

(b) if so, the names of animals to be salughtered there ; and

(c) whether Government have received any letters of protest in this connection ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (c) The information is being collected from the Ministry of Defence, which is the Ministry concerned, and will be laid on the Table of the House.

Expansion of Medical Colleges

4039. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have urged upon the State Government to expand the existing Medical Colleges and also to open new Medical Colleges ;

(b) if so, the nature of the assurance given to them by the Central Government as regards assistance;

(c) the names of States which have implemented this suggestion ; and

(d) the names of States which have asked for financial assistance for the expansion of the existing Medical Colleges?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) The pattern of assistance is as follows :—

(i) For expansion of existing medical colleges under the Emergency Expansion Scheme :—

Non-recurring—Rs. 15,000/- per additional admission.

Recurring :— Rs.2,000/-per additional admission.

(ii) For starting of new medical colleges :—

Non-recurring

(a) **Building** : 75% subject to a ceiling of Rs. 37,500/-per admission.

(b) **Equipment** : 75% subject to a ceiling of Rs. 22,500/-per admission.

Recurring : 50% subject to a ceiling of Rs. 4,000/-per admission.

(c) & (d) Four new Colleges have started during the current year ;

These are :—

Madras	Madras	—	2
	Uttar Pradesh	—	1
	Himachal Pradesh	—	1

So far only two States viz. Madras and Punjab have approached the Centre for expansion of admission capacity under the Emergency Expansion Schemes in the current year.

युवक कल्याण योजनायें

4040. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा स्वेच्छा युवक संगठनों के युवक कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों को समायोजित करने के लिये चतुर्थ योजना में कोई संविहित उच्चस्तरीय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) परिषद् के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां। योजना के युवक कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने राष्ट्रीय युवक मण्डल गठित करने के बारे में सिफारिश की है। इस सिफारिश को योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है और चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में शामिल कर दिया गया है।

(ख) कार्यकारी दल द्वारा सुझाये गये मण्डल के मुख्य कार्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) सम्बन्धित मन्त्रालयों से निवेदन किया जा रहा है कि वे कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार करें। कार्यकारी दल की रिफारिशों के बारे में एक विस्तृत नोट चौथी योजना के अन्तिम प्रतिवेदन में शामिल किया जायेगा।

विवरण

मण्डल इस प्रकार का एक छोटा सा संगठन होना चाहिये, जिसका अपना स्वतन्त्र अध्यक्ष हो तथा जिसे काफी अधिकार प्राप्त हो। इसके अलावा इसका अपना स्वायत विधान होना चाहिये। इसका काम होगा कि वह युवक कार्यक्रमों से सम्बन्धित संगठनों को मान्यता प्रदान करे तथा इसका इतना प्रभावी होना चाहिये कि वह साधनों के उपयोग का पर्यवेक्षण कर सके तथा कार्यक्रमों की विविध मदों में समायोजना करने की जिम्मेदारी भी इसे निभानी होगी। इन

कार्यक्रमों को हस्तक्षेपों से, पक्षपातों से तथा साम्प्रदायिक प्रभावों से बचाने की शक्ति भी मण्डल के पास होनी चाहिये। मण्डल का युवक कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रतिवेदन, पुस्तिकायें, विनिबन्ध एवं साहित्य तैयार करना चाहिये और निकासी गृह के रूप में कार्य करे। इस प्रकार के संगठन का अन्य लाभ यह होगा कि कार्यकलापों के द्विगुणन से बचने के लिये यह अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और साधनों के समुचित प्रयोग की दिशा में यह साधनों के समुचित उपयोग का साधन होगा। इसके पास पर्याप्त निधि होनी चाहिये। उन निधियों के समुचित प्रयोग के लिये इसे सरकार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिये। जहां तक लेखे जोखे का सम्बन्ध है इसकी सामान्य जांच पड़ताल और लेखा परीक्षा की जानी चाहिये। आशा है कि राज्यों में राष्ट्रीय मण्डल की नीतियां तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वियन करने के लिए राज्य मण्डल होंगे।

केरल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता

4041. **श्री वारियर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने छः बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को चतुर्थ योजना में पूरा करने के लिये राज्य की योजना के अतिरिक्त 30 करोड़ रुपये का विशेष नियतन किये जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) केरल के मुख्य इन्जीनियर (सिंचाई) ने चौथी योजना में बड़ी तथा मंझली सिंचाई परियोजनाओं के लिये 30 करोड़ रुपये के खर्च का एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिस पर विचार हो रहा है।

केरल में प्रादेशिक लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें

4042. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीन एरनाकुलम और कोजीकोड में दो प्रादेशिक प्रयोगशालायें खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रस्तावों पर केरल सरकार विचार कर रही है कोजीकोड में प्रयोगशाला के लिये भवन का निर्माण आवश्यक है। इस कार्य के लिये स्थान ढूंढ़ा जा रहा है। इसके लिये योजना तथा अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) आठ लाख रुपये।

कालीकट मेडिकल कालेज

4043. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेज, कालीकट में 4 साल का नर्सिंग में बी० एस० सी० कोर्स आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यह कोर्स कब से आरम्भ होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Tube Wells for Sub-Soil Water in Delhi

4044. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the tube-wells installed in Delhi for drawing out sub-soil water are either not being used or they are out of order ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of tube-wells working at present ; and

(d) the annual expenditure being incurred thereon ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (d) Out of 303 tube-wells, 243 are operating and 60 are not operating for the following reasons :—

(i) Level of subsoil water sufficiently low, making pumping unnecessary.	21
(ii) Electrical, mechanical and other defets	14
(iii) Blockage of bores.	 3
(iv) Pumps dismantled for widening of roads, etc.	12
(v) Meters and service connections stolen.	10
	60

An expenditure of about Rs. 6, 40 lakhs is being incurred per annum on operation of the tube-wells.

केरल में समाज कल्याण विभाग

4045. **श्री नम्बियार :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री य० ना० सिंह : **श्री इम्बीचीबाबा :**
श्री लक्ष्मी दास : **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में समाज कल्याण विभाग 1963 में स्थापित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह कब बन्द कर दिया गया था और उसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में काम देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) हरिजन कल्याण तथा समाज-कल्याण विभाग के प्रशासन को युक्तिसंगत बनाने के लिये इसे 1 जून 1966 से बन्द कर दिया गया था ।

(ग) समाज-कल्याण विभाग को बन्द करने वाले सरकारी आदेश में यह भी कहा गया था कि कर्मचारियों को तथा अवशिष्ट कार्य को हरिजन कल्याण विभाग ले लेगा ।

केरल राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

4046. **श्री नम्बियार :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री य० ना० सिंह : **श्री लक्ष्मी दास :**
श्री इम्बीचीबाबा : **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अधीन कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ;

(ख) क्या उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाता है ;

(ग) क्या ये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाभ पाने के अधिकारी हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों (ख) और (ग) के उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) त्रिवेन्ड्रम में बोर्ड के प्रधान कार्यालय में 17 कर्मचारी हैं तथा केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याण विस्तार प्रायोजनाओं में 364 कर्मचारी हैं ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण केन्द्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनों की अदायगी में विलम्ब के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) इस समय नहीं ।

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राज्य सरकार तथा खाद्य और कृषि तथा सामुदायिक विकास मंत्रालयों द्वारा दिये जाने वाले अंशदानों से कल्याण केन्द्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनों पर होने वाला खर्च किया जाता है । इनमें से किसी एजेन्सी द्वारा निधियां दिये जाने में विलम्ब होने पर कर्मचारियों को वेतन देने में भी देर हो जाती है ।

इन कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि/टर्मिनल लाभ देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

समाज कल्याण बोर्ड कर्मचारी संस्था केरल

4047. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री इम्बीचीबाबा :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को जुलाई, 1966 के पहले सप्ताह में केरल राज्य के समाज कल्याण बोर्ड कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार किया है ; और

(ग) इन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा सम्भव शीघ्र उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

देश में आय की तुलना में बचत

4048. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री बूटा सिंह :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा 1950-51 से 1964-65 तक की अवधि के लिये किये गये अध्ययन के अनुसार देश में आय की तुलना में औसत बचत 10 प्रतिशत से घट कर 8 प्रतिशत रह गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिषद् के अध्ययन के अनुसार देश का औसत बचत आय अनुपात 1956-57 में 10 प्रतिशत से 1961-65 के दौरान, अर्थात्, तृतीय योजना के पहले चार वर्षों में फट कर 8 प्रतिशत रह गया । इन आंकड़ों में प्राक्कलन सम्बन्धी और अन्य कुछ गल्तियां हो सकती है और उनकी जांच की जा रही है । एक प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि परिषद् के अपने प्राक्कलनों के अनुसार भी, जिन्हें कि "अप्रत्यक्ष प्राक्कलन" कहा जाता है—यह निष्कर्ष कि बचत दर 10 प्रतिशत से घट कर 8 प्रतिशत हो गया है, अवांछनीय है ।

योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 1965-66 के लिये देश का औसत बचत-आय अनुपात 10.5 प्रतिशत है और संसद में पेटा की गई प्रारूप योजना में दी गई वित्तपोषण योजना से चतुर्थ योजना के दौरान देश के भीतर बचत की दर को बढ़ाने की समस्या के बारे में मोटी नीति का संकेत दिया गया है ।

आण्विक हथियारों के प्रभावों को निष्फल करने के लिये औषधियां

4049. **श्री दी० च० शर्मा : श्री बूटा सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धों में इस्तेमाल किये गये आण्विक हथियारों के प्रभावों को निष्फल करने के लिये भारत में औषधियों के आविष्कार में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) सम्भाव्य रेडियो प्रोटैक्टिव रसायनों के संश्लेषण का कार्य कुछ समय से चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किये गये रसायनों का परिक्षण अब प्रयोगशाला के पशुओं पर किया जा रहा है।

पलाई सेन्ट्रल बैङ्क लिमिटेड

4050. **श्री दी० च० शर्मा : श्री बूटा सिंह :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सेन्ट्रल बैङ्क ने, जिसका परिसमापन हो चुका है, अपने सभी ऋण-दाताओं तथा धन जमाकर्ताओं को पूरा पूरा भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक किये गये भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भुगतान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जमाकर्ताओं को देय रकमों का लगभग 65 प्रतिशत भाग 30 जून, 1966 तक अदा कर दिया गया है। कुल 80,297 जमाकर्ताओं में से 53,864 को पूरी रकम मिल चुकी है और 26,433 जमाकर्ताओं को अभी लगभग 3.03 करोड़ रुपये की रकम मिलनी बाकी है।

(ग) परिसमापन की कार्रवाई उच्च न्यायालय की देखरेख में की जाती है। परि-सम्पत्तियों की वसूली या बिक्री आदि सम्बन्धी मुकदमेबाजी में अनिवार्य रूप से बहुत समय लग जाता है। कुछ मामलों में, न्यायालय ने बैङ्क को देय ऋणों की वापसी की अवधि भी बढ़ा दी है। लेकिन परिसमापन-सम्बन्धी कार्रवाई को जल्दी से पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

4051. **श्री म० प० स्वामी : श्री काशीनाथ दुबे :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पिछड़ी जातियों के कल्याण के क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के

कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने और चौथी पंचवर्षीय योजना में भावी कार्यक्रमों के बारे में योजना आयोग को परामर्श देने के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में कोई तालिका (पैनल) बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तालिका के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के बारे में इस तालिका ने योजना आयोग को क्या सुझाव दिये हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) पैनल के गठन के बारे में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6991/66]

(ग) पैनल में विभिन्न विषयों पर विचार विनिमय किया गया और जो निर्णय हुए उनका चौथी योजना के प्रारम्भिक रूप रेखा के सम्बन्धित भागों में समावेश कर दिया गया है।

पंजाब के लिये सम्भरण योजनायें

4052. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से, पंजाब के पिछड़े क्षेत्र में माजरा, जवाहर मार्केट, कनचेहरा और बरारी ग्रामों में जल संभरण योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि काम मई, 1957 तक पूरा हो जायेगा।

उद्योगों को कर-समंजन पत्र

4053. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर-समंजन पत्रों के पात्र उद्योगों की सूची क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार मुद्रा-स्फीति के भार को रोकने और उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कर-समंजन पत्रों के पात्र उद्योगों की सूची में और उद्योगों के नाम जोड़ने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

नेत्र चिकित्सा केन्द्र

4054. **श्री रा० स० तिवारी** : **श्री विश्वनाथ पांडेय** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में अनेक स्थानों पर डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब और किन-किन स्थानों पर; और

(ग) उस पर कुल कितनी रकम खर्च होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । देश में नेत्र चिकित्सा विज्ञान के लिए सात डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रों के खोलने का एक प्रस्ताव है ।

(ख) इन्हें चौथी योजना में खोलने का विचार है । ये केन्द्र निम्नलिखित राज्यों में एक-एक खोलने का प्रस्ताव है :

1. दिल्ली (अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली)
2. पश्चिम बंगाल
3. मद्रास
4. मैसूर
5. महाराष्ट्र
6. उत्तर प्रदेश
7. आन्ध्र प्रदेश

(ग) अनुमान लगाया गया है कि इन 7 केन्द्रों की स्थापना पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

Parliamentary Assistants in Ministries

4055. **Shri Vishram Prasad : Shri Ram Sewak Yadav : Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Parliamentary Assistants in the various Ministries of the Government of India ;

(b) whether they are paid any additional allowance (monthly or daily) also in addition to their pay ;

(c) if so, the work for which it is given ;

(d) whether they were not being paid any special allowance previously ; and

(e) if so, the reasons for which this new allowance has been sanctioned ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it becomes available.

(b) & (c) Yes, Sir. A special allowance at the following rates is admissible to those employed as Parliamentary Assistants :—

Assistants drawing pay less than Rs. 500 p.m.	...	Rs. 4 per diem.
Upper Division Clerks		Rs. 3 per diem.

The allowance is admissible only to those who are engaged whole time on Parliamentary work, and is paid for the period the Parliament is in session and for one week before the commencement of each Session.

(d) Upto 30.5.61, Parliamentary Assistants were allowed night duty allowance at Rs.3/- per day. From 1.6.61, they were included in the scheme of overtime allowance applicable to office staff. Since this resulted in various practical difficulties, the special allowance mentioned above was allowed from 3.2.64 in lieu of overtime allowance.

(e) Does not arise, as the allowance is not a new one.

Pay scales of Hindi Officers and Assistants

4057. **Shri Vishram Prasad : Shri Ram Sewak Yadav : Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Yashpal Singh:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Staff Inspection Unit of his Ministry has recommended that in the Revenue Department of his Ministry the pay scales of Hindi Officer should be raised and the posts of Hindi Assistants should be converted into those of the Translators;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to adopt the same policy regarding the employees of other Ministries engaged on similar work ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) On the basis of the work study made, the Staff Inspection Unit recommended the post of Hindi Officer at the level of Rs. 700—40—1100—50/2—1250 and also the conversion of three posts of Hindi Assistants into that of Translators.

(b) The recommendations of the Staff Inspection Unit, were based on an assessment of the quantum and nature of workload handled in the Hindi Section, and took into account the fact that the Hindi Officer is also entrusted with the work relating to the Department of Expenditure.

(c) The posts of Hindi Officers, Hindi Translators and Hindi Assistants are all isolated ex-cadre posts and the number and level of such posts are related to the volume and nature of such business in each Ministry/Department. A uniform strength of the Hindi Section cannot obviously be laid down.

Development of Eastern U.P.

4058. **Shri Vishram Prasad : Shri Rajdeo Singh : Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Bishwanath Roy : Shri Ram Sewak Yadav : Shri Gahmari : Shri Yashpal Singh : Shri Bal Krishna Singh : Shri Vishwa Nath Pandey : Shri Sinhasan Singh :**

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state the details of the action taken in the Eastern Districts of Uttar Pradesh in the year 1965-66 and 1966 so far under the recommendations of the Patel Committee ?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : A Statement is laid on the Table of the House indicating the anticipated outlay in 1965-66 and the outlay budgeted for 1966-67. **[Placed in Library. See No. LT-**6992/66**]** These give an indication of the programmes undertaken in these districts.

विस्थापित लोगों का राजस्थान नहर क्षेत्र में पुनर्वास

4059. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिके पौण्ड, राजस्थान फीडर, पोंग डैम और सतलुज-व्यास लिंक परियोजनाओं के निर्माण से, प्रत्येक योजना से अलग-अलग कितने लोगों के विस्थापित हो जाने की संभावना है ; और

(ख) प्रत्येक योजना के कारण विस्थापित हुए लोगों में से कितने लोगों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) हरिके परियोजना 2882

राजस्थान फीडर 442

पोंग डैम 31274

व्यास-सतलज लिंक 400

(ख) उपर्युक्त परियोजना से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सभी विस्थापित राजस्थान नहर की कमान में राजस्थान सरकार द्वारा नियत किये जाने वाले क्षेत्र में बसाये जाने के पात्र होंगे।

अध्ययन अवकाश नियम

4060. **श्री बालगोविन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस कर्मचारी को अध्ययन अवकाश नियमों, 1962 के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश दिया जाता है, उसे 3 वर्ष तक भारत सरकार की सेवा करने का प्रतिज्ञा-पत्र भरना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार की सेवा में सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में की गई सेवा शामिल है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्त निकाय होते हैं, जिनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, इसलिए उनके अधीन की गई सेवा को सरकारी सेवा नहीं माना जा सकता।

Cremation Ground in Rajouri Garden New Delhi

4061. **Shri Yadhvir Singh** : **Shri Rameshwaranand** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2101 on the 11th August, 1966 and state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Corporation had written to the Secretary of Residents Association of Rajouri Garden vide their letter No.249/G.D./S.C.G./62, dated

the 5th February, 1962 that the cremation ground will be shifted from Rajouri Garden as soon as a new cremation ground was provided for in Punjabi Bagh ;

(b) if so, whether the cremation ground has been provided for in Punjabi Bagh and is being made use of; and

(c) if so, the reasons for maintaining the cremation ground in Rajouri Garden even now?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) Yes. It is being made use of by the residents of Punjabi Bagh, Moti Nagar and other adjoining areas.

(c) Some people of Rajouri Garden area are reluctant to give up their existing cremation ground. They are being presuaded to use the Punjabi Bagh cremation ground.

ग्रामीण आय

4062. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा हाल में ग्रामीण आय के बारे में एक विश्लेषण किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) इस अध्ययन से अनुसार आसाम में और अन्य राज्यों में गांवों में औसत आय कितनी है और सरकार के आंकड़े इन आंकड़ों से कहां तक मेल खाते हैं; और

(घ) आसाम के पर्वतीय जिलों में और अन्य सीमान्त क्षेत्रों में औसत ग्रामीण आय कितनी है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6993/66]

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

4063. **डा० श्रीनिवासन** : **श्री हरि विष्णु कामत** :

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री बाल्मीकी** :

श्री अल्वारेस :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के स्वर्णकारों ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश को समाप्त किये जाने की मांग करते हुए हाल ही में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया है;

(ख) क्या प्रदर्शनकारियों ने सीधे या संसद में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से कोई अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनमें व्यक्त की गई शिकायतों का मुख्य स्वरूप क्या है और उन्होंने क्या मांग की है और इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) स्वर्ण नियंत्रण वापस लेने की मांग के अतिरिक्त, स्वर्णकारों ने सुनार का काम करने के लिये दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रों के लिये प्रार्थना-पत्र पेश करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने, पुनर्वास ऋण सहायता के लिए तथा कार्य विधि को उदार बनाने के लिग मांग की है। मांगों पर विचार किया जा रहा है।

रक्त कोष (ब्लड बैंक)

4064. **श्री वाडीवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे रक्त कोष औषध नियंत्रण अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं जो गंभीर रोगियों के शरीर अन्त:शिरा (इंट्रावीनस) से पहुंचाये जाने वाले मानव रक्त को लोगों से लेते हैं और लोगों को बेचते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्राइवेट रक्त कोष उन दुर्बल रोगी व्यक्तियों (प्राय: भिखारियों) से अस्वास्थ्यप्रद रक्त लेते हैं जो महीने में चार-पांच बार अपना रक्त बेचते है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार प्राईवेट रक्तकोषों को भिखारियों से अस्वास्थ्यप्रद रक्त लेने तथा उसे उन रोगियों को जिन्हें स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यप्रद रक्त की आवश्यकता होती है, बेचने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को इस संबन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि प्राइवेट रक्त कोष दुर्बल और रोगी व्यक्तियों से अस्वास्थ्यप्रद रक्त ले रहे हैं जो महीने में चार-पांच बार अपना रक्त अपना बेचते हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कुद्दियाडी सिंचाई योजना

4066. **श्री प० कुन्हन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 24 फरवरी 1966 के अतारांकित प्रश्न सं० 867 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिये कुद्दियाडी सिंचाई परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और यह परियोजना कब से आरम्भ की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) कुट्टियाडी सिंचाई स्कीम तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है और इसको "स्पिल ओवर स्कीम" के रूप में चौथी योजना में जारी रखा जायेगा।

(ख) चतुर्थ योजना के लिये आवटंन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। 1966-67 के लिये 38 लाख रुपये की राशि का प्रबन्ध किया गया है। यह स्कीम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरी हो जायेगी।

कनहिरापुझा सिंचाई योजना

4067. **श्री प० कुन्हन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में कनहिरापुझा सिंचाई योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस योजना के लिए और अधिक धन निर्धारित करने तथा इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने के सम्बन्ध में जिला विकास परिषद् पालघाट में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में फीलपांव रोग के रोगी

4068. **श्री प० कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि केरल में फीलपांव रोग से कितने लोग पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है तथा इस रोग के उन्मूलन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 1955 से 1963 के दौरान केरल राज्य के विभिन्न भागों में फिलेरिया के सर्वेक्षण किये गये थे।

(ख) सर्वेक्षणों के दौरान 1,08,971 व्यक्तियों की जांच की गई थी जिनमें से 5,049 व्यक्ति फिलेरिया के लिये सक्रिय पाये गये थे और इसके अनुसार छूत की समूची दर 4·63 प्रतिशत है।

फिलेरिया को मलेरिया की तरह थोड़े से निश्चित समय में समाप्त नहीं किया जा सकता। नालियों की व्यवस्था द्वारा ही रोगों पर स्थायी रूप से काबू पाया जा सकता है।

निधियों की उपलब्धता के अनुसार इन उपायों को किया जा रहा है। फिलहाल इस रोग को फैलने से रोकने के लिए 1955 से राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम चालू किया गया है।

लूप की कारगरता

4069. **श्री प० कुन्हन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के प्रसिद्ध डा० लिपेस द्वारा ईजाद किया गया लूप पैदाइश को रोकने के लिए निष्प्रभावी सिद्ध हो रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान केरल की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जहां पर लूप का प्रयोग करने के बावजूद भी एक अथवा जुड़वा बच्चों के जन्म हुए हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हाँ' में हो, तो स्थित का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ। केरल में प्राप्त सरकारी रिपोर्टों के अनुसार लूप लगे मामलों में गर्भ ठहरने की दर प्रति हजार एक से भी कम है जो विदेशों में किये गये समान अध्ययनों के परिणाम से बहुत कुछ मेल खाती है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

4070. **श्री राम सेवक यादव :** **श्री बूटा सिंह :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1966 में करों और विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में किन-किन व्यक्तियों के मामले प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा मध्यस्थ-निर्णय के लिये भेजे गये; और

(ख) उन्होंने किस प्रकार से विनियमों का उल्लंघन किया था ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) सीमाशुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, आयकर अधिनियम अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम में इन अधिनियमों के खिलाफ किये गए अपराधों/उल्लंघनों के 'पंचनिर्णय' की कोई व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय जांच अभिकरणों द्वारा छापे

4071. **श्री राम सेवक यादव :** **श्री बूटा सिंह :**

श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच अभिकरणों ने अगस्त, 1966 में कलकत्ता, बम्बई, कानपुर तथा भारत के अन्य बड़े शहरों में छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई दस्तावेज, जवाहरात, भारतीय तथा विदेशी मुद्रा, विदेशी शराब और सोना जब्त किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

पाण्डिचेरी में आय-कर की बकाया राशि

4072. **श्री कुं० शिवप्रघासन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1966 को पाण्डिचेरी में आय-कर की कुल कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) सरकार ने इस बकाया राशि की वसूली करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 14.50 लाख रुपये ।

(ख) बकाया रकम में से 11.48 लाख रुपये की रकम की वसूली उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा रोक दी गई है । शेष रकम के बारे में प्रत्येक मामले के गुण-दोष और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कानून के अन्तर्गत उपलब्ध सभी उपाय किये जा रहे हैं ।

पाण्डिचेरी में बड़े उद्योग

4073. **श्री कुं० शिव प्रघासन :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना में पाण्डिचेरी में कोई नये तथा बड़े उद्योग स्थापित किये जाने के लिये पाण्डिचेरी की सरकार ने योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) अपने प्रारंभिक ज्ञापन में पाण्डिचेरी प्रशासन ने चौथी योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में दो मध्यम आकार के उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है । जिन उद्योगों को स्थापित करने की गुंजाइस है वे निम्न प्रकार हैं :—

1. सामान्य औजार कक्ष ।
2. लघु आकार का सीमेंट संयंत्र ।
3. अलोहीय वेलन मिल ।
4. एच० टी० इन्सूलेटर्स और अन्य मृतिका-शिल्प उत्पादन ।

5. रेशे का उत्पादन ।

6. संधान परिवर्तक ।

ब्यौरेवार प्रस्तावों की इन्तजारी की जा रही है ।

पाण्डिचेरी में सिंचाई परियोजनायें

4074. **श्री कु० शिवप्रघासन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि सिंचाई परियोजनाओं के लिये पाण्डिचेरी सरकार ने 30 करोड़ रुपये के नियतन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं । पाण्डिचेरी सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना पर अपने प्रारंभिक ज्ञापन में सिंचाई स्कीमों के लिये 22 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये नियतनों का अभी फैसला होना है ।

पाण्डिचेरी में आदिम जातीय विकास खंड

4075. **श्री कु० शिवप्रघासन** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाण्डिचेरी के प्रत्येक आदिम जातीय विकास खंड में कितने प्रतिशत आदिम जाति के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ;

(ख) क्या यह प्रतिशतता संतोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) पांडिचेरी में कोई आदिम जातीय विकास खंड नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पांडिचेरी में पिछड़े वर्ग

4076. **श्री कु० शिवप्रघासन** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी में लोगों की कुछ श्रेणियों का पिछड़े तथा सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में क्रमशः कितने लोग हैं; और

(ग) क्या उनको कोई सुविधा अथवा रियायत दी गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Iron sheets seized in Delhi

4077. **Shri Solanki :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that iron sheets worth rupees one lakh have been seized in Delhi on the 11th August, 1966?

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken ; and

(c) the nature of action taken against them ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) to (c) On 6th and 10th of August, 1966 business premises of 35 dealers of Delhi were raided by the officers of Delhi Administration and industrial scrap, tinplate and tinplate waste-waste worth about Rs. 6 lakhs were seized. 35 persons were arrested and subsequently released on bail. The matter is under investigation.

विदेशों में फिल्मों की शूटिंग

4078. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964, 1965 और 1966 के दौरान अब तक, विदेशों में भारतीय चल-चित्रों की शूटिंग पर तथा इन सम्बन्ध में चलचित्र निदेशकों और निर्माताओं द्वारा की गई विदेश यात्राओं पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ;

(ख) ऊपर दिये गये वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में भारतीय चलचित्रों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) भारतीय चलचित्र निर्माताओं द्वारा अपने चलचित्रों की शूटिंग में विदेशी दृश्यों और स्थानों की अपेक्षा भारतीय दृश्य और स्थानों को ही चुनने में प्राथमिकता देने के लियें जिस से कि विदेशी मुद्रा संसाधनों पर भार को न्यूनतम किया जा सके, क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क)	1964	रु०	73,001
	1965	रु०	4,09,867
	1966	रु०	1,75,963
(ख)	1664	रु०	2,12,41,000
	1965 (सितम्बर तक)	रु०	1,67,37,000
	1966		जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है

(ग) विदेशी मुद्रा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा छानबीन के बाद और इस शर्त पर ही दी जाती है कि उत्पादक यह गारन्टी दे कि उसको जितनी विदेशी मुद्रा दी गई है वह उससे कम से कम चार गुनी विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा ।

प्रवर्तन निदेशालय कर्मचारी

4079. **श्री बाल्मीकी :** **श्री सिद्धनंजप्पा :**

श्री बासप्पा :

क्या वित्त मंत्री प्रवर्तन निदेशालय के बारे में 21 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4200 के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में निम्न जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(1) प्रवर्तन निदेशालय के मद्रास प्रादेशिक कार्यालय के जिन कर्मचारियों को हाल ही में सेवा में स्थायी किया गया है उनका सेवा काल क्या है;

(2) प्रवर्तन निदेशालय के अन्य प्रादेशिक कार्यालयों के उन कर्मचारियों का सेवाकाल क्या है जिनका सेवाकाल स्थायी किये गये कर्मचारियों के समान या उससे अधिक है और जिन्हें उस समय स्थायी नहीं किया गया था और उनको स्थायी न करने के क्या कारण है; और

(3) क्या इस निर्णय के किये जाने से पूर्व एक विभागीय पदोन्नति समिति ने मद्रास प्रादेशिक कार्यालय के कर्मचारियों के उपर्युक्त स्थायीकरण के बारे में विचार किया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (i) अनुबन्ध 'क' में एक विवरण दिया गया है जिसमें पदक्रमों के कनिष्ठतम व्यक्तियों का सम्बन्धित पदक्रम में सेवा-काल दिखाया गया है जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय के मद्रास प्रादेशिक कार्यालय में स्थायी किया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6994/66]

(ii) अनुबन्ध 'ख' में एक विवरण दिया गया है जिसमें पदक्रमों के उन वरिष्ठतम व्यक्तियों का सम्बन्धित पदक्रमों में सेवा-काल दिखाया गया है जिन्हें अभी प्रवर्तन निदेशालय के बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली प्रादेशिक कार्यालयों में स्थायी नहीं किया गया है।

(iii) मद्रास में कर्मचारियों की मुस्तकिली विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर की गयी थी।

Adulteration in Spices

4080. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a spices grinding factory in Kirtinagar, Delhi has been raided recently ;

(b) whether it is also a fact that adulterated spices are manfactured by the said factory ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) and (c) Samples of spices suspceted to be adulterated and other material which could be employed for purposes of adulteration found in the premises of the Factory have been taken and sent to the Public Analyst. Further necessary action withe be taken on receipt of the report of analysis.

Drivers in Willingdon and Safdarjang Hospitals, New Delhi.

4081. **Shri Vishram Prasad : Shri Yashpal Singh :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Class III Drivers of Willingdon and Safdarjang Hospitals are not being paid their salaries according to the pay-scales revised in 1959-60;

(b) whether it is also a fact that some of the Drivers have made representations to their Superior Officers in this respect but no action has been taken so far ;

(c) whether it is also a fact that these Drivers are ex-servicemen whose seniority has not been taken into account properly ; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) There is only one such case of an ex-serviceman in the Willingdon Hospital.

(b), (c) and (d) In reply to his representation he has been informed that his case is not covered by the rules and orders governing the fixation of pay in the revised scale since he was not retired from defence service prematurely.

कन्ननूर नगर के लिये जल प्रदाय योजना

4802. **श्री वारियर : श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं कि केरल राज्य में कन्ननूर नगर ही एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहां सुरक्षित जल प्रदाय की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नगर को पेय जल की सुरक्षित व्यवस्था करने लिये क्या कोई योजना बनाई जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। कन्ननूर, टेल्लीचेरी और माहे की सुरक्षित जल पूर्ति योजना सम्बन्धी ज्ञापन जिसे प्रधान मन्त्री को हाल में ही उनके केरल के दौरे के अन्तर्गत दिया गया था, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय में प्राप्त हो गया है।

(ख) जी हां।

डीजल लोको वर्कशाप.वाराणसी में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पता लगाना

4083. **श्री राजदेव सिंह : श्री बालकृष्ण सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पहले डीजल लोको वर्कशाप, वाराणसी में आयातित मशीनों तथा पुर्जों के साथ-साथ चोरी-छिपे लाई गई वस्तुओं का भी पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अधिकारियों के निवास स्थानों की तलाशी के दौरान चोरी-छिपे लाई गई ये वस्तुएं बरामद हुई थीं; और

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1964 में डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप, वाराणसी, के लिए अमेरिका से आयात किये गये कुछ इंजनों में चालक की सीट में छिपाये गये गद्दों में कुछ ट्रांजिस्टर, टेप रेकार्डर और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं पायी गयी थीं।

(ख) दो कर्मचारियों के निवास-स्थानों की तलाशियां लेने पर 374 अमेरिकी डालर 1 ट्रांजिस्टर रेडियो बरामद हुआ था।

(ग) सीमा-शुल्क कानून के अधीन अब तक 15 रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों का न्याय-निर्णय किया जा चुका है, और उनमें से 14 को दण्ड दिया गया है।

इन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से भी जांच-पड़ताल शुरू की थी, जो अब पूरी हो चुकी है। यह मामला अब केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विधाराधीन है।

वेतन निर्धारण

4084 **श्री जेधे** : क्या वित्त मन्त्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अगस्त, 1947 से पूर्व 60-5-100 रुपये वेतन-क्रम में नियुक्त हुये तथा वेतन के रूप में 90 रुपये पाने वाले लिपिक वर्गीय सेवाओं (मिनिस्ट्रीरियल सर्विसेज़) के 'ख' (बी) ग्रेड वाले लिपिकों का वेतन 15 अगस्त, 1947 को केन्द्रीय लिपिक सेवा (वेतन का पुनरीक्षण) नियम, 1947 के लागू होने पर 16 अगस्त, 1947 से (वह तारीख जब से नये वेतन-क्रम लागू किये) 55--3--85--4--125--5--130 रुपये के वेतन-क्रम में रखे गये तथा उनका वेतन 89 रुपया निर्धारित किया गया (अर्थात् पिछले वेतन 90 रुपये से तत्काल पहले की वेतन-स्थिति तथा इसके साथ व्यक्तिगत वेतन के रूप में 1 रुपया दिया गया जो उनके भावी वेतन वृद्धि में शामिल किया जाना था ;

(ख) यदि नहीं तो ऐसे मामलों में विशेषत: जहां पुनरीक्षित वेतन क्रम में वार्षिक वेतन कैसे निर्धारित किया गया ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उस प्रक्रिया के प्रतिकूल कहां काम किया गया ; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितने व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) 1947 में हुए वेतन पुनरीक्षण का असर जिन क्लर्कों के वेतनों पर पड़ा था उनके वेतन 'नार्मल रूल' के अन्तर्गत निश्चित नहीं किये गये थे। इस रूल का उल्लेख 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1341 के भाग (ख) के उत्तर में किया गया है। इनका वेतन सी० सी० एस० (वेतन पुनरीक्षण) नियम 1947, के नियम 8 के अनुसार किया गया था जो वेतन पुनरीक्षण से प्रभावित कर्मचारियों पर सामान्यतया लागू होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि किसी कर्मचारी पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा यदि ऐसा है तो मैं उनकी संख्या जानना चाहूँगा।

राजस्थान नहर परियोजना

4085. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राजस्थान नहर परियोजना सम्बन्धी निदेश समिति की कितनी बैठकें हुई और उनमें क्या क्या निर्णय किये गये ;

(ख) क्या पोंग डुम क्षेत्र के भूमिहीन काश्तकारों के, जिन्हें इस नहर के बनने पर वहां से हटाया जायेगा, प्रश्न पर विचार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें स्वयं राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने का विचार है और उन्हें कितनी भूमि दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके पुनर्वास के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) चालू वर्ष के दौरान अभी तक एक ही बैठक हुई है । 21 जुलाई, 1966 को हुई इस बैठक में यह फैसला किया गया कि :

(1) एक तकनीकी समिति इस सुझाव की तकनीकी, मितव्ययी तथा व्यावहारिक पहलुओं से जांच करें कि राजस्थान नहर परियोजना की कृष्य कमान में सिंचाई की गहनता में यथा संभव वृद्धि की जाए,

(2) चालू वित्तीय वर्ग के लिये राजस्थान नहर परियोजना के वास्ते 50 लाख रुपये का अतिरिक्त आबंटन करने के लिये कार्यवाही की जाए ।

(3) उपर्युक्त मद (1) में निर्दिष्ट समिति द्वारा उठान नाली निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जाए ।

(4) राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास के लिये चालू वर्ष के 1 करोड़ रुपये के वर्तमान आबंटन को बढ़ा कर 2 करोड़ रुपये कर दिया जाए ।

(ख) तथा (ग) जी, हां । 4 नवम्बर, 1965 को हुई निदेशन समिति की पहली बैठक में यह फैसला किया गया था कि प्रत्येक भू-रहित विस्थापित मजदूर को भी पंजाब और हिमालय प्रदेश से विस्थापित लोगों को अलाट करने के लिये राजस्थान नहर क्षेत्र में पृथक् रखी जाने वाली कुल 3.25 लाख एकड़ भूमि में से लगभग 1 एकड़ तक भूमि अलाट की जाए ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भूमिहीन किसानों का पुनर्वास

4086. **श्री हेमराज** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं के निर्माण-कार्य के लिये अधिग्रहण की गई भूमि पर कब्जा किये हुए भूमिहीन किसानों को बिना वैकल्पिक आवासस्थान दिये वहां से निकाला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उन लोगों को बसाने और रोजगार देने के लिये कोई सामान्य तरीका किकाला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : **(क) से (ग)** कई राज्यों में जहां विस्तृत क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जहां तक संभव होता है वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की जाती है। भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास से संबधित मामलों के बारे में और आगे विचार खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में गठित किए गए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा किया जा रहा है। इस दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अशोक होटल द्वारा दरों का बढ़ाया जाना

4087. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2035 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोक होटल में दरें बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : अशोक होटल में ली जाने वाली दरें पिछली बार अक्टूबर, 1959 में बढ़ाई गयी थीं। तब से होटल को चलाने वाला खर्चा काफी बढ़ गया है। अक्टूबर, 1961 में पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए आहार प्रदान करने के प्रभारों में सभी होटलों को सामान्य वृद्धि के लिए प्राधिकृत कर दिया था, किन्तु अशोक होटल ने उस समय अपने प्रभार नहीं बढ़ाये, तथापि मूल्यों में वृद्धि होने के कारण मैनेजमेंट को जून, 1966 में दरें बढ़ाने के लिये बाध्य होना पड़ा। ऐसा करने से पूर्व पर्यटन विभाग से अनुमोदन ले लिया गया था। इस निर्णय का रुपये के अवमूल्यन से कोई संबंध नहीं।

Recovery of Opium at Jaora Railway Station

4088. **Shri Yudhvir Singh** : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Bade : **Shri Jagdev Singh Siddhanti** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 14 kilograms of opium worth about ten thousand rupees was recovered at Jaora Railway Station as reported in the Hindustan dated the 21st July, 1966 ;

(b) if so, the number of persons arrested in that connection ; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) One.

(c) The case is under investigation.

Admission to the All India Institute of Medical Sciences

4089. **Dr. Ram Manohar Lohia** : **Shri Madhu Limaye** :
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Kishen Pattnayak** :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some change has been made this year in the method of admission of students to the All-India Institute of Medical Sciences ; and

(b) if so, the reasons for effecting the said change?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) No change in the method of admission of students has been made this year.

(b) Does not arise.

अखिल केरल विश्वकर्मा महासभा से अभ्यावेदन

4090. **श्री बासुदेव नायर :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री केरल राज्य के अपने हाल के दौरे के दौरान अखिल केरल विश्वकर्मा महासभा से कोई ज्ञापन मिला है, और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उठाई गई विभिन्न बातों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) अखिल केरल विश्वकर्मा समा ने प्राधन मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था, जिसमें शिक्षा सम्बन्धी रियायतों तथा सेवाओं, शिक्षा संस्थाओं और राज्य विधान मंडल में आरक्षणों की मांग की गई थी। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वहां तक यह पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि अन्य पिछड़े वर्गों की परिभाषा आर्थिक कसौटी के आधार पर की जाये। चूंकि केरल में विश्वकर्मा जाति को जाति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग समझा जाता है, इसलिये अन्य पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली रियायतों की अवस्था तथा विस्तार के बारे में प्राथमिक रूप से राज्य सरकार ने विचार करना है। अलबत्ता विधान मंडल में आरक्षण को उनकी मांग मान्य नहीं है क्योंकि संविधान में केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ही आरक्षण की व्यवस्था है।

निजी चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सक

4091. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय निजी चिकित्सा व्यवसायी व्यक्ति संघ ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि निजी चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों को आयुर्वैदिक, युनानी तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के बराबर स्तर, मान्यता तथा पंजीयन की सुविधायें दी जानी चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) बिना अर्हता प्राप्त चिकित्सकों के, चिकित्सा व्यवसाय में उनके अनुभव के आधार पर पंजीयन के बारे में प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसियेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस मामले पर गौर किया जा रहा है।

दिल्ली में देशबन्धु गुप्त रोड पर लोहे के व्यापारी

4092. **श्री शिव चरण माथुर :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहे के बहुत से व्यापारियों ने दिल्ली में पहाड़गंज में देशबन्धु गुप्त रोड पर सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है;

(ख) क्या उन व्यापारियों ने उस भूमि पर नियमित रूप से दुकानें बना रखी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) उन लोगों ने उक्त भूमि पर कब से अनधिकृत कब्जा कर रखा है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (घ) तक : पहाड़गंज, दिल्ली में देशबन्धु गुप्ता रोड की पटरी पर चार लोहे के व्यापारियों ने नियमित दुकानें स्थापित कर ली हैं। वे दिल्ली नगर निगम को 1 अप्रैल, 1962 से तय बाज़ारी अदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने व्यापार स्थान के पीछे भी जून, 1966 में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। 741 वर्ग गज़ का अनधिकृत कब्जा, एक हायर सैकन्डरी स्कूल को बनाने के लिये दिल्ली प्रशासन को दिसम्बर, 1957 में दी गयी भूमि का एक भाग है। शेष स्थान में अस्थाई संरचना में स्कूल पहले ही से चल रहा है। इन अनधिवासियों को स्कूल के स्थान से हटाने की कार्यवाई दिल्ली प्रशासन कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा अपने जन्म दिवस पर प्राप्त की गई थैली पर आय-कर का निर्धारण

4093. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री मधु लिमये :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री बूटा सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चं० मा० गुप्त को, सी० बी० गुप्ता जन्म दिवस थैली के रूप में तथा उसी नाम से हाल में बहुत बड़ी धन राशि भेंट की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा निगम निकाय को, कानूनी तौर पर यह बताना होता है कि उसे किस रूप में, कितना और कहां से धनराशि प्राप्त हुई है ताकि उस पर आय-कर निर्धारित किया जा सके;

(ग) क्या श्री चं० भा० गुप्त ने ऐसा किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या थैली को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दान-स्वरूप निधि के रूप में माना गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जो रकमें आय के रूप में कर लगने योग्य हैं उन्हें आय के विवरण (रिटर्न) के सम्बन्धित भागों में दिखाया जायगा और जिन रकमों के बारे में कर-निर्धारिती का दावा है

कि वे कर लगने योग्य नहीं है, उन्हें आय के विवरण के भाग-1 के खण्ड 'च' में दिखाया जायगा।

(ग) जी, नहीं। यह रकम श्री गुप्त को वित्तीय वर्ष 1966-67 में प्राप्त हुई है इसलिए यह कर निर्धारण वर्ष 1967-68 में ही आयकर निर्धारण के लिए विचार योग्य बनेगी। अत: श्री गुप्त कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए अपनी आय का विवरण 1 अप्रैल 1967 के बाद ही दायर करेंगे।

(घ) यह सवाल ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध

4093-क. श्री दी० चं० शर्मा : श्री द्वारकादास मन्त्री :

श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये पद बनाये जाने के बारे में लगाया गया प्रतिबन्ध हटा दिया गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप किसी मन्त्रालय से कोई विस्तार योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मन्त्रालय ने कितने पद बनाये हैं ?

वित मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) नये पदों के निर्माण पर लगे प्रतिबन्ध को हटा देने से और उसके परिणाम में सौंप गये अधिकारों का मन्त्रालयों द्वारा प्रयोग करने से ही विस्तार योजनाओं का परिपालन नहीं हो जायगा। पद निर्माण करने के अधिकार का प्रयोग स्वीकृत बजट व्यवस्था के अन्तर्गत और नियमित विनियोग के जो अधिकार मन्त्रालयों आदि को मिले हुए हैं उनके अधीन ही किया जा सकता है। मन्त्रालयों आदि को सौंपे गये अधिकारों के अन्तर्गत जिन पदों का निर्माण नहीं किया जा सकता, उनके मामले नियमानुसार हमेशा की तरह वित्त मन्त्रालय को भेजे जाते रहेंगे।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में मकान मालिकों और किरायेदारों के विवाद

4093-ख. श्री वारियर : श्री विश्राम प्रसाद :

श्री सरजू पांडेय : श्री यशपाल सिंह :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के न्यायालयों और पुलिस स्टेशनों में मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों के बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में किरायेदारों को मारने पीटने के कुछ मामलों की रिपोर्ट दिल्ली के रोशनारा पुलिस स्टेशन में की गई थी परन्तु इस मामले में अब तक कोई कार्य-वाही नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामले हैं तथा उन पर कार्यवाही करने में देरी होने के क्या कारण है ; और

(घ) दिल्ली के किरायेदारों को राहत देने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां—(i) 1 अगस्त, 1966 को दिल्ली की किराया / अपर किराया नियन्त्रकों की अदालतों में बेदखली, मानक किराये के निर्धारण, बिजली तथा पानी आदि सुविधाओं की पुनर्स्थापना के 3343 मामले पड़े हुए थे।

(ii) 1 जनवरी, 1966 से लेकर 15 अगस्त, 1966 तक की अवधि में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में आई० पी० सी० (भारतीय दंड विधान) के अन्तर्गत 121 मामलों की रिपोर्ट हुई थी।

(ख) और (ग) हमले के सभी हस्तक्षेप्य मामलों (कागनीज़ेबल केसेज़) में कार्यवाई की गयी थी। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कि कानून के अन्तर्गत की जा सकने वाली कार्यवाई नहीं की गयी हो। यदि कोई देर हुई है तो वह चोटों की डाक्टरी-कानूनी परीक्षा (मैडिको-लीगल एक्ज़ामिनेशन) केवल जिसके आधार पर ही एक पक्ष के विरुद्ध हस्तक्षेप्य मामला पंजीकृत हो सकता है, में समय लगने के कारण हुई है।

(घ) दिल्ली कन्ट्रोल एक्ट, 1958 तथा स्लम एरियाज़ (इम्प्रूवमेंट एन्ड क्लीयरेंस) एक्ट, 1956 में पर्याप्त संरक्षण है।

केरल के एक अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

4093-ग. **श्री म० न० स्वामी :** **श्री इम्बीचीबावा :**

श्री प० कुन्हन : **श्री य० न० सिंह :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें केरल विद्युत बोर्ड के अधीन मुख्य इंजीनियर (सिविल) के कार्यालय में काम करने वाले वर्तमान वाणिज्यिक अधीक्षक (कमर्शल सुपरिंटेंडेंट) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ये आरोप अत्यन्त गम्भीर होने के कारण क्या निष्पक्ष जांच कराने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य बिजली बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य इन्जीनियर (सिविल) ने आरोपों की जांच की और वे निराधार निकले ।

(ग) जांच परिणाम को दृष्टि में रखते हुए, केरल राज्य बिजली बोर्ड का यह विचार है कि किसी और जांच की आवश्यकता नहीं ।

जालन्धर में मकानों का अधिग्रहण

4093-घ. **श्री युद्धवीर सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में जालंधर जिले में और जालंधर शहर में कितने मकानों का अधिग्रहण करने के लिए पत्र जारी किये गये थे ;

(ख) कितने मकानों का अधिग्रहण नहीं किया गया था ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रश्नोत्तर में शुद्धियां

CORRECTIONS OF ANSWERS

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : अतारांकित प्रश्न संख्या 3674 के उत्तर में मैंने यह सूचना दी थी :—

"(क) और (ख) पिछले बारह महीनों के आंकड़ों के अनुसार, हर रोज औसतन 43,96, 470 नोट नष्ट करने के लिए रद्द किये जाते हैं । हर रोज जलाये जाने वाले नोटों और पिछले तीन वर्षों में जलाये गये नोटों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह सूचना इकट्ठी की जा रही है ।"

उपर्युक्त उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7 अप्रैल 1966 को दी गयी सूचना के आधार पर दिया गया था । अब बैंक ने सूचित किया है कि उसके कुछ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले विवरणों में दिये गये आंकड़े, जिनके आधार पर रद्द किये गये नोटों के आंकड़े संकलित किये गये थे, गलत थे । सही संख्या 69,81,953 है । इसलिए अतारांकित प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार संशोधित कर दिया जाय ।

"(क) और (ख) पिछले बारह महीनों के आंकड़ों के अनुसार, हर रोज औसतन 69,81, 953 नोट नष्ट करने के लिए रद्द किये जाते हैं । हर रोज जलाये जाने वाले नोटों और पिछले तीन वर्षों में जलाये गये नोटों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह सूचना इकट्ठी की जा रही है ।"

2. मैं इस अवसर का उपयोग, उपर्युक्त उत्तर के दूसरे वाक्य में दिये गये वचन को पूरा करने के लिए भी करना चाहूँगा । पिछले तीन वर्षों में जलाये गये कुल नोटों की संख्या 6,53,98,10,852 है ।

3. प्रश्न के भाग (क) में उन करेंसी नोटों की संख्या पूछी गयी है, जो चलने के बाद अलग कर दिये जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर रोज जला दिये जाते हैं। इसके उत्तर में उन नोटों की संख्या बतायी गयी थी जिन्हें हर रोज नष्ट करने के लिए रद्द किया जाता है, क्योंकि हर रोज जलाये जाने वाले नोटों की संख्या से सम्बद्ध सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं थी। किसी एक खास अवधि में रद्द किये गये नोट हमेशा ही उसी अवधि में जलाये नहीं जा सकते (उदाहरण के लिए यदि जलाने वाले कुछ यंत्र ठीक न हों) और इस प्रकार कई बार आग में जलाकर नष्ट किये जाने के लिए रद्द किये गये पहले के नोट भी बाकी पड़े रह सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, मूल उत्तर की तारीख से पहले के बारह महीनों की अवधि में औसतन हर रोज रद्द किये गये नोटों की संख्या 69,81,953 बैठती है। उसी अवधि में औसतन हर रोज जलाये गये नोटों की संख्या 74,59,745 है।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : अशोक होटल्ज लिमिटेड के इलैक्ट्रीशियन की मृत्यु के सम्बद्ध में 28 जुलाई, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 471 के भाग (ग) और (घ) में मैंने कहा था कि प्राप्य छुट्टी के मुआवजे के लिए मृत की विधवा को 340.75 रुपये की राशि दे दी गयी है। अब यह पता चला है कि उत्तर ठीक नहीं है। मृत की प्राप्य छुट्टी के मुआवजे के लिए 83.60 रुपये की राशि है न कि 340.75 रुपये की। अतएव उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के अन्तर्गत मद (1) को निम्नांकित रूप में पढ़ा जाये :—

"210.00 रुपये की ग्रेच्युटी तथा प्राप्य छुट्टी के मुआवजे के लिए 82.60 रुपये की राशि मृत की विधवा को दे दी गयी है।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार में बाढ़ के कारण हुई क्षति

श्री बिभूती मिश्र (मोतिहारी) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"बिहार में हाल ही की बाढ़ के कारण हुई क्षति।"

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : बिहार की सीमा पर नेपाल देश की पहाड़ियों में और दरभंगा मुज्जफरपुर, चम्पारन और सरण के उत्तर पूर्वी जिलों में अगस्त के अन्तिम सप्ताह में भारी वर्षापात हुआ। इसके परिणामस्वरूप इन जिलों की नदियों में बहुत पानी आ गया जिससे काफी बड़े-बड़े भू-क्षेत्र जल प्लावित हो गये। जो नदियाँ मुख्यतः प्रभावित हुई वे कमलाबालन, भुतहीबालन, बागमती, लखनदेयी, बूढ़ी गण्डक और गण्डक हैं। दरभंगा जिले में कमलाबालन और खिरोई के तटबन्धों में, मुज्जफरपुर के सीतामरही उप-मण्डल में अधवारा तटबन्ध, चम्पारन में भेरीहरी तटबन्ध और चपरा के सरण

तटबन्ध में दरारों के पड़ जाने की रिपोर्ट मिली है। बूढ़ी गण्डक नदी के किनारे पर मुज्जफर पुर टाऊन में सिखन्दरपुर के सहवर्ती क्षेत्र में काफी गम्भीर कटाव हो गया जिससे एक दरार पड़ गई है। बाढ़ों ने इस क्षेत्र में सड़क और रेल के यातायात में अवरोध उत्पन्न कर दिया है।

इन बाढ़ों के कारण हुई क्षति अभी आंकी जा रही है किन्तु अभी तक राज्य द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी के अनुसार 23.7 लाख एकड़ भूमि प्रभावित हुई है जिसमें लगभग 15.5 लाख एकड़ वह भूमि शामिल है जिसमें फसल बोई हुई है। राज्य सरकार का अनुमान है कि फसलों को लगभग 25 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। 36 लाख लोगों के प्रभावित होने की रिपोर्ट मिली है। सूचना मिली है कि चार व्यक्ति मर गए हैं।

राज्य सरकार ने कई सहायता केन्द्र खोले हैं। लोगों को बचाने के लिये बहुत सी किश्तियों को लगाया गया है। बाढ़ पीड़ित लोगों को नकद अनुदान और कर्जा दिया जा रहा है। इन लोगों के लिये उचित मूल्य वाली दुकानें खोल दी गई हैं और उन्हें डाक्टरी और दूसरी सहायता दी जा रही है। प्रधान मंत्री ने बाढ़ द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सहायता के लिये 50,000 रुपये का एक चैक भेजा है।

ये बाढ़ें लोगों के लिए बहुत अशुभ साबित हुई और खास कर इसलिये कि यह राज्य एक बहुत लम्बे सूखे के बाद अच्छी भदाई फसल की उम्मीद लिये हुये था। जब इन भयंकर बाढ़ों की मुझे सूचना मिली तो मैं अपने साथी डा० के० एल० राव के साथ बिहार गया और वहाँ 30 अगस्त को बाढ़ द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। हमने मुज्जफरपुर में हो रहे गंभीर कटावों का भी निरीक्षण किया। पांच संसद सदस्य और सिंचाई व बिजली मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारीगण भी साथ गये हुये थे। मैंने बाढ़ स्थिति और किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। यह बाढ़ें तो उत्तर विहार के एक अथवा दूसरे भाग में हर साल ही न्यूनाधिक होनी शुरू हो गई हैं। कई बाढ़ संरक्षण कार्य कार्यान्वित हो चुके हैं लेकिन अभी काफी कुछ होना है। इस वर्ष की बाढ़ों द्वारा हुए अनुभव का अध्ययन करना पड़ेगा और इसके लिए उपयुक्त प्रतिकारात्मक उपाय किए जायेंगे। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि उत्तर बिहार की जल निकास स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। हमने इस समस्या का पूर्ण अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित कर दी है।

राज्य के मुख्य मंत्री और अन्य लोगों से हुये वार्तालाप में इस स्थिति का सामना करने के लिये किये जाने वाले तुरन्त उपायों को बता दिया गया है। राज्य सरकार ने यह बताया है कि उनको अपने बाढ़ तथा सूखा सहायता कार्यों के लिये 10 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। उन्होंने अगले महीनों में अपनी खाद्यान्न और बीज पूर्ति की आवश्यकता भी बताई है। राज्य सरकार की प्रार्थनाओं पर विचार किया जा रहा है।

Shri Bibhuti Mishra : While congratulating Shri Fakhruddin, Rao Sahib and Indian Air Force men, I would like to know whether the Hon. Minister is preparing any scheme to make some permanent arrangement for checking floods in future.

Shri Fakhruddin Ahmed : We have thought that the State Government should take up a programme of repairing embankments.

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : I would like to know the action taken by Hon. Minister on the demands of the State Government on his return from the tour of that state.

Shri Fakhruddin Ahmed : I have already submitted my inspection note to the Prime Minister wherein I have recommended that the demand of the State Government should be met fully on ad-hoc basis.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I would like to know whether the Government would take care that no piece of land is remained untilled and that trees would also not be cut down.

Shri Fakhruddin Ahmed : The embankments which have been constructed check the floods to a large extent. Alongwith that Detention reservoirs etc. are also being constructed on many places.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I would like to know whether during the recent floods in Bihar more harves t has been destroyed, more land has been affected and more animals have been killed as compared to the earlier floods. If so, the action taken by the Flood Central Board and its programme to check the floods.

Shri Fakhruddin Ahmed : I have been told that the recent flood was not an extensive one but it was more intensive than the previous one. There is no other way except that we shoul l construct Detention Dam and that we may strengthen the existing embankments.

Shri Madhu Limaye (Monghyr). I want to know whether the collection of levy and otner taxes will be suspended from the flood affected area ?

Shri Fakhruddin Ahmed : This matter concerors the State Government.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I would like to know whether the Hon. Minister has assessed the usefulness of the projects because more floods are occuring now ? If not, why ? I would also like to know the proposals being considered by Government to solve this problem.

Shri Fakhruddin Ahmed : During these years about two thousand embankments have been constructed. Due to lack of finance the State Government could not pay much attention to them. So when there is a violent gush of water the weak embankments are broken and that causes great damage. We are thinking on the ways as to how the centre can help the State Governments for strengthening the embankment and to erect as soon as possible detention Dams.

Shri Shree Narayan Dass (Darbhanga) : As these embankements could not provide a valid defence against the floods may I know whether Government is considering to adopt some other line leaving this policy of constructing embankment.

Shri Fakhruddin Ahmad : Policy will be same. But as I have stated we will strengthen the embankments, so that breaches may not occur due to gush of water.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : चूंकि आसाम में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है क्या मैं जान सकता हूँ कि आसाम में बाढ़ को रोकने के लिये सरकार कोई स्थायी उपाय करने पर विचार कर रही है और क्या बाढ़ आने से पूर्व लोगों को चेतावनी देने के बारे में भी सरकार ने कोई उपाय किये हैं तथा बाढ़ के समय लोगों को वहां से निकालने के लिए सरकार रबड़ की नांव आदि का प्रबन्ध किया है और बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये अनाज के भण्डार रखे जाते हैं ?

श्री फखरुद्दीन अहमद : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है जब जून में बाढ़ आई थी तो हमने कुछ ठोस उपायों पर विचार किया था। परन्तु यह एक बड़ा कार्य है इसलिये यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहले बताया हमने दो जांच दल नियुक्त किये हैं तो ब्रह्मपुत्र घारी तथा कछार में डिटेन्सन डैम बनाने के बारे में अपना प्रतिवेदन देंगे। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात कुछ ठोस कार्यवाही की जायेगा। जहाँ तक नांव आदि का सम्बन्ध वहां पर लगभग प्रत्येक घर में नांव है। जहां तक अनाज के भंडार रखने का सम्बन्ध है यह कार्य पहले से ही किया जा रहा है।

श्री प्र० चं० बरुआ (पूर्वी भारत में बाढ़ को रोकने के लिये सरकार क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

श्री फखरुद्दीन अहमद : इसका व्यौरा मैं पहले ही दे चुका हूं।

Shrimati Ram Dulari Sinha (Patna): This year floods were more serious than that of previous years. I would like to know whether Government has taken any decision to take some immediate steps to complete the Gandak Project. I would also like to know whether any decision has also been taken to construct embankments on small rivers. Has any decision been also taken to increase the allotment of funds because the amount so far given is not sufficient.

Shri Fakhruddin Ahmed : I may assure the hon.Minister that work on the Gandak Project is going on in full swing.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : In Deoria district of U. P. thousands of men and women have been rendered homeless due to flood in the Gandak river. I would like to know whether the hon.Minister has inspected this area also and if so the quantum of assistance rendered to the people by the State and the Central Government ? I would also like to know whether Government have taken any steps to protect the Sugar and other mills of the area which are under water ?

Shri Fakhruddin Ahmed : While going to Bihar I visited the area of Deoria also. The Chief Minister of U.P. is expected here in a day or two andafter discussing with him nature of assistance the necessary action will be taken.

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल करों पर अधिकार (संशोधन तथा मान्यकरण) अधिनियम, 1966

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री व० रा० भगत की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल करों पर अधिभार (संशोधन तथा मान्यकरण) अधिनियम, 1966 (राष्ट्रपति का 1966 का अधिनियम संख्या 2) की एक प्रति जो दिनांक 26 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(2) ऊपर के अधिनियम को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-6975/66]

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप इनको रद्द करते हैं तो केवल एक ही शब्द में उनका उत्तर दे देते हैं कि नहीं इनको नहीं लिया जा सकता" । इनके बारे में विस्तृत व्याख्या तो नहीं परन्तु कुछ न कुछ व्याख्या अवश्य दी जानी चाहिये । मेरा व्यक्तिगत रूप से विचार है कि मैंने केन्द्रीय रेलवे मंत्री की बम्बई राज्य में गतिविधियों के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी वह केन्द्रीय सरकार के चर्चा करने का विषय है। परन्तु ऐसे विषय को भी ध्यान दिलाने वाली सूचना के रूप में नहीं लिया गया है........

अध्यक्ष महोदय : यदि हम दोनों के विचार भिन्न हैं तो मुझे क्या करना चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने खुलेआम यह शिकायत की है कि ऐसे भी केन्द्रीय मंत्री हैं जो राज्य सरकारों को भी परेशान करते हैं। श्री पाटिल भी बम्बई में ऐसी ही कार्यवाही कर रहे हैं। यही कारण है कि वह सरकार से कुछ जानकारी चाहते हैं।

कम्पनी का समापन लेखा (संशोधन) नियम

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : श्री चे० रा० पट्टाभिरामन की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी का समापन लेखा (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ जो दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत राजपत्र में अधिसूचना के संख्या जी० एस० आर० 1280 में प्रकाशित हुए थे ;

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6976/66]

यात्री (गैर-पर्यटक) असबाब (दूसरा संशोधन) नियम, 1966

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत यात्री (गैर-पर्यटक) असबाब (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 30 जुलाई 1956 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1167 में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-6978/66]

कोचीन पत्तन न्यास के लेखे सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रमाण पत्र

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): मैं

कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1964-65 के लेखे सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6977/66]

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अब तक इस सभा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पेश किए जाते थे। परन्तु यह प्रमाणपत्र पेश किया गया है। क्या इसका यह अर्थ है कोची पत्तन न्यास के बारे में अब लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा को नहीं मिलेगा । यह प्रमाण पत्र किसका है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : आप की अनुमति से मैंने पहले कोचीन पत्तन न्यास के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखा था उसके साथ लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र संलग्न नहीं थे। अब वे प्रमाणपत्र सभा पटल पर रख दिये गये हैं ।

निवारक निरोध अधिनियम के प्रवर्तन सम्बन्धी सांख्यकीय सूचना

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं 30 सितम्बर, 1964 से 30 सितम्बर 1965 तक की अवधि के दौरान निवादक निरोध अधिनियम, 1950 के प्रवर्तन सम्बन्धी सांख्यकीय सूचना की एक अति सभापटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6979/66]

श्री हरि विष्णु कामत : मैं वार्षिक प्रतिवेदन का स्वागत करता हूँ । परन्तु इसको सभा पटल पर रखने में एक वर्ष लग गया है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस विलम्ब के क्या कारण हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं कारण जानने का प्रयत्न करूँगा तथा इनको सभा के समक्ष रख दूँगा ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे), 1963-64

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1963-64

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : मैं वर्ष 1963-64 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगे दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 16 अगस्त, 1966 को पारित किये गये अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1666 से राज्य-सभा अपनी 29 अगस्त, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 16 अगस्त, 1966 को पारित किये गये दण्ड विधि संशोधन (संशोधी) विधेयक, 1966 से राज्य-सभा अपनी 29 अगस्त, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 25 अगस्त, 1666 को पारित किये गये विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

मूल्य-वृद्धि को रोकने आदि के उपायों के बारे में याचिका

PETITION RE. MEASURES TO CHECKRISE IN PRICES ETC.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं मूल्य-वृद्धि को रोकने और जन साधारण पर करों का बोझ कम करने के उपायों, और बैंकों, तेल उद्योग आदि का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में दो याचिकादाताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूँ :

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

त्रिपुरा में उपद्रव

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री मधु लिमये श्री बागड़ी, और श्री किशन पटनायक, डा० राम मनोहर लोहिया और ध्यान दिलाने वाली नौ सूचनाएं श्री दाजी, श्री बागड़ी, श्री किशन पटनायक, श्री वृजराज सिंह, श्री स्वैल श्री मधु लिमये तथा अन्य सदस्यों से प्राप्त हुई हैं।

पहले मुझे यह पता लगा था कि श्री विद्याचरण शुक्ल त्रिपुरा की गड़बड़ के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने वाले हैं। पहले मैं इनका वक्तव्य सुनना चाहूँगा और फिर निर्णय लूंगा कि इनकी अनुमति दी जाये अथवा नहीं।

गृह कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अनाधिकृत रूप से सिनेमा के टिकट बेचने वाले एक व्यक्ति और आसाम राइफलंज के एक सिपाही के बीच 28 अगस्त, 1966 की शाम को मामूली झगड़ा हो गया था इसके पश्चात इस झगड़े में जनता के अन्य लोग और कुछ जवान भी उलझ गये।

एक झूठी अफवाह फैल गई कि इस झगड़े में एक विद्यार्थी की हत्या हो गई है जिसके परिणाम स्वरूप कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया और पुलिस पर पत्थर फैंके। भीड़ को दूर रखने के लिए पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया तथा आंसू गैस के गोले फैंके 66 सिपाहियों समेत जिसमें दो जवान तथा आसाम राइफल का एक सिपाही भी था कुल 93 व्यक्तियों को चोटे आई थी।

29 अगस्त को प्रात: कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ जमा हो गई और उसने पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने का प्रयत्न किया। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए

बाध्य हो गई। पुलिस की इस कार्यवाही के विरुद्ध आन्दोलन करने वालों के समर्थकों ने हड़ताल कराने का भी प्रयत्न किया।

भीड़ ने स्थानीय पुलिस कार्यालय पर भी धावा बोला जिसके परिणाम स्वरूप रक्षकों को गोली चलाना पड़ी और इसमें एक व्यक्ति को चोटे आई।

एक अन्य स्थान पर भी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को गोली चलाना पड़ी जिससे छः व्यक्तियों को चोटे आई और एक व्यक्ति के लिए ये चोटे घातक सिद्ध हुई। तत्पश्चात दो अन्य व्यक्तियों ने भी चोटों के कारण प्राण त्याग दिए।

ग्यारह बजे प्रातः विधान सभा भवन के बाहर भीड़ जमा होना आरम्भ हो गई जिसमें अधिकांश विद्यार्थी थे। वे जबरण भवन में प्रवेश करने में सफल हो गये और 2 बजे के लगभग मुख्य मंत्री को बाहर ले आये पुलिस जिसको गोली चलाना पड़ी के हस्तक्षेप के कारण उनको बचाया गया। इस गोली काण्ड में व्यक्तियों को चोटे आई।

भीड़ ने औद्योगिक बिक्री एम्पोरिम से कपड़ा बाहर निकाल लिया तथा उसको आग लगा दी। क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय टेलीफोन एक्सचेन्ज को भी आग लगाने का यत्न किया। सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सेना को बुलाया गया और 29 अगस्त को अगरतल्ला नगर में 36 घण्टों का कर्फ्यू लगा दिया गया है।

साम्यवादी दल के एक संसद् सदस्य तथा 4 विधायकों समेत कुल 69 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

31 अगस्त, 1966 को प्रातः 7 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया है। दण्ड प्रक्रिया सहिता का धारा 144, फिर भी, 4 सितम्बर तक लागू रहेगी। स्थिति नियंत्रण में है और सतर्कता से कार्य किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये अथवा श्री पटनायक अथवा श्री बागड़ी इस बात की व्याख्या करें कि सरकार किस प्रकार असफल रही है।

Shri Bagri (Hissar) : There was no law and order prevailing in that State. Jungle rule was prevailing there. Curfew was also imposed there. In the circumstances this adjournment motion should be accepted.

Mr. Speaker : After hearing Shri Bagri, I am of the opinion that there was no failure on the part of the Government. So, I cannot allow adjournment motion but however I will take up calling Attention Notice at 5 P.M.

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस पर एक अल्प सूचना प्रश्न भी है मेरा निवेदन है इस पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम भी इसके साथ जोड़ दिए जायें।

अध्यक्ष महोदय : इसको कल लिया जायेगा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरायल्लि): कल जिन लोगों ने इस विषय पर सूचना दी थी उनके नाम भी जोड़ दिए जायें।

अध्यक्ष महोदय : यदि नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया जा सका तो मैं इसपर ध्यान दूंगा।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

RE. POINT OF ORDER

श्री त्यागी (देहरादून) : जो याचिका प्रस्तुत की गई है उसके बारे में मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। नियमों के अनुसार यह याचिका ग्राह्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जिस समय याचिका प्रस्तुत की गई थी माननीय सदस्य को उसी समय आपत्ति उठानी चाहिए थी।

श्री त्यागी : जो शीर्षक पढ़कर सुनाया गया है उसको परिचालित नहीं किया गया था। इसलिये नियमों को उल्लेख करना सम्भव नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यसूची में था। फिर भी यदि इसके लिए नियमित सूचना दी जाये और यदि इसमें कुछ हुआ तो मैं ध्यान दूँगा।

सदस्य के सभा भवन छोड़ कर चले जाने के बारे में

RE. WITHDRAWAL OF MEMBER

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मुझे श्री स० मो० बनर्जी के मामले के बारे में कुछ कहना है। वित्त उप मंत्री ने श्री बनर्जी के बारे में कुछ कहा था जिसे बुरा मानते हुए श्री बनर्जी ने कुछ शब्द कहे जिन पर आपने कहा कि अब इसे जाने दीजिये। बाद में जब कुछ सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो आपने उन शब्दों को असंसदीय ठहराया। उस समय श्री बनर्जी ने अपने शब्द वापस ले लिये। इन दो बातों को और विशेषत: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री बनर्जी ने आपके आदेश का पालन किया श्री बनर्जी को सभा में वापस आने की अनुमति दी जाये।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हाँ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): इस बात को महत्व दिया जाना चाहिये कि आपके द्वारा उन शब्दों को असंसदीय ठहराये जाने पर उन्होंने उन्हें वापस ले लिया। आप कृपया उन्हें वापस आने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन शब्दों के कारण श्री बनर्जी को सभा छोड़ कर जाने के लिये नहीं कहा था। श्री बनर्जी मेरे बार-बार मना करने पर भी सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे उसी के कारण मैंने उनसे सभा से जाने को कहा।

श्री कपूर सिंह : उप वित्त मंत्री द्वारा श्री बनर्जी के बारे में कही गई बातों से उत्तेजित होकर सदस्य महोदय ने वे शब्द कहे थे। आप कुछ और नम्रता बरतें और उन्हें आने दें।

श्री त्यागी (देहरादून) : सभा में यह परिपाटी स्थापित कर दी जानी चाहिये कि जब आप किसी सदस्य से अपने स्थान ग्रहण कर लेने के लिये कहें और वह ऐसा न करें तो उन सदस्य महोदय को उस दिन की शेष अवधि के लिये सभा से बाहर चले जाने को कह दिया जाये। प्रतिपक्षी दल कदाचित् मेरी बात से सहमत होंगे।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : श्री बनर्जी आपके आदेशानुसार चले ही गये हैं और कल आ ही रहे हैं तो इस बात पर अब व्यर्थ समय नष्ट करने का क्या लाभ है ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी (केप्पल) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न वाले के दौरान सिंचाई और विद्युत मंत्री ने यह बात झूठी कही थी कि मैसूर ने यह निवेदन नहीं किया कि जल-विवाद का मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये। मैं सभा पटल पर......

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न-काल के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न अब नहीं उठाया जा सकता ।

संसद् सदस्य श्री याज्ञिक के स्वास्थ्य के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. HEALTH OF SHRI YAJNIK, M.P.

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : 26 अगस्त को श्री याज्ञिक ने छाती और सर में दर्द तथा बेचैनी की शिकायत की। जेल के डाक्टरों ने तुरन्त उनकी परीक्षा की। दूसरे दिन उन्हें बड़ौदा के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। उनका इलेक्ट्रो कारडियोग्राम लेने पर यह पाया गया कि वह 'इर्रेगुलर थ्राबिंग आफ हर्ट एण्ड हायपरटेन्शन' से पीड़ित हैं। उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा दी जा रही है और नवीनतम जानकारी यह है कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और चिन्ता की कोई बात नहीं है ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : उन्हें रिहा क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री नन्दा : मुख्य मंत्री से मैंने श्री याज्ञिक की दशा के बारे में अपनी तथा सभा की चिन्ता व्यक्त की है और वह इस पर विचार कर रहे होंगे ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : क्या गृह-कार्य मंत्री ने राज्य को सभा की यह इच्छा बताई है कि सदस्य महोदय को रिहा कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कहा है उसका यही अर्थ है ।

प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य के बारे में
RE. STATEMENT BY DEFENCE MINISTER

अध्यक्ष महोदय : प्रतिरक्षा मंत्री भारत-स्तम्भ सीमा के सम्बन्ध में 4.45 पर एक वक्तव्य देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (दक्षिण-पूर्वी-कलकत्ता) : जो वाद-विवाद पूरा नहीं हुआ है उसके बारे में क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह किसी दिन लिया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस वाद-विवाद का उत्तर देने से पहले ही वह दूसरा वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह उससे अलग है । उस पर वाद-विवाद होगा ।

पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—जारी
PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का भाग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

खण्ड 3

श्री हरि विष्णु कामत : मैं खंड 3 पर संशोधन संख्या 2,3,4,5,6,7,8,9,12 और 13 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह एक महत्वपूर्ण खंड है जिस पर सभा के सदस्य विशेष ध्यान दें। खण्ड 3 के एक परन्तुक में यह कहा गया कि कोई अधिनियम बनाते समय राष्ट्रपति जब भी कभी व्यवहार्य: समझेंगे एक समिति से परामर्श करेंगे। जब कि पंजाब विधानमण्डल का विघटन नहीं हुआ है ऐसे समय हमें इस बारे में अधिक सावधान होना है कि राष्ट्रपति किस प्रकार कार्य करेंगे। यदि इस विधेयक द्वारा ऐसा कोई कार्य होता है जिससे पंजाब के लोगों को चिन्ता हो जाये और उनके हितों की ठीक देखभाल न हो तो यह पंजाब राज्य विधान मण्डल का अपमान होगा। उक्त परन्तुक में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जब चाहें तब समिति से परामर्श न लें। यह बहुत अनुचित है और संविधान में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार दिया जा सके। इसके लिये सदस्यों को मेरा संशोधन संख्या 3 स्वीकार्य होना चाहिये।

संशोधन संख्या 4 इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा मैं यह उपबन्ध कराना चाहता हूँ कि जब कभी पंजाब के लिये कोई कानून बनाया जाये तभी राष्ट्रपति को समिति से परामर्श करना अनिवार्य हो। मैं समझता हूँ कि सभी दलों के कूटनीतिज्ञ मेरी इस बात से सहमत होंगे। यह दो-तीन महीने या अधिक से अधिक छ: महीने के लिये होगा क्योंकि उस समय तक सामान्य निर्वाचन समाप्त हो जायेंगे। पंजाब की स्थिति केरल जैसी नहीं है। पंजाब दिल्ली का पड़ौसी राज्य है और समिति की बैठक बुलाने में राष्ट्रपति को कोई कठिनाई नहीं होगी, जो कि केरल के मामले में हो सकती थी। सचेतक के प्रयत्नों द्वारा मेरे इस संशोधन को स्वीकृत न कराने का प्रयास न किया जाये।

अगला संशोधन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। विधि मंत्री ने एक दिन कहा था कि राज्य विधानमण्डल विघटित नहीं किया गया है, वह अब भी बना हुआ है और राष्ट्रपति के शासन के समान होते ही वह पुनः कार्य करने लगेगा। केवल इतना ही है कि मंत्री नहीं हैं परन्तु विधानमण्डल के सदस्य तो हैं और वे अपना वेतन ले रहे हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि उनके अधिकार तथा कर्तव्य जो थे वह अब भी हैं। इस खण्ड में यह उपबन्ध है कि सलाहकार समिति

में इस सभा के तीस सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे जिसमें पंजाब राज्य के सभी सदस्य शामिल होंगे । इस समिति में पंजाब राज्य के लोकसभा और राज्य-सभा के सभी सदस्य शामिल होने चाहिये यह ठीक ही है । किन्तु विचार इस बात पर करना है कि समिति में राज्य-सभा के 15 और लोक-सभा के 30 सदस्य तो सम्मिलित हैं परन्तु पंजाब विधान परिषद् और पंजाब विधान सभा का एक भी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है । समझ में नहीं आता कि इन दोनों का अस्तित्व होते हुए भी इनका एक भी सदस्य समिति में क्यों नहीं रखा गया । पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है जिसका हमें अधिक ध्यान रखना चाहिये । अपने संशोधन संख्या 13 के द्वारा मैं यह चाहता हूँ कि समिति में राज्य-सभा के 15 और लोक-सभा के 30 सदस्यों के अतिरिक्त पंजाब विधानमण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित 20 सदस्य और पंजाब विधान परिषद् के सभापति द्वारा नामनिर्देशित 10 सदस्य भी सम्मिलित किये जायें जिससे कि पंजाब के लोग भी अपने मामलों में राय दे सकें । संसद पंजाब विधानमण्डल के अस्तित्व की उपेक्षा नहीं कर सकती ।

मेरा अन्य सुझाव यह है कि पंजाब के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी सदन के नेता से तथा विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श लेकर समिति में नाम-निर्देशित किये जायें । केरल समिति के मामले में 1965 में कुछ सक्रिय दलों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था । यह उन दलों के प्रति अन्याय है । इसी प्रकार परिषद् के सभापति भी सदस्यों को इस प्रकार नामनिदशित करें ।

अन्य एक संशोधन इतना महत्वपूर्ण नहीं है—"एक्ट" के स्थान पर "बिल" रखा जाये और मैं उसके लिये जोर नहीं दूंगा ।

दूसरे एक संशोधन में कहा गया है कि खंड 3 (4) में तुरन्त शब्द जोड़ दिया जाये ताकि राष्ट्रपति रूपभेद को तुरन्त कानून लागू करे क्योंकि इसमें प्रायः बिलम्ब होता देखा गया है ।

श्री श्रीनारायण दास : (दरभंगा) इस विधेयक के द्वारा विधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी जा रही है जो कि इस समय संसद के पास है । विधेयक में व्यवस्था है कि विधान बनाते समय राष्ट्रपति जब उन्हें सुविधा हो तब दोनों सदनों के सदस्यों की समिति से परामर्श करें । पंजाब विधानमण्डल का अस्तित्व अब भी मौजूद है उनसे केवल विधान बनाने की शक्ति ही ली गई है । अतः उस समिति में पंजाब के संसद् सदस्यों को रखने के स्थान पर पंजाब के सम्पूर्ण विधानमण्डल के सदस्यों को सम्मिलित किया जाये । और उनसे परामर्श लिया जाये । यह व्यवस्था थोड़े ही दिनों के लिये है अतः यह अर्थ नहीं होगा कि विधानमण्डल के सभी सदस्यों से राय ली जाये जिनका कि इससे निकट सम्बन्ध होगा । केरल की स्थिति दूसरी थी, वहाँ उस समय विधानमण्डल नहीं था । पंजाब में विधानमण्डल का भी अस्तित्व बना हुआ है और उसके सदस्य भी कार्य कर रहे हैं । केवल संसद-सदस्यों की ही राय लेना और विधानमण्डल के सदस्यों की राय न लेना अनुचित होगा ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं श्री कामत द्वारा पेश किये गये तीनों महत्वपूर्ण संशोधनों का समर्थन करता हूँ । उन्होंने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा हर बार समिति

से परामर्श लेना कोई अव्यवहारिक बात नहीं होगी। उन्होंने यह भी ठीक ही कहा है कि जिस सिद्धान्त पर लोक सभा और राज्य-सभा के सदस्य समिति में सम्मिलित किये जा रहे हैं उसी के आधार पर पंजाब राज्य विधान परिषद् तथा विधानमण्डल के सदस्यों को समिति में सम्मिलित करना औचित्यपूर्ण ही होगा। उन्हें न शामिल करने का कोई उचित आधार नहीं है। यह भी ठीक ही है कि खंड 3 (4) में यथास्थान 'तुरन्त' शब्द जोड़ दिया जाये जिससे विलम्ब न हुआ करे।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : उद्देश्यों तथा कारनों के विवरण में कहा गया है कि राष्ट्रपति की दिनांक 5 जुलाई, 1966 की उद्घोषणा के अन्तर्गत पंजाब राज्य विधानमण्डल की शक्तियों का प्रयोग इस समय संसद् कर सकती है। हम जानते हैं कि संसद् के पास विधान कार्य व विशेषाधिकार कार्य आदि बहुत है अतएव यह वांछनीय होगा कि अनुच्छेद 357 के अन्तर्गत यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त कर दी जाये।

हमें प्रसन्नता है कि पंजाबी-भाषी लोगों की अभिलाषा पूर्ण हो रही है। परन्तु इससे लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा और रुकावट नहीं आनी चाहिये। इसलिये मैं श्री कामत के संसोधन संख्या 13 का समर्थन करता हूँ राज्य विधानमण्डल भाषी विघटित नहीं हुआ है और लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। सलाहकार समिति में विधान परिषद के 10 और विधान-सभा के 20 सदस्य तथा विरोधी दलों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये जाने चाहिये, जैसा कि श्री कामत ने कहा है इसी प्रकार हम लोकतंत्र के उपहास से बच सकते हैं और यह एक अच्छी सरकार के सिद्धान्तों के अनुरूप भी होगा। पंजाब के लिये विधान बनाने से पहिले वहां के संसद सदस्यों के अतिरिक्त विधानमण्डल के सदस्यों से परामर्श करना उचित होगा। साथ ही विरोधी दलों से परामर्श लेने से जनता के अधिकतर निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छा व्यक्त हो सकेगी।

श्री शिंकरे (मारमागोआ) : यद्यपि श्री कामत का यह संशोधन लोकतंत्रात्मक और उचित है कि इस समिति में विधानमण्डल के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाये, परन्तु मैं इसका समर्थन नहीं करता। चाहे गृह-कार्य मंत्री इसे स्वीकार कर लें परन्तु मैं समझता हूँ कि यह संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा जब राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ इस संसद को दी गई हैं तो केवल यह संसद ही राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है। इस संसद के सदस्य के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाना उचित नहीं होगा।

उस राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी है। राज्य विधानमण्डल के सदस्य उस प्रतिनिधि को परामर्श दे सकते हैं और राष्ट्रपति उससे उसे प्राप्त कर सकते हैं। संसद सदस्यों और विधान मण्डल के सदस्यों को एक समिति में मिलनात उचित नहीं होगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : गृहकार्य मंत्री श्री शिंकरे जो कुछ कहा है उसके बाद मेरे पास कहने के लिये बहुत थोड़ी ही बात रही है। श्री चटर्जी ने कहा है राज्य विधान मण्डल की शक्तियाँ हमने राष्ट्रपति को प्रदत्त की हैं और राष्ट्रपति को उन्हें प्रत्यायोजित करने का अधिकार है। इस समिति को कोई प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो रहीं है। यह तो एक सलाहकार

समिति है जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। इस कानून द्वारा विधानमण्डल की शक्तियों को राष्ट्रपति को प्रदत्त करके हम फिर उस संस्था को क्यों पुनरज्जीवित करें और उन्हें कुछ कार्य सौंपें ?

श्री नि० चं० चटर्जी : हम तो केवल यह कह रहे हैं कि अनुच्छेद 357 के अनुसार इन शक्तियों को देकर इस शर्त का पालन किया जाय कि विधानमण्डल के सदस्यों से परामर्श लिया जायेगा। यदि विधानमण्डल विघटित हो गया होता तब तो उनकी आपत्ति ठीक थी।

श्री नन्दा : ऐसा केवल तब ही किया जा सकता जब कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को किसी अधिकारी अथवा संस्था को प्रत्यायोजित करें, तभी कुछ शर्तें रखी जाती हैं। यहाँ तो विधानमण्डल से उसके कृत्य ले लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त विधानमण्डल के सदस्यों को पुन: किसी रूप में लाना यहाँ असंगत होगा क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं है और दूसरे इस पर गम्भीर आपत्ति भी होगी। संसद् राष्ट्रपति को ये शक्तियों दे रही है और राष्ट्रपति को संसद् द्वारा ही सलाह दी जानी है। इसके लिये संसद से कुछ सदस्य रखे जा रहे हैं जिनमें उस राज्य के सभी संसद् सदस्य होंगे। इस प्रकार राज्य का दृष्टिकोण भी उनके माध्यम से मालूम होता रहेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस अनुच्छेद में संसदीय समिति और विधानमण्डल आदि का उल्लेख नहीं है। उसमें तो यह कहा गया है कि संसद् अपनी शक्तियों को प्रदत्त करेगी और इसके लिये कुछ शर्तें रखेंगी। हम ये शर्तें रखते हैं कि प्रथमत: संसद् की दोनों सभाओं के सदस्यों को समिति में रखा जाय और दूसरे पंजाब विधानमण्डल के सदस्यों को भी समिति में रखा जाये। इन शक्तियों के उपयोग के लिये शर्तें निर्धारित करना तो हमारा काम है।

श्री नन्दा : यह उप-खंड उनकी बात का समर्थन नहीं करता। राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान करने और उन्हें अधिकार देने के बाद तो शेष कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है। दूसरी आपत्ति सदस्य महोदय ने की है कि "जब कभी वह ऐसा करना व्यवहार्य समझें" शब्द क्यों रखे गये हैं। यह तो एक कानूनी शब्दावलि है जो परम्परा से रखी जाती है। किसी अविलम्बनीय अथवा आकस्मिक स्थिति के लिये कुछ पूर्वोपाय किये जाते हैं। हो सकता है कि इस प्रकार की स्थिति न आये परन्तु ऐसी व्यवस्था की ही जाती है। किसी समय ऐसा हो सकता है कि समिति की बैठक बुलाना सम्भव न हो सके क्योंकि सदस्यों को नोटिस आदि भेजने के लिये कुछ समय तो चाहिये ही। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये शब्द रखे गये हैं। मैं उनका सुझाव स्वीकार करने में असमर्थ हूँ ।

हमने अध्यक्ष महोदय तथा सभापति महोदय को बहुत से अधिकार दिये हुए है। इसलिए उन्हें यह अधिकार देना सरल कार्य है तथा इससे वे अपना कार्य व्यापकता तथा क्रियाकारी रूप से कर सकेंगे। कोई कारण नहीं कि इस पर इतना विश्वास भी नहीं किया जाये।

अपने संशोधन संख्या 7 से वह "तुरन्त" शब्द जोड़ना चाहते हैं। इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : अपने संशोधन संख्या 9 के द्वारा मैं शब्द "सद्भावना से"

जोड़ना चाहता हूँ। ऐसा करने के बाद यह "कोई कार्यवाही जो सद्भाव रूप से की गई" बन जायगा न कि कोई कार्यवाही की गई"।

श्री नन्दा : प्रश्न यहाँ व्यक्तियों का नहीं है। यह कानून संशोधन के कारण अवैध नहीं बनना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है : पृष्ठ 2, पंक्ति 10, —

"जब भी वह ऐसा करना व्यावहारिक समझें" शब्द हटा दिये जायें। (3)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided

पक्ष में 18, **विपक्ष में** 72

Ayes 18; Noes 72

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion Was Negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 13 मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूँ। प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ 2, पंक्ति संख्या 19 के पश्चात निम्नलिखित रखा जाय :

"(ग) पंजाब विधान सभा के बीस सदस्य जिन्हें इस सदन के अध्यक्ष महोदय मनोनीत करें ; और

(घ) पंजाब विधान परिषद् के दस सदस्य जिन्हें उस सदन के सभापति मनोनीत करें। (13)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided

पक्ष में 18, **विपक्ष में** 71

Ayes 18, Noes 71

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion Was Negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य महोदय बाकी संशोधनों को भी मतविभाजन के लिये रखना चाहते हैं।

हरि विष्णु कामत : जी नहीं।

संशोधन, संख्या 2,4,5,6,7,8,9,12 और 10 सभा की अनुमति से वापस लिये गये

Amendments Nos. 2,4,5,6,7,8,9, 12 and 10 were, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 3, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion Was Adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3 Was Added to the Bill.

खण्ड 1,—(संक्षिप्त नाम)

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 11 प्रस्तुत करता हूँ।

आप देखेंगे कि यहां लगाने के लिये 'सौंपना' शब्द नहीं है। खण्ड (1) में लिखा है "यह अधिनियम पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का सौंपना) अधिनियम 1966, कहा जाये।"

मेरी समझ में नहीं आता कि विधेयक बनाने वालों ने संविधान के शब्दों को बदलने का प्रयास किया है। विधेयकों द्वारा संविधान के शब्दों को नहीं बदलना चाहिए।

शब्द "प्रदान तथा सौपना" में काफी अन्तर है। ऐसे मामलों में हमें शब्दकोष को ही मान्यता देनी चाहिए न कि मतों के द्वारा इनका निर्णय करें। इस मामले में आप संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उप खण्ड (क) को देखें। उसमें शब्द "प्रदान" तथा "सौंपना" में भेद किया गया है।

संसद राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान करती है तथा राष्ट्रपति उन्हें किसी दूसरे को सौंपता है इसलिए हमें शब्दों का ठीक प्रकार उपयोग करना चाहिये।

दूसरा तर्क इस सम्बन्ध में यह है कि संविधान के अनुच्छेद 357 में तो शब्द "प्रदान" का प्रयोग किया है। हम उसके स्थान पर हलका शब्द क्यों प्रयोग करें ? मेरे विचार में "सौंपना" एक हलका शब्द है। सम्बिधान के अनुसार संसद सर्वोच्च है।

इसके अतिरिक्त एक और तर्क भी है। "सौंपने" का परोक्ष अर्थ है कि वह शक्तियां वापिस भी ली जा सकती हैं परन्तु "प्रदान" के मामले में ऐसा करना कठिन होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन मामलों में मतदान की वजाय शब्दकोष का लिखा अधिक मानना चाहिये।

श्री नन्दा : मैं सदस्य महोदय की शब्दों के बारे में शुद्धि की प्रशंसा करता हूँ। परन्तु यह शब्द पहले भी एक के बाद दूसरे प्रयोग किये गये थे और किसी ने आपत्ति नहीं उठाई थी। यह शब्द प्रयोग करके एक सामान्य शब्द प्रयोग किया गया है।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): आप शब्द "प्रदान" तथा "सौंपने" का एक ही अर्थ नहीं लगा सकते। "प्रदान" करने का अर्थ यह है कि उस शक्ति का स्रोत प्रदान करने वाला व्यक्ति स्वयं है। परन्तु "सौंपने" का अर्थ यह है कि वह शक्ति उस व्यक्ति को किसी और से प्राप्त हुई है। वह उसका स्रोत नहीं है। इसलिए इन्हें एक ही स्थान पर प्रयोग करना खतरनाक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कामत के संशोधन संख्या 11 को मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 तथा 4 में—'सौंपना' शब्द के स्थान पर 'प्रदान' शब्द रखा जाये। (11)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 16; विपक्ष में 52

Ayes 16; Noes 52

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion Was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामत के संशोधन संख्या 1 के बारे में क्या विचार है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस पर मत विभाजन के लिए आग्रह नहीं करता।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापिस लिया जाना।

Amendment No. 1, was by leve. withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion Was Adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 Was Added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the tilie were added to the Bill.

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक

DELHI HIGH COURT BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी): **उपाध्यक्ष महोदय** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तारण तथा तत्संसक्त

विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।''

जैसा कि सदन को पता है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था । वहां उसके कुछ सम्वैधानिक विषयों पर चर्चा हुई । मैं विशेष रूप से श्री कामत तथा श्री त्रिवेदी का आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें महत्व पूर्ण योग दान दिया ।

मैं संक्षिप्त रूप से उन चार परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा जो प्रवर समिति ने मूल विधेयक में किये । एक तो यह कि अनुच्छेद 217 से "राज्य का राज्यपाल" शब्द हटा दिया गया क्योंकि संघराज्य क्षेत्र दिल्ली में कोई राज्यपाल नहीं है । इसलिए उससे कोई परामर्श नहीं लिया जा सकता । यह नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करेंगे । साथ ही यह भी पहली बार दिल्ली का कोई उच्च न्यायाधीश भी नहीं होगा । इसलिये उससे भी कोई परामर्श नहीं लिया जा सकता । हां, उसके बाद की नियुक्तियां अवश्य न्यायाधीश के परामर्श से होंगी ।

दूसरा परिवर्तन खण्ड 16 में है । मूल विधेयक में यह था कि 25,000 रुपए की राशि से अधिक के मुकदमे उच्च न्यायालय में निबटाये जायेंगे परन्तु जो मुकदमे इस समय छोटे न्यायालयों में पड़े हैं, इन्हें वहीं निबटायें । श्री त्रिवेदी के सुझाव पर अब यह मान लिया गया है कि 25,000 रुपये से अधिक राशि के मुकदमे यदि किसी नियत न्यायालय में विचाराधीन हों तो वे भी उच्च न्यायालय को हस्तान्तित समझे जायें । यह परिवर्तन ठीक ही है ।

एक और महत्व पूर्ण परिवर्तन जो प्रवर समिति ने किया वह यह है कि इस खण्ड के अन्तर्गत जो आदेश पास होंगे वह संसद् दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखे जायेंगे तथा संसद् उनमें परिवर्तन कर सकती है ।

यह चार महत्व पूर्ण परिवर्तन थे जो प्रवर समिति ने किये । बाकी खण्डों में प्रवर समिति ने कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

विमति टिप्पणी में कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि क्या दो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही सांझा उच्च न्यायालय हो सकता है । बात यह है कि यह एक सांझा न्यायालय नहीं है बल्कि यह तो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित की है तथा खण्ड 17 के अन्तर्गत उसके क्षेत्राधिकार का विस्तारण हिमाचल प्रदेश तक कर रहे हैं । इसकी अनुमति है । श्री कपूर सिंह ने भी यही प्रश्न उठाया था ।

विमति टिप्पण में यह कहा गया है कि हरियाणे तथा दिल्ली के लिए सांझा उच्च न्यायालय हो या फिर दिल्ली के लिए हो और इसका क्षेत्राधिकार हरियाणा तक विस्तारण किया जाये परन्तु ऐसा नहीं हो सकता कि एक संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक राज्य पर विस्तारण किया जाये । हाँ इसके उलट तो हो सकता है कि एक राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक संघ राज्य क्षेत्र पर लागू किया जाये ।

यह कहना कि हरियाणे के लिए उच्च न्यायालय हो और दिल्दी पर उसका क्षेत्राधिकार विस्तारण किया जाये । परन्तु यह भी ठीक नहीं क्योंकि दिल्ली में इतने मुकदमे हैं कि वह किसी

अन्य राज्य के उच्च न्यायालय से निबटाये जाने में देर होगी। दिल्ली के लिए अलग उच्च न्यायालय होना चाहिये।

यह भी तर्क दिया गया है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में एक न्यायिक आयुक्त है। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय का एक बैंच होगा और वहां के लोगों को यहां आने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने इस बारे में उच्च आयुक्त से भी परामर्श कर लिया है।

इसलिए मैं सिफारिश करता हूँ कि इस विधेयक को, जैसा कि प्रवर समिति से प्रतिवेदित रूप, में पास किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय . प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस पर कुछ संशोधन प्राप्त हुए हैं।

Shri Bade (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, I was a member of the Select Committee. Shri N.C. Chatterjee can be called the father of this Bill.

There is necessity for a High Court at Delhi as people have to rush to Chandigarh for filing a writ. There are so many cases pending in the Delhi Courts. The appeals to them should also be filed here. The decision to form a High Court at Delhi and to transfer all the pending cases to that court which can be so done, is good. Even if an additional judge was to be appointed to dispose of these cases he may be appointed.

I fully support this Bill.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : क्या दिल्ली को एक उच्च न्यायालय की वास्तव में आवश्यकता है ? मेरा उत्तर यह है कि हां, है। दिल्ली को एक उच्च न्यायालय की आवश्यकता है। मेरा सम्बन्ध दिल्ली बार, उच्च न्यायालय बार अर्थात शाखा न्यायालय बार तथा जिला कोर्ट बार तथा भारतीय बार संस्था से है।

एक बार मैं दिल्ली की शाखा न्यायालय में एक मुकदमा पेश कर रहा था जिसमें श्री सीतलवाद भी थे और वहां एक नक्शा दिखाया गया तो कमरा छोटा होने के कारण न्यायाधीश के मुंह पर लगा। खैर अब तो उस भवन को बदल दिया गया है।

दिल्ली की जन संख्या 5 लाख से बढ़ कर 35 लाख हो गई है और यह नगर बढ़ता ही जा रहा है। इस समय यहां दो डिवीजन बैंच हैं तथा एक और न्यायाधीश है। क्या ऐसी परिस्थिति में ठीक तथा शीघ्र न्याय की आशा कर सकते हो ? मैं उस बैंच पर कोई आरोप नहीं लगा रहा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं। परन्तु हमें एक महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय यहाँ स्थापित करनी चाहिए तथा उसे मजबूत किया जाना चाहिए। एक छोटा न्यायालय सदा कमजोर न्यायालय होता है।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस न्यायालय में पंजाब बार तथा पंजाब ज्यूडिशियरी के काफी लोग नियुक्त किये जायेंगे। पंजाब से मेरा तात्पर्य दिल्ली तथा हरियाणे से भी है।

आज भिन्न भिन्न न्यायालयों में बहुत से मुकदमें विचाराधीन हैं। मुझसे किसी ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 50,000 अपील विचाराधीन हैं। इन्हें रोका जाये तथा कम किया जाये। यह तभी हो सकता है जब मुकदमेबाज के न्यायालय नजदीक हो।

यदि हरियाणे के लिए उच्च न्यायालय हो तो उसका विस्तारण आप संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर कर सकते हैं परन्तु यह नहीं हो सकता कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के न्यायालय का विस्तारण हरियाणे के लिए कर सकें।

यदि हरियाना के लोग दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आना पसन्द करें तो सम्बिधान में थोड़ा सा संशोधन करना जरूरी होगा और यदि लोक हित में ऐसा करना जरूरी हो तो, इसके लिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह राव तथा श्री कपूर सिंह ने कुछ गम्भीर एवं विचारणीय प्रश्न उठाये हैं। अतः गृह-कार्य मन्त्री सभा को यह आश्वासन दे दिया है कि उन्होंने इस मामले पर विधि सम्बन्धी मन्त्रणा ले ली है और वह इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं कि प्रस्तुत विधेयक के सभी उपबन्ध, यदि उन्हें चुनौती दी गई तो, पूर्णतः संसद की शक्ति के अन्तर्गत हैं और हर प्रकार सम्बिधान के अनुरूप हैं।

जहां तक सर्किट न्यायालय प्रक्रिया का सम्बन्ध है, सर्किट उच्च न्यायालय पूर्णतः असम्भव है क्योंकि ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीश अस्थायीरूप से नियुक्त होते हैं जिनको बीच में स्थानान्तरित भी किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मामले आधे सुनवाई के बाद काफी समय तक अनिर्णित पड़े रहते हैं।

इसलिए मैं केवल यह चाहता हूँ कि इसे कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद तथा मद्रास जैसे उच्च न्यायालयों के समान दर्जा दिया जाना चाहिए जिसके लिए, यदि आवश्यकता हुई तो सम्बिधान में भी संशोधन किया जाना चाहिए और इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रोहतक, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ आदि जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लिए एक उच्च न्यायालय की काफी लम्बे समय से आवश्यकता थी और मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ।

केवल इमारत से ही अच्छा उच्च न्यायालय नहीं बन जाता। उसके लिए सूक्ष्म तथा कार्य कुशल न्यायाधीशों का होना अत्यावश्यक है। यह दुःख की बात है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां गलत की गई हैं। वास्तव में गृह-कार्य मन्त्री को किसी व्यक्ति के बारे में समुचित जानकारी नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में जानकारी तो स्थानीय वकीलों को रहती है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त तथा सूक्ष्म है। गृह-कार्य मन्त्री का न्यायाधीश का नियुक्ति के बारे में केवल मुख्य न्यायाधीश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस बारे में वकीलों को परामर्श किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव तो यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व गृह-कार्य मन्त्री को सम्बन्धित राज्य के वकील संसद-सदस्यों से मामले में परामर्श करना चाहिए। इस माध्यम से किसी भी प्रस्तावित व्यक्ति के बारे में, अच्छी तरह जानकारी प्राप्त हो सकती है।

दिल्ली में नियुक्ति किये जाने वाले न्यायाधीशों का सूक्ष्म तथा कार्य कुशल होना बहुत जरूरी है। वे ऐसे ख्याति प्राप्त तथा इमानदार व्यक्ति होने चाहिए जो अपने आप को बहुत अच्छे वकील सिद्ध कर चुके हों।

मुझे अनिर्णित-मुकदमों के बारे में भी एक निवेदन करना है। न्यायालयों में अनिर्णित

मुकदमे इतने पड़े हैं कि यदि नये मुकदमे न लेकर केवल उन्हीं को निपटाया जाये, तो भी वर्षों लग जायेंगे। यह एक बहुत गम्भीर स्थिति है और अब इस स्थिति में आपेक्षित सुधार करना परमावश्यक है क्योंकि न्याय में देर करना न्याय न करने के बराबर है।

सरकार के लिए यह कठिन नहीं था कि वह पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लेगी और बाद में फिर अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करती। सरकार को इस उपबन्ध के प्रति संवैधानिक स्थिति के बारे में सन्तुष्टि कर लेनी चाहिए क्योंकि एक ऐसा तर्क उठाया जा सकता है कि सम्बिधान के अनुच्छेद 368 को अनुच्छेद 241 के द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जाता। अतः विधेयक में इसके लिए एक उपबन्ध रखा जा सकता है ताकि इसको भविष्य में चुनौती न दी जा सके।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना करना बहुत उचित है। इस नये उच्च न्यायालय की स्थापना के परिणाम स्वरूप समूचा हिमाचल प्रदेश इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। पंजाब के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए फिलहाल प्रस्तुत विधेयक पर विचार स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इस मामले में ही विलम्ब हो चुका है और इसे कुछ एक महीनों तक बिना किसी कठिनाई के स्थगित रखा जा सकता है।

हरियाना के कुछ जिले चंडीगढ़ की अपेक्षा दिल्ली के अधिक समीप है, जन साधारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन जिलों को इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में सम्बिधान में भी संशोधन किया जा सकता है। इन तीन नये राज्यों यथा पंजाबी, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश के निर्माण के पश्चात् इन राज्यों के लोगों के मुकदमे को जल्दी से निपटाने के लिए अपेक्षित व्यवस्था आदि के बारे में फिर से विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के लिए इस उच्च न्यायालय की स्थापना इन नये राज्यों के निर्माण को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। अतः हमें दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिये।

श्री हेमराज (कागड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली शहर को वाणिज्यिक महत्व को दृष्टि में रख कर इस बात से सभी सहमत होंगे कि दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का होना वांछनीय है। मैं समझता हूँ कि आम चुनावों के बाद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की विधान सभाओं से इस आशय की राय लेना वांछनीय होगा कि क्या वे दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आना पसन्द करेंगे क्योंकि दिल्ली से सटे हुए इन क्षेत्रों की जनता के लिए प्रस्तावित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आना सुविधाजनक रहेगा। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में, जो दिल्ली से 400-500 मील दूर रहने वालों के लिए 3,500 रुपये की सीमा वाले मामलों में इतनी दूरी तय करके दिल्ली में आकर मुकदमा दायर करना असुविधाजनक रहेगा। इसीलिए मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत विधेयक को उसी रूप में जिसमें वह प्रवर समिति से प्राप्त हुआ है, जनमत जानने के लिए फिर से परिचालित किया जाना चाहिए ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों की जनता अपनी सुविधा के बारे में राय प्रकट कर सके। प्रस्तुत विधेयक को जल्दी में पारित करना उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : प्रस्तुत विधेयक में तीन बड़ी तथा स्पष्ट त्रुटियां हैं। उनमें से पहली इसविधेयक की संवैधानिकता के सम्बन्ध में है। इसकी शक्ति के बारे में बड़ी ही शंकाएं हैं जिनका समाधान किए बिना विधेयक पर जल्दीबाजी में आगे विचार करना अनुचित है।

प्रस्तुत विधेयक का दूसरा दोष यह है कि इसके बारे में गलत धारणा है। दिल्ली में भारी संख्या में अपीलों का अनिर्णित पड़े होने का अर्थ यह नहीं है कि दिल्ली के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाये। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी जाये और सर्किट बेंच को लगभग स्थायी रूप से ही दिल्ली में रखा जाये।

तीसरी तथा आखिरी बात यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य कुछ और ही है। इस समय जब कि पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन संसद के समक्ष है, तो इस विधेयक पर आगे विचार करने की इतनी जल्दी क्या है। इसलिये मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ राजनैतिक कारण हैं। अतः मैं प्रस्तुत विधेयक का पूर्णतः विरोध करता हूँ।

श्री शिकरे (मरमागोवा) : चूंकि प्रस्तुत विधेयक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना है और सभी ने विशेष कर वकीलों ने दिल्ली के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। इसलिए विधेयक पर चर्चा को स्थगित करने का कोई औपचित्य महसूस नहीं होता।

मन्त्री महोदय ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि खण्ड 17 (एक) का उद्देश्य यह है कि जब कभी सरकार आवश्यक समझे, दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तृत करके हिमाचल प्रदेश पर लागू किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नये राज्यों के निर्माण होने तक इसे स्थगित किया जा सकता है और पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस आशय की राय प्रकट करने का अवसर दिया जा सकता है कि वे कौन-सा उच्च न्यायालय चाहते हैं। केवल उसके पश्चात ही इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के प्रश्न पर निर्णय किया जा सकता है। इसलिये प्रस्तुत विधेयक पर आगे विचार को स्थगित करने में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

Shri Radhey Lal Vyas (Ujjain). Mr. Deputy Speaker, Sir, so far as the establishment, of a separate High Court for Delhi is concerned, I feel that almost all the hon. Members with the exception of one or two hon.Members, have supported this Bill and expressed the opinion that Delhi requires badly a separate High Court. It is necessary as embodied in the Constitution to provide speedy and inexpensive and cheap justice to the litigation. The Bill will serve this purpose.

It has been emphasised that there has been much delay in the disposal of cases and there are a number of pending cases not in the High Courts only but in lower courts also. The Government should pay adequate and serious attention to this situation and make necessary arrangements to see that there is a quick disposal of cases.

So far as Article 227 is concerned the duty of the High Courts to exercise superintendence over lower courts is not being properly performed. Hence the Government should pay adepuate attention to this matter.

The expenditure incurred on the preparation of paper books should be borne by the Government and not by the litigants, who are already hard pressed.

With these words I support the bill.

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : यह कहा गया है कि प्रस्तुत विधेयक द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को आवश्यकता पड़ने पर, बढ़ा कर हिमाचल प्रदेश पर लागू किया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का होना जरूरी है और उसके पश्चात ही उसके क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठेगा। यह विधेयक जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसको देखते हुए उस पर आगे विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें दो संघ-क्षेत्रों के बीच एक ही उच्च न्यायालय का प्रस्ताव है।

हरियाना, जो दिल्ली के बिलकुल निकट है, और दिल्ली के लिए एक ही उच्च न्यायालय होना चाहिये। हरियाना के लोगों को चंडीगढ़ स्थित उच्च न्यायालय से सम्बद्ध करने में कोई औचित्य अथवा तर्क नहीं है, अतः इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हरियाना तक, जो दिल्ली से 15 से 80 मील तक की दूरी पर है बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे आम जनता को बिना कठिनाई के कम खर्च पर न्याय सुलभ हो सके।

श्री हाथी : माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्न विचारणीय हैं। इस बात पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की है कि दिल्ली के लिये एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना करना जरूरी है। विवाद केवल इसी बात पर है कि क्या प्रस्तुत विधेयक के उपबन्धों के अधीन यह उचित होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश पर भी लागू किया जाये। हम आज दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश पर लागू नहीं कर रहे हैं। खण्ड 17 के अनुसार ऐसा उन दिन से किया जायेगा जो इसके बाद निर्धारित किया जायेगा। पहले तो हम दिल्ली में एक उच्च न्यायालय स्थापित कर रहे हैं।

यह बात उठाई गई थी कि दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर हरियाना पर क्यों लागू नहीं किया जा सकता। संविधान के अन्तर्गत, संघ क्षेत्र के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर किसी राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता। अतः यह नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि हरियाना के लिये उच्च न्यायालय हो और उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा कर दिल्ली पर लागू किया जाये। इससे जो स्थिति आज है उसमें कोई भी सुधार नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में एक न्यायिक आयुक्त है और अब इसका दर्जा बढ़ाकर वहां एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जा रहा है तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिल्ली आने की कठिनाइयों को दूर करने के लिये हिमाचल प्रदेश में ही एक स्थायी सर्किट बेंच स्थापित की जायेगी।

हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। हम वहां एक शाखा न्यायालय रखेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी बात की है और वह इस प्रबन्ध के लिये तैयार हैं।

दिल्ली के लिये भी एक उच्च न्यायालय की आवश्यकता है। कानूनी तौर पर इस बात की अनुमति नहीं है कि दो संघ-राज्य क्षेत्र तथा एक राज्य के लिये एक सांझा उच्च न्यायालय हो। दो संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भी एक सांझा उच्च न्यायालय संभव नहीं है।

यह करना भी वांछनीय नहीं है कि हरियाणे की एक उच्च न्यायालय हो और उसके क्षेत्राधिकार दिल्ली विस्तारण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर का दिया जाये। दिल्ली के लिये एक अलग उच्च न्यायालय की मांग को सब ने स्वीकार कर लिया है।

कुछ सदस्यों ने मुकदमों के निबटान में देरी तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रश्न किये हैं। परन्तु यह सामान्य रूप के प्रश्न हैं। न्यायाधीशों के चुनाव में हमें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये चाहे वह कहीं से भी लाने पड़ें। एक निष्पक्ष न्याय पालिका ही हमारे समाज की आधार है। दिल्ली की उच्च न्यायालय एक नमूने की उच्च न्यायालय होनी चाहिये तथा उसमें जनता का विश्वास होना चाहिये।

हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तारण करना अच्छा है। बाद में वहां एक शाखा न्यायालय स्थापित कर दिया जायेगा। हरियाणे के बारे में यह करना कानूनी तौर पर ठीक नहीं होगा कि उसका एक भाग तो दिल्ली उच्च न्यायालय के आधीन हो तथा दूसरा चंडीगढ़ के आधीन। साथ ही एक संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के आधीन एक राज्य का उच्च न्यायालय नहीं हो सकता इस लिये वर्तमान परिस्थिति में सोचा गया समाधान ठीक है। मैं सदन से सिफारिश करूंगा कि इसे स्वीकार कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के राज्य क्षेत्र संघ के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तरण तथा सत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवट समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खण्ड वार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 पर श्री श्रीनारायण दास का एक संशोधन है परन्तु वह यहां हैं नहीं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion Was Adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 से 16 तक विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion Was Adopted.

खण्ड 6 से 16 तक विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 6 to 16 were added to the Bill.

खण्ड 17 (दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तारण करना)

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा कहना यह है कि हिमाचल प्रदेश में अब 11,000 वर्ग मील का क्षेत्र तथा 15 लाख लोग पंजाब से मिला दिये गये है । कोई निर्णय करने से पूर्व उनकी इच्छाओं का पता लगाना चाहिये तथा उन क्षेत्रों के बार संस्थाओं का भी विचार जान लेना चाहिये विशेष का शिमला, धर्मशाला और डलहौजी की बार संस्थाओं का मेरे संशोधन का यही तात्पर्य है कि सामान्य चुनाव के बाद वहां के प्रतिनिधियों का मत जान लेना चाहिये ।

श्री हाथी : एक उच्च न्यायालय होने से हिमाचल प्रदेश के लोगों को लाभ ही होगा । जो विधान सभा अभी बनी भी नहीं है उससे परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 3 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion Was Adopted.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18 :—(निर्माण का नियम)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर श्री हेमराज का एक संशोधन है। क्या वह इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री हेमराज : जी हां। मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्ताव करता हूं।

श्री हाथी : मैंने इसे अस्वीकार करने के कारण पहले ही बता दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 4 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 19 and 20 were added to the Bill.

खण्ड 21—(कानूनों को अनुकूल बनाने की शक्ति)

श्री हेमराज : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हाथी : मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 21 was added to the Bill.

अनुसूची

श्री हेमराज : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हाथी : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 6 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion Was Adopted.

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

The schedule was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion Was Adopted.

लोक प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : महोदय, मैं सभा अथवा सभापति की अनुमति से अपने नाम पर पहले से रखे गये प्रस्ताव के स्थान पर दूसरा प्रस्ताव रखना चाहता हूँ।

पहले प्रस्ताव के स्थानपर दूसरे प्रस्ताव की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि कुछ माननीय सदस्य समिति को बढ़ाना चाहते थे तथा इस सभा के कुछ सदस्यों को उस समिति में रखना चाहते थे ।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 36 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 24 सदस्य, अर्थात श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री भागवत झा आजाद, श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी, श्री होमी दाजी, श्री नारायण दांडेकर, श्री श्रीनारायण दास, श्री अ० क० गोपालन, श्री हरि विष्णु कामत, श्री कर्णी सिंह जी, श्री मधु लिमये श्री घनश्यामलाल ओझा, श्री विश्वनाथ पाण्डेय, श्री चे० रा० पट्टाभि-

रामन, चौधरीराम सेवक, श्री शिवराम रंगो राने, श्री एच० सी० लिंग रेड्डी श्रीमती यशोदा रेड्डी, श्री श्यामलाल सर्राफ, श्री सेझियान, श्री तयप्पा हरि सोनावने, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री तुलाराम, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, और श्री राधे लाल व्यास और राज्य-सभा के 12 सदस्य हों।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 12 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। गत 10 वर्ष से सदन में यह प्रथा रही है कि जब भी कोई प्रवर अथवा संयुक्त समिति गठित होती है तो एक सचेतक सारे दलों को उसके बारे में सुचित कर देता है। परन्तु इस बार ऐसा नहीं किया गया मुझे स्वयं तब बताया गया मेरा नाम कार्य सूची पर लिखा जा चुका था और उस समय मेरे लिए "नहीं" कहना भी कठिन था। अब जो होना था वह तो हो चुका परन्तु मैं आशा करता हूँ कि सत्तारूढ़ दल आगे इस मामले में चौकस होगा।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीजगन्नाथ राव): मुझे 21 तारीख को बताया गया कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके अनुसार प्रस्ताव के साथ ही सदस्यों के नाम भी देने होंगे। मैं श्री रंगा, श्री मधु लिमये और शायद श्री चटर्जी से ही मिल सका। मैंने श्री कामत से भी राय बात करनी चाही परन्तु वह मिल न सके। मैंने उनके नेता श्री द्विवेदी से बात की और उन्होंने कहा कि श्री कामत की नियुक्ति उस समिति में अधिक लाभकारी होगी। मेरे ऐसा करने में श्री कामत तथा किसी दल के प्रति कोई अनादर करना नहीं था। यह तो केवल परिस्थिति के ही कारण ऐसा हो गया।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए।**
SHRI. SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : श्रीमान् जी, सभा को ज्ञात होगा कि चुनाव आयोग ने तीसरे सामान चुनाव के बारे में अपना प्रतिवेदन दिया और उसके बाद कुछ सिफारिशें भी दीं। वह सिफारिशें चुनाव आयोग की रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं।

सरकार ने चार मामलों में उन सिफारिशों को नहीं माना है। पहला मामला तो चुनाव खर्च के बारे में है। इसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की राय हैं। कुछ तो कहते हैं कि खर्च की राशि कम की जानी चाहिये दूसरे कहते हैं कि यह उपबन्ध ही समाप्त किया जाये। सरकार ने निर्णय किया है कि वर्तमान पद्धति का थोड़े समय और परीक्षण करना चाहिये और उसके बाद ही उसमें परिवर्तन करना चाहिये।

दूसरी सिफारिश का सम्बन्ध जमानत की राशि बढ़ाने से है। आयोग ने सिफारिश की थी कि संसद के चुनाव के लिए जमानत की राशि 1500 रु० तथा विधान सभा के चुनाव के लिए 750 रुपया होनी चाहिये। सरकार के विचार में इस राशि को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है तथा प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने का अवसर देना चाहिये। इसलिये इस सिफारिश को भी नहीं माना गया।

एक और सिफारिश का सम्बन्ध अधिक व्यक्तियों के चुनाव में खड़े होने को रोकने से था। लोकतन्त्र में यह कहना कि इतने व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकते, इससे अधिक नहीं, निरर्थक प्रतीत होता है। इसलिये कोई संख्या निर्धारित नहीं करनी है।

अन्त में जो सिफारिश सरकार ने नहीं मानी है, वह यह थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने वालों से जमानत जमा करवाई जाये। सरकार ने इस सिफारिश को इसलिये नहीं माना है क्योंकि इस स्थान के लिए चुनाव लड़ने वालों की संख्या बहुत नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। इसलिये इस सिफारिश को भी नहीं स्वीकार किया गया।

अब मैं संक्षेप में वह कारण दूंगा जिनकी वजह से 1951 के अधिनियम का वर्तमान विधेयक द्वारा संशोधन किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण उपबन्ध न्यायाधिकरणों को समाप्त करने से है। यह खेद की बात है कि न्यायाधिकरणों से जो आशायें बांधी थी वह पूरी न हो सकी।

सदन को ज्ञात है कि आरम्भ में तो न्यायाधिकरण के तीन सदस्य होते थे। वह मुकदमों को जल्दी से निपटा सके। इसलिये कानून में संशोधन करके उसे एक व्यक्ति का न्यायाधिकरण बना दिया गया। परन्तु मुकदमे फिर भी जल्दी से नहीं निबटाये गये। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि उन याचिकाओं में से कोई ऐसा भी होगा जो सदन का सदस्य हैं परन्तु जिसे वास्तव में वह अधिकार नहीं है। वह वहां के वेतन भी ले रहा है और विधान मण्डल में कार्य भी कर रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा कानून हो जिससे मुकदमों का निबटान शीघ्रता से हो सके। सरकार का सुझाव यह है कि चुनाव के बारे में न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होना चाहिये। उस पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना अलग बात है।

एक और मामला है जो इसमें लाया गया है, वह उन शक्तियों से है जो ठेकेदारी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकार से ठेका लेता है और अपना उत्तरदायित्व ठीक निभाता है, उसके चुनाव लड़ने पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

एक और सुझाव द्वारा हमने चुनाव की समय-सूची में चुनाव के दिनों को कम किया है।

एक और सुझाव यह है कि यदि बेलट पत्र गुम हो जाये अथवा नष्ट हो जाये तो चुनाव आयोग को ऐसी परिस्थिति से निबटने का अधिकार है।

अन्य मामलों का उत्तर मैं बाद में दूंगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 36 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 24 सदस्य, अर्थात्—श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव, श्री भागवत झा आजाद, श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी, श्री होमी दाजी, श्री नारायण दांडेकर, श्री श्रीनारायण दास, श्री अ० क० गोपालन, श्री हरि विष्णु कामत, श्री कर्णी सिंह जी, श्री मधु लिमये, श्री घनश्यामलाल ओझा, श्री विश्वनाथ पांडेय, श्री चे० रा० पट्टाभिरामन, चौधरी राम सेवक, श्री शिवराम रंगो राने, श्री एच० सी० लिंग रेड्डी, श्रीमती यशोदा रेड्डी, श्री श्यामलाल सर्राफ, श्री सेझियान, श्री तययप्पा हरि सोनाबने, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री तुला राम, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, और श्री राधेलाल व्यास। और राज्य सभा के 12 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हों और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 12 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

श्री बाकर अली मिर्जा (बारंगल) : श्रीमान जी, मन्त्री महोदय विधेयक के उपबन्ध समझा रहे थे कि आपने बीच में यह कह कर रोक दिया कि सदस्यों को और सामग्री मिल जायेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने उन्हें अपना भाषण समाप्त करने पर विवश कर दिया है। मेरी प्रार्थना यह है कि उन्हें अपना भाषण जारी रखने को कहा जाये।

सभापति महोदय : ठीक प्रक्रिया यह है कि आज हमें 5 बजे यह चर्चा समाप्त करनी है। इसी बीच सदस्यों को रिपोर्ट परिचालित कर दी जायेगी। वह उसे पढ़ कर कल विधेयक पर बोल सकेंगे।

श्री बाकर अली मिर्जा (बारंगल) : जब माननीय सदस्य अपना भाषण कर रहे थे तो अन्य सदस्य अन्तर्बाधायें डाल रहे थे।

श्री बड़े : (खारगोन) : हम मन्त्री महोदय के आरम्भिक भाषण के बिना, विधेयक पर कैसे आलोचना कर सकते हैं ? इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय से कहा जाये कि वह विधेयक के उपबन्धों की व्याख्या करें।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : हमें इस विधेयक सम्बन्धी सारे पत्र ही प्राप्त नहीं हुये हैं और आपने मन्त्री महोदय को उनके भाषण के बीच में ही बिठा दिया है। ऐसी हालत में

विधेयक पर चर्चा असम्भव है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि सारे पत्र मिलने तक इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी जाये।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I agree with the motion moved by Shri Kakkar. The Minister piloting this Bill has been able to throw sufficient light in its provisions. Moreover, the suggestions given by the Election Commission after the Report have also not been made available. Their first Report is also not available. Unless all these documents are made available, it is not proper to discuss this Bill.

श्री काशी नाथ पांडेय (हाता) : जब मन्त्री महोदय इस विधेयक के उपबन्ध समझा रहे थे, तो सदस्यगण उन्हें बार बार टोक रहे थे और इस सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे थे और चाहते थे कि यह विधेयक अगले दिन तक स्थगित कर दिया जाये—

Shri Ram Sewak Yadav : Nobody interrupted him. Sir, this is an insinuation.

Mr. Chairman : Let us all create an atmosphere suited to have a good discussion on this Bill.

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : चर्चा स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन्त्री महोदय हमें बता रहे थे कि क्यों निर्वाचन आयोग की कुछ सिफारिशें नहीं मानी गईं। उन्हें अपना भाषण जारी रखने के लिए कहा जाये।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : क्योंकि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है इसलिए वहां और इस सदन में इस पर पुनः किया जायेगा। मेरे विचार में चर्चा स्थगित करना समय नष्ट करना होगा। क्योंकि यह एक महत्व पूर्ण विधेयक है इसलिये इसे शीघ्र से पास किया जाना चाहिये।

श्री त्यागी (देहरादून) : जैसी प्रथा है, संयुक्त समिति विधेयक पर सभा के विचार जानने की इच्छुक होती है, इसलिये संयुक्त समिति को सौंपने से पूर्व, इस विधेयक पर चर्चा करना आवश्यक है। मन्त्री महोदय को अपना भाषण जारी रखना चाहिये।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : क्योंकि प्रत्येक खण्ड के अन्त में व्याख्यात्मक टिप्पणी दिये हुए हैं, इसलिये इस समय जब विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है, खण्ड बार स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : तीन बातें कही गई हैं। जहां तक श्री कक्कड़ के चर्चा स्थगित करने के बारे में प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि विधेयक परिचालित किया जा चुका है। मैंने स्वयं इसे पढ़ा है और इसमें सारी बातें समझाई गई है। दूसरा सुझाव मंत्री महोदय के भाषण जारी रखने के बारे है। वह मुख्य सिफारिशों के बारे में जो कुछ उन्हें कहना था कह चुके हैं। क्योंकि मन्त्री महोदय, सदस्यों के कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं थे इसलिये मैंने उन्हें बिठा कर एक दो सदस्यों को बोलने का अवसर देना अधिक उचित समझा। निर्वाचन आयोग की बाद की रिपोर्ट के बारे में सदस्यों की मांग उचित है। यह रिपोर्ट कल बांट दी जायेगी।

श्री सेझियान : मैंने संशोधन पूर्वसूचना दी हुई है। क्या मुझे इन्हें रखने की अनुमति दी जायेगी ?

सभापति महोदय : मेरे विचार से मन्त्री महोदय के स्थानापन्न प्रस्ताव से वह निरर्थक हो गई है ?

श्री सेझियान : जी नहीं।

सभापति महोदय : श्री सेझियान अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री सेझियान : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ मेरे विचार में श्री कोया को भी संयुक्त समिति में लिया जाना चाहिये क्योंकि मुस्लिम लीग एक महत्वपूर्ण दल है जो कांग्रेस के साथ मिलकर केरल में राज्य भी चला चुका है।

सभापति महोदय : चार में से दो नाम मंत्री ने रखना स्वीकार कर लिया है। शेष दो के बारे में मन्त्री महोदय अपना मत व्यक्त करें।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रंगा : श्री सेझियान ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। श्री कोया को जो केरल विधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं इस समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

श्री त्यागी : जब भी इतना महत्वपूर्ण विधेयक पहले प्रवर समिति को सौंपा गया है, सभा में उस पर आम चर्चा की गई है। इस विधेयक पर भी यही चर्चा होनी चाहिये।

श्री राधेलाल व्यास : लीग का एक सदस्य राज्य सभा में भी है, इन्हें समिति के राज्य सभा के सदस्य चुनते समय लिया जा सकता है।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, राज्य सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका ध्यान रखें।

मैं समझता हूँ श्री सेझियान को अपना संशोधन संख्या 2 को वापिस लेने की अनुमति है।

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया

Amendment No. 2, was, By Leave, withdrawn

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मुझे संख्या बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु तब राज्य सभा से भी एक और सदस्य लेना होगा।

श्री प्र० के० देव : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और तीन निर्वाचनों के बाद हम एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे जनता को बिना भय इस सभा में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। मुझे चिन्ता है क्योंकि भारत के पड़ोसी कई देशों में लोकतन्त्र समाप्त हो चुका है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

और विश्व की दृष्टि भारत पर लगी हुई है यह देखने के लिए कि क्या श्री नेहरू के पश्चात् भारत में लोकतन्त्र का क्या भविष्य होगा।

सरकार ने इस विधेयक द्वारा निर्वाचन आयोग की कई सिफारिशें मान ली हैं परन्तु कई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें छोड़ दी गई है और कई नई सिफारिशें अकस्मात् ही शामिल कर दी

गई हैं। इन दोष पूर्ण निर्वाचन सम्बन्धी नियमों के कारण ही अब तक कांग्रेस 50 प्रतिशत से कम वोट प्राप्त करके भी देश का शासन चलाती रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। प्रतिरक्षा मन्त्री।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SITUATION ON INDIA PAKISTAN BORDER

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : गत एक मास से हमारी जम्मू तथा पंजाब की सीमाओं पर पाकिस्तानी सेनाओं की गतिविधियों के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। इनसे हमें कुछ चिन्ता है। सीमाओं के समीप सैनाओं का बढ़ आना ताशकन्द समझौते के विरुद्ध है।

23 अगस्त, 1966 को भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त, ने दो विदेशी पत्रकारों को सूचना दी कि सियालकोट पंजाब और कच्छ सीमाओं पर भारतीय सेनायें तथाकथित अपनी गतिविधियां तेज कर रही हैं। इस प्रकार का समाचार उनकी अपनी सेनाओं की गतिविधियां छिपाने के लिये घढ़ा गया था। हमने पाकिस्तानी आरोप का खण्डन किया और विदेशी पत्रकारों को हमारी पश्चिमी सीमाओं का दौरा करने की सुविधायें दीं। उन्होंने स्वयं देख लिया है कि हमारी ओर सेनाओं में कोई गतिविधि नहीं है और उन्होंने स्थानीय रूप से इस बात की भी पुष्टि की है कि पाकिस्तान की ओर उन्होंने अपनी सेनायें दल बल समेत वहाँ तैनात कर रखी हैं।

हमारी पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तानी सेनाओं की गतिविधियों से हम बेपरवाही नहीं कर सकते और इस प्रकार की स्थिति बने रहने से हमें भी सावधान रहना होगा। मैं सभा को आश्वासन देना चाहूँगा कि स्थिति पर ध्यान पूर्वक दृष्टि रखी जा रही है और हम किसी भी घटना से निबटने के लिये तैयार है। फिर भी स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं देता। सीमाओं पर तनाव कम करने के और भी उपाय करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

आशा है मेरे इस आश्वासन द्वारा हमारी पश्चिमी सीमाओं पर रहनेवाले लोगों में विश्वास उत्पन्न होगा। पूर्वी और पच्चिमी पाकिस्तानी में पाकिस्तान द्वारा सामरिक दृष्टि से जो तैयारियाँ की गई हैं उनके बारे में सभा को बताता रहा हूँ और समाचारपत्रों में इस सम्बन्ध में जो कुछ छपा है वह बहुत बढ़ाचढ़ा कर बताया गया है।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : क्या मन्त्री महोदय सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि पहले की भांति अब भी सीमा के निवासियों की समय पर रक्षा की जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे इस वक्तव्य का अभिप्राय ही यह आश्वासन देना है।

श्री रंगा (चित्तूर) : इस वक्तव्य ने मुझे तो चौंका दिया है। ऐसा महत्वपूर्ण वक्तव्य स्वयं प्रधान मन्त्री को देना चाहिये था और वह भी तब जबकि स्थिति सुधारने के अन्य सभी उपाय कर लिये जाते। क्या रूस और वे अन्य देशों को, जिन्होंने ताशकन्द समझौते के लिए बहुत रुचि दिखाई थी, स्थिति से अवगत कराया गया है और क्या उन्हें उन कार्यवाहियों की भी सूचना

दे दी गई है जो हमें करने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान जैसा उसने अब विदेशी पत्रकारों को गलत सूचना देकर किया है, स्थिति से अनुचित लाभ न उठा सके ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमने अमरीका और रूस दोनों की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : क्या विभिन्न दलों के नेताओं को बुला कर गुप्त रूप से सारी बाते बताना जैसा कि स्वर्गीय श्री शास्त्री किया करते थे अधिक अच्छा तरीका नहीं था ? यह तरीका अब क्यों नहीं अपनाया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक सुझाव है। सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : विश्व बैंक द्वारा नियुक्त बैल मिशन ने एक सिफारिश प्रतिरक्षा पर खर्च घटाने के बारे में की थी तो क्या सरकार उन्हें पाकिस्तानी खतरे के बारे में बतायेगी और यह भी बतायेगी की भारत ऐसा नहीं कर सकता ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस समय बैल रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि प्रतिरक्षा पर व्यय में कमी करने की हमारी नीति नहीं है।

Shri R S. Pandey (Guna) : In view of the fact we have 2,000 mile long border with Pakistan on the Eastern, Northern and Western border and that China have been imparting training in Guerilla Warfare in East Pakistan. Whether we have imparted any training in warfare etc. to the residents of villages situated on this long border?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ कार्यवाही की है।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Since both U.S.A. and U.S.S.R. were associated with the signing of Tashkent Agreement, may I know whether they have been informed of the situation and whether he is prepared to scrap the Tashkent and Kutch Agreements in view of the present situation ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ। ताशकन्द घोषणा से पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I want to know whether Pakistan is reequiping its naval potential also and whether it also poses a threat or not ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब किसी देश की ओर से खतरा उत्पन्न हो जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह खतरा केवल भूमि अथवा वायु मण्डल से ही है। मैंने अपनी नौसैनिक तैयारियों के बारे में सदन को पहले ही बता दिया है।

श्री कण्डप्पन : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो जानकारी विदेशी पत्रकारों को सीमा पर जाकर मिली वह समाचार पत्रों में छपे, सरकार ने क्या यह सुनिश्चित किया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सरकार को पता है कि उन्होंने यह समाचार भेजे हैं और छापा गया है। मैंने स्वयं तो यह समाचार छपे हुए नहीं देखे। यह तो यही सुनिश्चित कर सकते हैं कि पत्रकार वास्तविक समाचार छापें।

श्री त्यागी (देहरादून) : क्या सरकार जानती है कि पाकिस्तान ने इण्डोनेशिया और

दूसरे देशों से पनडुब्बियाँ पहले ही प्राप्त कर ली है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस खतरे का मुकाबला करने के लिये उचित कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन सबका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : क्या वक्तव्य के दूसरे भाग के सम्बन्ध में सरकार ने पश्चिमी शक्तियों, पश्चिम जर्मनी, कैनेडा, ब्रिटेन आदि को पाकिस्तान की सैनिक सहायता करने से मना किया है और क्या वे ऐसा करने को राजी हो गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक मुझे पता है, इन देशो में राजनैतिक स्तर पर कार्यवाही काफी तेज कर दी गई थी और उन्हें बताया गया था कि इस प्रकार पाकिस्तान की सहायता करना तीनों में से किसी के हित में नहीं है। कुछ देशों ने हमारी बात मान ली है परन्तु क्या उन्होंने ऐसा न करने का निश्चय भी कर लिया है या नहीं इस समय बता पाना सम्भव नहीं है।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Whether the hon. Minister has also received the reaction of both USA and USSR and whether there is any basis of his statement regarding there being no imminent danger at present or whether he only thinks so ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : रूस और अमरीका को भी ऐसी स्थिति से चिन्ता थी और उन्होंने तथ्य मांगे थे। मैं कह चुका हूँ कि हमने ध्यान पूर्वक स्थिति का मूल्यांकन किया है और यह सैनिक तथा राजनैनिक दोनों अवस्थाओं को ध्यान में रख कर किया गया है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : हम कब तक ताशकन्द समझौते का पालन करते रहेंगे ? क्या तब तक जब तक कि वास्तव में आक्रमण नहीं होता ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पता नहीं हमें ताशकन्द भावना से चिड़ क्यों है। इसका अर्थ केवल पाकिस्तान से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है और यही हमारा उद्देश्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा निवेदन है कि इसे परिचालित किया जाये क्योंकि इस विषय जो चर्चा चल रही है उससे इसका गहरा संम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को सरकारी तौर पर यह बता देने का है कि ताशकन्द समझौते के अनुसार जिस क्षेत्र से सैनायें हटा ली गई हैं यदि उस क्षेत्र में और ठीक सीमा तक सैनायें फिर आईं तो भारत को भी अपनी रक्षा हेतु बिलकुल ऐसा ही करने की छूट होगी। वक्तव्य से लगता है कि पत्रकार वहाँ गये थे और उन्होंने देख लिया था कि हमारी सेनायें सीमा के पास कहीं भी नहीं हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : पंजाब से भी शिकायत मिली है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस बात का हवाला मैंने अपने वक्तव्य में दे दिया है कि पाकिस्तान ताशकन्द समझौते के शब्दों के प्रतिकूल सीमा के निकट फौज जमा कर दी है। हमने जानबूझकर सीमा के निकट फौजें नहीं भेजी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार पाकिस्तान की सरकार को यह स्पष्ट बताने का विचार रखती है कि यदि उन्होंने ताशकन्द समझौते का उल्लंघन किया तो हम इसका एकतरफा पालन नहीं करेंगे।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पाकिस्तान की सेना की हलचल की सूचना जब हमें दी जाती है तो पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है। इस मामले की सूचना हमने न केवल पाकिस्तान को दी है बल्कि अमरीका और रूस को भी दी है। हमने पाकिस्तान की कार्यवाहियों से उत्तेजित न होकर सीमा के पास सेना न भेज करके अच्छा ही किया है किन्तु सीमाओं पर फौजें खड़ी करने के लिए हमें पूरी स्वतन्त्रता है।

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : खासी और मिजो पहाड़ियों तथा अन्य क्षेत्रों से कुछ लोग सीमा पार कर लेते हैं और पाकिस्तान में छापामार प्रशिक्षण पाते हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सैनिक समस्या नहीं है। यह एक असैनिक और राजनैतिक मामला है और हम इसी स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत निषिद्ध क्षेत्र में भारत की फौजें विद्यमान नहीं हैं, यह तो ठीक है। परन्तु क्या यह ठीक है कि पाकिस्तान की सेना ने अपने इलाके में निषिद्ध सीमा का उत्क्रमण किया है। इसकी हमें ठीक ठीक जानकारी दी जाये।

यशवन्तराव चव्हाण : ताशकंद समझौते की यह भावना थी की हमें सेनाओं का फैलाव इस प्रकार नहीं करना चाहिये जिससे तनाव पैदा हो। किन्तु पाकिस्तान ने ऐसा किया है। भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों में समझौता हुआ था कि वह कुछ सीमा तक अपनी फौजों को वापिस हटायेंगे किन्तु उन्होंने इसका पालन नहीं किया। यह मान लेने पर कि इन सैनिकों की हलचल अभ्यास के तौर पर है। सीमा के बहुत निकट उनका जमा हो जाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है।

Shri Bagri (Hissar): May I know whether Government is paying any attention to the revolts in E. Bengal against Pakistan and taking adequate political steps to weaken the policies of Pakistan ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : इस प्रश्न के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Rajasthan border is the worst hit area. Even after Tashkent Agreement war continued there. Even today animals are taken away from Rajasthan. Government should take adequate measures to strengthen this area.

Mr. Speaker: That is all. I cannot allow any more question. I have spent half an hour on this.

* कलकत्ता में हुंडियों का पकड़ा जाना

** SEIZURE OF HUNDIES IN CALCUTTA

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कलकत्ता में एक मकान की तलाशी लेने के पश्चात्

* आधे घंटे की चर्चा   Half-an-Hour Discussion.

कई और मकानों की तलाशी ली गई जिसमें 45 लाख रुपये की हुंडियां तथा कई व्यक्तियों को फसाने वाले कुछ अपराध सिद्ध करने वाले कागजात भी पकड़े गये। मैंने प्रश्नों द्वारा इस सभा में यह मामला मार्च में उठाया था परन्तु सरकार इस मामले का ब्यौरा देने के लिये तैयार नहीं थी। इसी प्रकार अप्रैल और जुलाई में प्रश्न उठाया गया किन्तु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

मकानों की तलाशी के दौरान एक पत्र पकड़ा गया जो कि श्री एस० एल० कपूर द्वारा पटनायक को लिखा गया था मन्त्री महोदय इस मामले की जानकारी सभा को दें। वह इस प्रकार मामले को छिपा रहे हैं और हमें बार बार इसे लाना पड़ता है।

इन कागजों के पकड़े जाने के पश्चात प्रशुल्क अधिकारियों को शंका थी कि 75 लाख रुपये का कुछ सोना, जिसके बारे में उन्हें पहले ही सूचना प्राप्त हो चुकी थी, वहां से हटा कर कहीं दूर ले जाया गया है। 28 दिसम्बर को राजस्व विभाग के सचिव को तथा आयकर अधिकारियों को सीमाशुल्क के अधिकारियों ने टेलीफोन किया। उन्होंने आयकर अनुभाग को भी सूचना दी कि दिल्ली के कुछ स्थानों पर तुरन्त छापे मारे जायें। कुछ चीजों से सह-अपराधिता सिद्ध हो जाने के कारण यह आशा करना स्वाभाविक ही था कि न केवल दिल्ली परन्तु कटक और भुवनेश्वर तथा कुछ अन्य स्थानों पर भी मकानों की तलाशी ली जायेगी और उन व्यक्तियों को, जो इस मामलों में फंसे हुए थे, गिरफ्तार किया जायेगा। किन्तु सरकार हिचकिचाई और सरकार ने अनुवर्ती कार्यवाही न की जो उसे करनी चाहिये थी। क्योंकि शायद सरकार को इस बात का भय था कि इससे कई अन्य बातों का पता लग जायेगा।

यह स्वीकार कर लिया गया है कि श्री बीजू पटनायक भी यहां आये थे और वित मन्त्री से मिले थे। इसके बाद अधिकारियों को धमकी दी गई और उन्हें कहा गया कि यदि वे अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे तो उनका जीवन खतरे में होगा।

मन्त्री महोदय हमें बतायें कि क्या यह सच नहीं है कि पकड़ी गई 45 लाख रुपये की हुंडियों में से 32,42,500 लाख रुपये श्री एस० एल० कपूर के और 3,61,000 रुपये यूनाइटेड इंडिया कारपोरेशन तथा श्री सिकन्दर लाल कपूर के सुदर्शन निगम के और 6,25,00 रुपये बीजू पटनायक माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा 10,000 रुपये जनरल ट्रेडिंग कम्पनी, 3 अमरतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता के भागीदारी, श्री हंसराज कपूर के और 3, 40,000 रुपये यूनाइटेड कमर्शियल कारपोरेशन, 14 अपर चितपुर, कलकत्ता के थे। ये लोग इस व्यापार को कई उद्योगों में चला रहे थे। कई लोगों का सम्बन्ध कालिंगा ट्यूबस और कालिंगा उद्योगों से गहरा सम्पर्क था।

मन्त्री महोदय हमें बतायें कि क्या यह सच नहीं है कि 1954 में श्री एस० एल० कपूर तथा श्री बीजू पटनायक के बीच एक समझौता हुआ था। यह समझौता उनके बीच 20 वर्ष

के लिये मैंगनीज तथा कच्चे लोहे के सम्बन्ध में हुआ था और यह श्री विष्नू पटनायक के लेटर हैड पर रखा गया था। श्री एस० एल० कपूर जिसके मकान की तलाशी ली गई थी, कलिंगा टयूब्स का विक्रय निदेशक है।

सभा को यह भी बताया जाना चाहिए कि क्या पकड़े गये दस्तावेजों में, जिनमें श्री विजू पटनायक अन्तर्ग्रस्त हैं। निम्नलिखित पाये गये हैं : (1) बीजू पटनायक माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के नाम पर जाली हुंडियां ; (2) श्री बिज पटनायक द्वारा श्री एस० एल० कपूर को 6 प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख रुपये का 29 मार्च, 1954 को जारी किया गया वचनपत्र ; (3) एम० वी० सुब्रामनियम, ऊपरी मंजला, हिन्दुस्तान बिल्डिंग, कारपोरेशन प्लेस, कलकत्ता के लिये 45,000 का श्री बीजू पटनायक द्वारा 18. 3. 1960 को हस्ताक्षरित वचनपत्र। ये सभी दस्तावेज पकड़े गये थे, फिर इनका क्या हुआ ?

कलकत्ता में कुछ नाम देने वाले हैं। उनका मुख्य कारोबार अपने नाम देना है। रकम उनके नाम में जमा कराई जायेगी। काले धन का निपटान इस प्रकार किया जाता है। यह भी बताया जाना चाहिये कि क्या यह सच है कि वहां पर लगभग 35 नाम देने वाले हैं जिनसे श्री बीजू पटनायक द्वारा इन प्रयोजनों के लिये लाभ उठाया गया है फिर भी सरकार उसे क्यों संरक्षण दे रही है तथा रक्षा कर रही है ?

वर्तमान मामले में काला धन पकड़ा गया है और इसमें फंसने वाले व्यक्तियों के बारे में निश्चित प्रमाण हैं। परन्तु राजनैतिक कारणों से सरकार संसद सदस्यों से सच्ची बातें छिपाना चाहती है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : जब सरकार को यह मालूम था कि श्री पटनायक को 4.71 करोड़ रुपये का ठेका केवल 20,000 रुपये की पूंजी पर मिला था तो क्या विशेष पुलिस संस्थान द्वारा यह मालूम करने के लिये जांच की गई थी कि क्या हुंडियों की राशि का कोई रलिंग एयरलाइन्स द्वारा ढोये जाने वाले माल को गबन करके प्राप्त किया गया था।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यह ठीक नहीं है कि 27 नवम्बर की तलाशी के पश्चात्, श्री बीजू पटनायक जनवरी के आरम्भ में मन्त्री महोदय से मिले थे और क्या उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को यह परामर्श नहीं दिया था कि वह धीमी गति से कार्य-वाही करे या खेद प्रकट करे तथा बाद की कार्यवाही न करे ? क्या केन्द्रीय जांच विभाग इस मामले में कार्यवाही करेगा ?

श्री सेझियान (पेरम्बूर) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि तलाशी के दौरान जो दस्तावेज पकड़े गये थे, उनमें यह पता चला है कि किसी "नामदाता" के द्वारा श्री पटनायक के धन जमा करवाया था। क्या उन्होंने किसी फर्म में काला धन जमा किया था और क्या सरकार ने उन नामदाताओं का पता लगाया है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जांच के दौरान यह नाम पता लगा है।

श्री जेना (भद्रक) : श्री द्विवेदी ने अभी कहा है कि जांच के दौरान आय-कर

अधिकारियों को धमकियां दी गई थी। आज प्रश्न संख्या 4015 के उत्तर में वित्त मंत्री ने भी कहा है कि आयकर अधिकारियों को कुछ अस्पष्ट धमकियां दी गई थीं वह धमकियां किस प्रकार की थी और कितने धमकियां दी थीं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (ब० रा० भगत) : शुरू में ही मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे कोई व्यक्ति कितने ही उच्च स्थान में क्यों न हो और उसका राजनैतिक प्रभाव जितना ही क्यों न हो, उसके साथ व्यवहार वसा ही किया जायेगा जैसा कि किसी अन्य नागरिक के साथ होना चाहिये। यह बात गलत है कि सरकार इस मामले में अनुचित विलम्ब कर रही है तथा जांच नहीं कर रही है। हमने इन मामलों में जोरदार कार्यवाही करने की और इसे यथासम्भव शीघ्रता से निपटाने का पूरा प्रयत्न किया है। 27 दिसम्बर, 1965 को तलाशी ली गई थी और दूसरे दिन कलकत्ता में दो अन्य स्थानों की तलाशी ली गई। यह तलाशी सीमा-शुल्क विभाग ने ली थी। उन्होंने इस मामले की जांच की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मामले का सम्बन्ध सीमा शुल्क सम्बन्धी अपराध की तुलना में आय कर से अधिक था। यह मामले 22 फरवरी को आयकर विभाग को भेज दिये गए थे। इसमें डेढ़ मास लग गया। बहुत सी दस्तावेजों की जांच की गई। एक केन्द्रीय सर्किल बनाया गया है जिसमें एक आयकर अधिकारी और एक उप निदेशक है और वे निर्धारण के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करेंगे।

11 अप्रैल, 1966 को सभी मामलों का एकीकरण किया गया। एक मामला श्री कपूर से सम्बन्धित था। और दूसरा श्री पटनायक से सम्बन्धित था। श्री पटनायक से सम्बन्धित मामला उनकी प्रतिष्ठा के कारण अधिक प्रमुख हो गया है। मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि कार्यवाही शीघ्र की जायेगी और श्री पटनायक से सम्बन्धित मामले की जांच हो रही है। वह उसे यथासम्भव शीघ्रता से समाप्त करेंगे।

अधिकारी किसी भी स्थान की तलाशी ले सकते हैं। उन्हें कुछ संकेत मिलने पर वे दूसरे दिन अन्य स्थानों की तलाशी के लिये गये। यदि वे यह समझते हैं कि अन्य स्थानों की भी तलाशी ली जाये तो उनके द्वारा ऐसा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

आयकर आयुक्त अथवा जांच निदेशक को कानून के अधीन किसी भी स्थान की तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त है और इस बारे में उन्हें मन्त्री से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। यह कहा गया है कि वित्त मन्त्री ने श्री पटनायक से मिलने के पश्चात् मामले में धीमी गति से कार्यवाही करने के लिये कहा था। वित्त मंत्री ने लिखित अथवा मौखिक रूप में कोई परामर्श नहीं दिया। श्री बीजू पटनायक सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में जोरदार कार्यवाही की जा रही है और निर्धारण शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। राजनीतिक प्रभाव आदि का कोई प्रश्न नहीं है। वित्त मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई निदेश नहीं दिए गए हैं।

श्री पटनायक के नाम में हुंडियों के मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने तक सरकार अधिक कुछ नहीं कह सकती। मैं यह आश्वासन देता हूं कि यह सदा जारी नहीं

रहेगा। इन सभी मामलों पर निर्णय उसी आधार पर किया जायेगा जिस आधार पर अन्य लोगों के मामलों के बारे में निर्णय किया जाता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 2 सितम्बर, 1966/11 भाद्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on thursday, September 2, 1966/Bhadra 11, 1888 (Saka).

Tirthraj Press. Allahabad.